

सीमा शुल्क की अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका/महत्व (ROLE OF CUSTOMS DUTY IN INTERNATIONAL TRADE/IMPORTANCE)

(1) राजस्व में योगदान (Contribution to Revenue)—सीमा शुल्क का भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में महत्वपूर्ण योगदान होता है। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के बाद सीमा शुल्क ही ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जिससे भारत सरकार को पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है। यद्यपि आयात शुल्क की दरों में कमी कर दी गई है, लेकिन विदेशी व्यापार के बढ़ते हुए आकार के कारण इससे प्राप्त राजस्व में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(2) घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना—आयात शुल्क लगाने का प्रमुख कारण राजस्व प्राप्त करना ही नहीं है अपितु घरेलू उद्योगों को विदेशी माल की प्रतियोगिता से संरक्षण प्रदान करना भी है। सरकार आयात शुल्क के प्रकार एवं दर बढ़ाकर अपने यहां विदेशी माल महंगा कर देती है ताकि घरेलू उत्पादन विदेशी माल से संरक्षित रह सके।

(3) व्यापार घटे को सन्तुलित करना—जब किसी देश का आयात वहुत बढ़ जाता है और निर्यात कम हो जाता है तो विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में असुविधा होने लगती है। इससे बचने के लिए आयात पर आयात शुल्क लगाकर आयात महंगा किया जाता है तथा अपने देश से निर्यात माल पर छूट (Subsidy) देकर निर्यात माल सस्ता कर दिया जाता है जिससे व्यापार घटा कम किया जा सके।

(4) तस्करी पर नियन्त्रण करना—जब आयात शुल्क की दरें बहुत ऊंची होती हैं तो तस्करी को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि तस्करी करके लाए गए माल पर लाभ की दर बढ़ जाती है। इसका स्पष्ट प्रमाण है कि जब से सोने पर आयात शुल्क कम किया गया है, सरकारी राजस्व बढ़ रहा है और तस्करी कम हो रही है।

(5) निर्यात कम करना—सरकार अपने निर्यात शुल्क की दर बढ़ाकर निर्यात महंगा करती है ताकि विदेशों में उसकी मांग घट जाए और आवश्यक वस्तुएं घरेलू उपभोग के लिए उपलब्ध हो सकें।

(6) विदेशी मुद्रा की बचत करना—धनाद्वय वर्ग विलासिता की वस्तुओं के आयात पर काफी विदेशी मुद्रा व्यय कर देता है। परिणामस्वरूप आवश्यक वस्तुओं एवं देश की रक्षा से सम्बन्धित साज़-सामान के लिए विदेशी मुद्रा की कमी हो जाती है। इस समस्या से बचने के लिए सरकार विलासिता की वस्तुओं पर ऊंची दर से आयात शुल्क लगाकर इनकी मांग में कमी करने का प्रयास करती है।

(7) डम्पिंग पर रोक लगाना—विदेशी उत्पादक भारत जैसे बड़े उपभोक्ता बाजार को हड्डपने के लिए अपने उत्पाद को लागत से भी कम मूल्य पर ‘डम्प’ कर सकते हैं। ऐसी ‘डम्पिंग’ से बचाव के लिए सरकार Anti-Dumping Duty नाम से अतिरिक्त आयात शुल्क लगाकर घरेलू उद्योगों का संरक्षण करती है।

(8) विदेशी व्यापार समझौतों के क्रियान्वयन हेतु—अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों की शर्तों के अनुसार पारस्परिक रूप में सीमा शुल्क की दर निर्धारित एवं नियमित की जाती है। पारस्परिक रूप से निर्धारित ये दरें समझौते से सम्बन्धित सभी देशों के आपसी व्यापारिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करती हैं।

सीमा शुल्क का उदय (RAISING OF CUSTOMS DUTY)

किसी माल पर आयात शुल्क या निर्यात शुल्क दायित्व तब उदय होता है, जब माल का भारत में आयात किया गया है या भारत से इसका निर्यात किया जा रहा है। भारत में आयात उसी समय पूर्ण हो जाता है, जिस समय माल भारत की सामुद्रिक सीमा में प्रवेश कर जाता है। उसी प्रकार, निर्यात तब पूर्ण माना जाएगा, जब माल भारत की जल सीमा को पार कर जाता है।

सीमा शुल्क के उद्देश्य (OBJECTS OF CUSTOMS DUTY)

यद्यपि किसी भी शुल्क लगाने से सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, परन्तु एक मात्र उद्देश्य राजस्व में वृद्धि करना नहीं हो सकता। करणोपेण से वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, परन्तु प्राप्त गजस्व से जन कल्याण में वृद्धि भी होती है। अतः कर लगाने से पूर्व दोनों पक्षों पर चिन्तन आवश्यक है। पहले उन उद्देश्यों का अध्ययन किया जाता है, जिनके लिए सीमा शुल्क लगाया जाना है। तत्पश्चात् इसके लाभों व दोषों का भी अध्ययन किया जाता है। सीमा शुल्क लगाने के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं :

(1) घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना (Protection to Domestic Industry)—भारत जैसे विकासशील देश के उद्योगों को हमेशा विकसित देशों में निर्मित माल से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है जो सस्ते कच्चे माल या कम थम लागतों के कारण सस्ता होता है और अक्सर भारतीय बाजारों पर अपना प्रभुत्व जमा लेता है। अतः ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भी आयात-शुल्क लगाती है।

(2) राजस्व का उदय (Earning Revenue)—सीमा-शुल्क से केन्द्रीय सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है। प्रायः सरकार का मुख्य उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना ही होता है तथा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुल्क की दर में वृद्धि की जाती है अथवा नई वस्तुओं पर भी शुल्क लगाया जाता है।

(3) नियंत्रण घटाना (Reducing Exports)—जब किसी प्राकृतिक संसाधन जनित वस्तु की विदेशों में अधिक मांग हो, तब व्यापारी उस वस्तु को अधिक मात्रा में नियंत्रित कर देते हैं। देश में वह वस्तु कम मात्रा में उपलब्ध रहती है तथा मांग अधिक होने के कारण घरेलू बाजार में मूल्य बढ़ जाते हैं। अतः ऐसी वस्तुओं पर नियंत्रित शुल्क लगा दिया जाता है, जिससे नियंत्रित हेतु उनकी मांग घट जाती है और देश में पूर्ति बढ़ जाती है।

(4) भुगतान शेष का अनुकूल (Optimising the Balance of Payment)—यदि किसी देश के आयात बढ़ जाएं और नियंत्रित कम हो जाए, तब विदेशी मुद्रा में भुगतान करने में असुविधा होने लगती है तथा व्यापार शेष तथा भुगतान शेष की स्थिति प्रतिकूल हो जाती है। स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए विदेशों से आने वाले माल पर आयात शुल्क बढ़ा दिया जाता है तथा नियंत्रित शुल्क घटा दिया जाता है। इस तरह, आयात घटने से तथा नियंत्रित बढ़ने से विदेशी मुद्रा बचती भी है। इस प्रयास से व्यापार शेष अनुकूल होने लगता है तथा भुगतान सन्तुलन की स्थिति भी अनुकूल होने लगती है।

(5) तस्करी पर नियन्त्रण करना (Controlling the Smuggling)—सीमा-शुल्क की ऊंची दरें तस्करी को बढ़ावा देती हैं, जिससे माल पर सरकार को शुल्क प्राप्त नहीं होता। अतः सरकार तस्करी पर नियन्त्रण करने हेतु सीमा शुल्क कम कर देती है। भारत सरकार ने पिछले वर्षों में सोने की तस्करी को नियन्त्रित करने के लिए सोने पर आयात-शुल्क कम किया था, जिसके अच्छे परिणाम सामने आए।

सीमा शुल्क के लाभ (ADVANTAGES OF CUSTOMS DUTY)

सीमा शुल्क के विभिन्न लाभ निम्नानुसार हैं :

(1) आयात पर नियन्त्रण (Control over Import)—सरकार विदेशों से आयात किए जाने वाले माल पर आधारभूत सीमा-शुल्क, अतिरिक्त सीमा-शुल्क इत्यादि लगा देती है, जिससे आयातित माल, स्वदेशी माल की तुलना में महंगा हो जाता है और विदेशों से आयातित माल की मांग स्वतः कम हो जाती है।

(2) घरेलू उद्योगों को संरक्षण (Protection of Indigenous Industries)—घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से सीमा-शुल्क अत्यन्त महत्वपूर्ण है। सीमा-शुल्क आरोपित करके सरकार घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है।

(3) राजस्व प्राप्ति का स्रोत (Source of Revenue)—सीमा-शुल्क सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उदारीकरण के इस युग में किसी गाप्ट के विदेशी व्यापार से सरकार को सीमा-शुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

(4) अनुकूल भुगतान सन्तुलन (Favourable Balance of Payment)—सरकार सीमा-शुल्क की दरों में परिवर्तन कर देश में किए जाने वाले आयातों को हतोत्साहित करके तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करके भुगतान सन्तुलन को अनुकूल बनाए रखा जा सकता है।

(5) नियंत्रित पर नियन्त्रण (Control on Export)—प्राकृतिक संसाधन जनित कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, जिनका उत्पादन मांग की तुलना में कम होता है। यदि ऐसी वस्तुओं का नियंत्रित किया जाए, तब देश में इनका अभाव और मूल्यों में भारी वृद्धि हो जाएगी। सरकार ऐसी वस्तुओं की पहचान कर उन पर वहुत अधिक दर से नियंत्रित शुल्क लगा कर नियंत्रित पर नियन्त्रण करती है।

(6) तस्करी पर नियन्त्रण (Control on Smuggling)—सरकार सीमा पर होने वाले अवैध व्यापार पर सीमा-शुल्क की दरों को कम रखकर नियन्त्रण स्थापित कर सकता है। ऊंची सीमा-शुल्क की दरों के कारण लोग सीमा-शुल्क चोरी करने की दृष्टि से अवैध व्यापार करते हैं।

सीमा शुल्क के दोष (DEMERITS OF CUSTOMS DUTY)

सीमा शुल्क के निम्न दोष हैं :

(1) महंगाई बढ़ाना—जो माल आयात अथवा नियंत्रित होता है उस माल पर आयातक देश एवं नियंत्रित देश सीमा शुल्क लगाते हैं। जब ये वस्तुएं महंगे भाव पर बेची जाती हैं तो उन पर अप्रत्यक्ष कर की राशि भी बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप घरेलू उत्पाद भी तुलनात्मक रूप में महंगे हो जाते हैं।

(2) काले धन में वृद्धि—कभी-कभी तो अनेकों प्रकार के आयात शुल्क लगाए जाते हैं, इनसे बचने के लिए माल को तस्करी करके एक देश से दूसरे देश में लाया-ले जाया जाता है। ऐसे व्यापार से जो लाभ होता है वह काले धन के रूप में एकत्रित होता रहता है।

(3) अच्छी वस्तुओं का अभाव—विदेशों में कुछ वस्तुएं अच्छे किस्म की तथा सस्ती उपलब्ध होती हैं, परन्तु अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देने के विचार से इन वस्तुओं का आयात प्रतिवर्धित अथवा उनके आयात पर ऊंची दर से आयात शुल्क लगा दिया जाता है। दूसरी ओर घरेलू उपभोक्ता को ऊंचे भूल्य पर घटिया वस्तुओं के उपभोग पर ही सन्तोष करना पड़ता है।

(4) जटिल प्रक्रिया—सीमा शुल्क के जटिल प्रावधानों के कारण आयातकों एवं निर्यातकों को अनेक तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन प्रावधानों का पालन पेशेवर एवं विशेषज्ञ सलाहकारों की सेवाओं के बिना सम्भव नहीं है।

सीमा शुल्क की प्रकृति एवं विशेषताएं

(NATURE AND CHARACTERISTICS OF CUSTOMS DUTY)

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची में दी गई (संघीय सूची) सूची I में लेखा संख्या 83 के अनुसार सीमा शुल्क आयात तथा निर्यात पर लगने वाला संघीय शुल्क है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 (जो Charging section कहलाती है) के अनुसार आयात शुल्क लगभग सभी प्रकार की वस्तुओं पर लगाया जाता है, जबकि निर्यात शुल्क केवल कुछ ही वस्तुओं पर लगाया जाता है जिनमें भारतीय उत्पादन की मजबूत स्थिति है। जैसे—चमड़े तथा खालों पर 10% एवं सांप एवं मेमने की खाल पर 15% निर्यात शुल्क लगाया जाता है जबकि बकरी, भेड़ तथा बैल एवं उनके बछड़ों की खाल, चमड़ा एवं उनसे तैयार माल पर निर्यात शुल्क नहीं लगाया जाता है।

सीमा शुल्क की प्रकृति को निम्न शीर्षकों में समझाया जा सकता है :

केन्द्रीय शुल्क

भारतीय संविधान में विदेशों से आयात किए जाने एवं भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले माल पर कर लगाने का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है। इस संवैधानिक अधिकार के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा देश में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जा सकता है। इस शुल्क का आरोपण एवं वस्तु केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है। इससे संगृहीत सम्पूर्ण राशि का उपयोग केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax)

सीमा शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका भुगतान आयातकर्ता या निर्यातकर्ता द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका अन्तिम भार उपभोक्ता पर पड़ता है। यद्यपि अब सीमा शुल्क की दरों काफी कम हो गई हैं, लेकिन पूर्व में सीमा शुल्क की अत्यधिक ऊंची दरों के कारण तस्करी, कर चोरी एवं भ्रष्टाचार को काफी बढ़ावा मिलता था।

सीमा शुल्क के आधार (Basis of Customs Duty)

सीमा शुल्क लगाने के दो आधार हैं—भारत से बाहर अन्य देशों को जो माल विदेशी व्यापार के अन्तर्गत भेजा जाता है उस पर निर्यात शुल्क लगाया जाता है। निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से अधिकांश वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया ही नहीं जाता या अत्यन्त न्यूनतम दर पर लगाया जाता है। सरकार जिन वस्तुओं का निर्यात प्रतिवर्धित करना चाहती है उन पर ऊंची दरों से निर्यात शुल्क लगाती है ताकि माल देश के बाहर नहीं जा सके।

विदेशों से भारत में जो माल आयात किया जाता है उस पर आयात शुल्क (Import Duty) लगती है। सीमा शुल्क का यह महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि सरकार का मुख्य ध्यान आयातों पर रहता है। राजस्व प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी सरकार आयात शुल्क का सहारा लेती है।

सीमा शुल्क के उद्देश्य (Objects of Customs Duty)

सीमा शुल्क का मूल उद्देश्य विदेशी व्यापार के अन्तर्गत आयात-निर्यात पर शुल्क वसूलना होता है। इसके अतिरिक्त कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी सीमा शुल्क लगाया जाता है, जैसे—(अ) आयातों को नियन्त्रित करना तथा निर्यातों को प्रोत्साहित करना, (ब) देशी उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से संरक्षित करना, (स) देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को रोकना, (द) विदेशी विलासिता की वस्तुओं का आयात सीमित करना, (य) विदेशी समझौतों का पालन करना, (र) व्यापार सञ्चालन एवं भुगतान सञ्चालन को अनुकूल करना, आदि।

सीमा शुल्क की दरें (Rates of Customs Duty)

आर्थिक उदारीकरण पूर्व भारत में सीमा शुल्क की दरें अत्यधिक ऊंची थीं। पिछले वर्षों में खुले व्यापार की नीति के अन्तर्गत भारत सरकार ने आयात शुल्क की दरों में निरन्तर कमी की है। वर्तमान में सीमा शुल्क की सामान्य दर 10% है जो कि अब तक की न्यूनतम दर है। वित्त अधिनियम, 2018 द्वारा (कुछ अपवादों को छोड़कर) 10% मूल्यानुसार सीमा शुल्क पिछले वर्षों के समान रखा गया है।

सीमा शुल्क विधान के अंग (CUSTOMS LAW COMPRISES)

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (CUSTOMS ACT, 1962)

यह सीमा शुल्क आरोपण का मुख्य विधान है। सीमा शुल्क के आरोपण, संग्रहण, आयात-निर्यात की प्रक्रिया निर्धारण, आयात-निर्यात पर निषेध, अर्थदण्ड सजाओं, आदि से सम्बन्धित प्रावधान इसमें किए गए हैं, जिनमें 17 अध्यायों एवं 161 धाराओं में वांटा गया है।

(2) कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 (CUSTOMS TARIFF ACT, 1975)

सीमा शुल्क की दरों के लिए 'कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975' लागू किया गया है। इसमें दो अनुसूचियां बनाई गई हैं। अनुसूची I में आयात की जाने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण एवं दरें दी गई हैं, जबकि अनुसूची II में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का वर्गीकरण एवं दरें दी गई हैं। इनके अतिरिक्त विशिष्ट इयूटी, अतिरिक्त इयूटी, सरक्षण इयूटी तथा ऐप्टी-डिपिंग इयूटी, आदि से भी सम्बन्धित प्रावधान हैं।

(3) नियमावली (RULES)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 156 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने नियमावली की रचना की है। इसमें आयातित माल के मूल्य निर्धारण, इयूटी द्वा बैंक, बैगेज और माल की जब्ती सम्बन्धी नियम हैं।

(4) विनियम (REGULATIONS)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 के अधीन प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अधिनियम एवं नियमावली के अनुरूप विभिन्न विनियमों की रचना की जाती रहती है।

(5) अधिसूचनाएं (NOTIFICATIONS)

अधिसूचना का आशय ऐसी अधिकारिक लिखित सामग्री से है, जो किसी को सूचनार्थ अधिसूचित की जाती है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराओं के अधीन केन्द्रीय सरकार अधिसूचनाएं निर्गमित कर सकती है।

(A) आयात के सम्बन्ध में कर योग्य घटना (TAXABLE EVENT IN CASE OF IMPORT)

(a) घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी (Goods Cleared for Home Consumption)—माल का आयात तब प्रारम्भ होता है, जब ऐसा माल क्षेत्रीय जल क्षेत्र (Territorial Waters) को पार कर लेता है, परन्तु देश के अन्दर माल के समूह में शामिल होने पर ही समाप्त होता है। करयोग्य घटना तब प्रारम्भ होती है, जब माल सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं में पहुंचता है और घरेलू उपभोग हेतु प्रवेश विल प्रस्तुत किया जाता है।

इसका आशय होता है कि माल पर सीमा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है और आयातक द्वारा घरेलू उपभोग हेतु माल की निकासी की जा सकती है।

(b) गोदामीकरण के लिए निकासी (Clearing of Goods for Warehousing)—माल के गोदामीकरण की स्थिति में, माल सीमा शुल्क बॉण्ड के अधीन बना रहता है। अतः आयात तब होता है, जब माल की निकासी गोदाम से की जाती है। सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं से निकासी तब मानी जाती है, जब माल सीमा शुल्क क्षेत्र से निकालकर देश के अन्दर माल के समूह में शामिल कर लिया जाता है।

जब माल की तुरन्त घरेलू उपभोग के लिए निकासी नहीं की जाती है, तब उसे गोदाम में, भविष्य की निकासी हेतु जमा करा दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, सीमा शुल्क का संग्रहण तब तक स्थगित रहता है, जब तक कि माल घरेलू उपभोग के लिए गोदाम से नहीं निकाला जाता है। ऐसी निकासी ही करयोग्य घटना है।

**घरेलू उपभोग के लिए एवं गोदामीकरण के लिए माल की निकासी में अन्तर
(DISTINCTION BETWEEN CLEARANCE FOR HOME CONSUMPTION AND FOR WAREHOUSING)**

घरेलू उपभोग हेतु माल की निकासी का आशय है कि आयातित माल पर सीमा शुल्क का भुगतान कर दिया गया है और माल उपभोग या उपभोग हेतु उपलब्ध है।


घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी के स्थान पर उसको गोदाम में जमा कराया जा सकता है, जिसमें भविष्य में उसकी निकासी की जा सके। जब माल गोदाम में जमा कराया जाता है, ऐसे माल पर सीमा शुल्क का उद्ग्रहण तब तक स्थगित रहता है, जब तक कि माल की गोदाम से घरेलू उपभोग के लिए निकासी नहीं की जाती है। आयातित द्वारा वॉण्ड के निष्पादन द्वारा सरकारी राजस्व की सुरक्षा बनी रहती है, जिसमें आयात पर निर्धारित शुल्क की राशि से दो गुनी राशि की वचनवन्धता प्रस्तुत की जाती है। साथ ही आयातित माल के संग्रहण, व्यव, किराया एवं अन्य सम्यक व्यवों के साथ शुल्क पर देय व्याज के लिए भी उत्तरदायी बना रहता है।

**(B) निर्यात की स्थिति में करयोग्य घटना
(TAXABLE EVENT IN CASE OF EXPORT)**


माल का निर्यात तब पूरा होता है, जब माल भारत के तटीय जल क्षेत्र को पार कर लेता है। यही निर्यात के लिए करयोग्य घटना है, परन्तु सीमा शुल्क का संग्रहण माल के लदान से पूर्व ही कर लिया जाता है। यदि माल तटीय जल क्षेत्र के ही अन्तर्गत इवां जाता है, तब निर्यात पूर्ण नहीं होता है। यद्यपि शुल्क का संग्रहण जहाज के बन्दरगाह छोड़ने से पूर्व कर लिया जाना आवश्यक है। अतः करयोग्य घटना तब उदय होती है जब 'निकासी की स्वीकृति' का आदेश स्वीकृत किया जाता है और माल का लदान हो चुका है।

शुल्क की दर एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारण तिथि (Date for Determination of the Rate of Duty and Tariff Valuation)

माल का प्रकार	प्रासंगिक तिथि	(धारा 15)
आयातित माल के सम्बन्ध में	(डाक एवं बैगेज के अतिरिक्त)	
(a) घरेलू उपभोग हेतु निकासी	प्रवेश विल अथवा एन्ट्री इनवार्डस के प्रस्तुतीकरण की तिथि (जो भी बाद में हो)	
(b) गोदामीकरण के लिए निकासी	एक्स-वॉण्ड विल ऑफ एन्ट्री की प्रस्तुतीकरण की तिथि, जो घरेलू उपभोग सम्बन्धी है।	
(c) अन्य कोई माल	शुल्क भुगतान की तिथि	
निर्यातित माल के सम्बन्ध में	(डाक एवं बैगेज के अतिरिक्त)	(धारा 16)
(a) निर्यात हेतु माल का प्रवेश	निर्यात हेतु सम्यक अधिकारी द्वारा माल की निकासी एवं लदान हेतु पारित आदेश की तिथि	
(b) अन्य कोई माल	शुल्क भुगतान की तिथि	



उदाहरण—प्रवेश विल की प्रस्तुति की तिथि 1.1.20XX, जलयान आगमन की तिथि 3.1.20XX ऐसी स्थिति में आयात शुल्क निर्धारण की प्रासंगिक तिथि 3.1.20XX होगी, क्योंकि प्रक्रियागत सरलता हेतु प्रवेश विल 1.1.20XX को प्रस्तुत किया गया था।



अपवाद—डाक एवं बैगेज रूपी माल के आयात/निर्यात की स्थिति में उपर्युक्त प्रावधान प्रभावी नहीं है।

उदाहरण (Illustration)

एक आयातक ने 12% मूल्यानुसार शुल्क योग्य माल का आयात किया। जल्यान का आगमन 31 मई, 20XX को हुआ। माल के गोदामीकरण हेतु प्रवेश विल की प्रस्तुति 2 जून, 20XX को की गई और माल को गोदाम में जमा कर दिया गया। इस अन्तराल में, 15 अक्टूबर, 20XX को एक अधिकूचना निर्गमन द्वारा सीमा शुल्क की प्रभावी दर को 10% मूल्यानुसार कर दिया। आयातक ने 20 अक्टूबर, 20XX को घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश विल प्रस्तुत किया, जिसमें 10% आयात शुल्क उद्ग्रहण का दावा किया गया। सीमा शुल्क विभाग द्वारा पूर्ववर्ती 12% मूल्यानुसार सीमा शुल्क वसूल किया। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के सन्दर्भ में अपना तक प्रस्तुत किए।

समाधान (Solution)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15(1)(b) के अनुसार शुल्क उद्ग्रहण एवं टैरिफ मूल्यांकन हेतु प्रासंगिक तिथि घरेलू उपभोग हेतु गोदाम से माल की निकासी के लिए प्रवेश विल की प्रस्तुति की तिथि होगी। अतः, शुल्क उद्ग्रहण के लिए प्रासंगिक तिथि 20.10.20XX होगी (घरेलू उपभोग हेतु प्रवेश विल प्रस्तुतिकरण की तिथि) और इस प्रकार शुल्क उद्ग्रहण की प्रभावी दर 10% मूल्यानुसार होगी।

सीमा शुल्क के प्रकार (TYPES OF CUSTOMS DUTY)


सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत सीमा शुल्क उस दर से लिया जाएगा जो 'Customs Tariff Act, 1975' में निर्दिष्ट है, जो किसी माल के भारत से बाहर निर्यात एवं भारत में आयात पर लागू होती है।

आयात-शुल्क

भारत में निम्न प्रकार के आयात शुल्क लगाये जाते हैं :

(1) मूल सीमा शुल्क (BASIC CUSTOMS DUTY)

मूल सीमा शुल्क माल के मूल्य के आधार पर लगाया जाता है। माल के मूल्य का निर्धारण धारा 14(1) में वर्ताये गए प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के माल पर लगने वाले शुल्क की दरें अलग-अलग हैं। वित्त अधिनियम, 2018 के अनुसार (कुछ अपवादों को छोड़कर) सीमा शुल्क की दर पूर्ववर्त् 10% है।



शुल्क की पूर्वाधिकारी दर (Preferential Rate of Duty)—यदि माल का आयात केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पूर्वाधिकारी क्षेत्र से किया गया है, तब शुल्क उद्ग्रहण की पूर्वाधिकारी दर प्रभावी होती है। सरकार अधिसूचना द्वारा पूर्वाधिकारी क्षेत्र से माल के आयात पर शुल्क की पूर्वाधिकारी दर उद्गृहीत करती है।

पूर्वाधिकारी शुल्क की शर्तें (Conditions for preferential rate of duty)—आयातित माल पर शुल्क उद्ग्रहण की पूर्वाधिकारी दर के प्रभावीकरण के लिए निम्नांकित शर्तें की सन्तुष्टि करना आवश्यक है :

- (a) माल के आयात के समय उसे पूर्वाधिकारी शुल्क की दर का दावा प्रस्तुत करना होगा।
- (b) उसको सिद्ध करना होगा कि आयातित माल का निर्माण या उत्पादन ऐसे पूर्वाधिकारी क्षेत्र में हुआ है।
- (c) ऐसा क्षेत्र सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन पूर्वाधिकारी अधिसूचित किया गया हो।
- (d) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन रचित नियमों के अधीन माल का मूल मूल्य निर्धारित किया जाएगा।

(2) इन्टीग्रेटेड टैक्स (INTEGRATED TAX)

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अधीन उद्ग्रहणीय इस कर का करारोपण निम्न प्रकार होता है :

(a) IGST Act, 2017 की धारा 5 के अधीन उसी प्रकार के माल की भारत में पूर्ति की स्थिति में लागू सीमा शुल्क दर के बराबर उद्गृहीत किया जाता है। आयातित माल का निर्धारण मूल्य उस पर देय सीमा शुल्क तथा लागू ‘सामाजिक कल्याण अधिभार’ के योग पर संगणित किया जाता है।

- (b) माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क के अतिरिक्त।
- (c) अधिकतम दर 40% हो सकती है।

(3) जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर (GST COMPENSATION CESS)

जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर अधिनियम, 2017 की धारा 8 के अधीन उद्ग्रहणीय यह एक उपकर है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट माल या पूर्तियों पर उद्ग्रहणीय है। इसका उद्ग्रहण निम्नांकित मूल्यांकन पर किया जाता है :

आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य	×××
जोड़े—मूल सीमा शुल्क	(+)(+)
क्षतिपूर्ति उपकर के उद्ग्रहण के लिए मूल्यांकन	योग

सस्ते में बेची गई वस्तुओं पर शुल्क (ANTI-DUMPING DUTY ON DUMPED ARTICLES)

[Customs Tariff Act—धारा 9(A)]

यदि कोई निर्यातक देश किसी माल का भारत को निर्यात भारतीय उत्पादन को हानि पहुंचाने या अपने Excess Stock को भारत में Dump करने के उद्देश्य से भेजता है तो भारत सरकार घेरेलू उद्योग के संरक्षण के लिए तथा समान आधार (Level Playing) उपलब्ध कराने के लिए ऐसे माल के आयात होने पर anti-dumping duty लगा सकती है, परन्तु इस शुल्क की राशि उचित मूल्य एवं निर्यात मूल्य के अन्तर (margin of dumping) से अधिक नहीं होगी।

यदि यह शुल्क वापस नहीं लिया जाता तो लगाने की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष लागू रहेगा। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस अवधि को बढ़ा सकती है।

डम्पिंग का आशय

$$\boxed{\text{निर्यातक बाजार में सामान्य मूल्य}} > \boxed{\text{निर्यात मूल्य}} = \boxed{\text{मूल्यांतर}}$$

यह शुल्क अन्य सीमा शुल्कों से अतिरिक्त होगा।

GATT के ग्रावधानों के अनुरूप एण्टी डम्पिंग शुल्क की राशि मूल्यांतर की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।

एण्टी डम्पिंग शुल्क की गणना :

- (i) मार्जिन ऑफ डम्पिंग, या
- (ii) इंजरी मार्जिन(जो भी कम हो)

(a) **डिपिंग मार्जिन**—सामान्य मूल्य एवं निर्यात मूल्य के अन्तर को डिपिंग मार्जिन कहा जाता है, जिसको सामान्यतः निर्यात मूल्य के प्रतिशत रूप में व्यक्त किया जाता है :



(b) **निर्यात मूल्य**—भारत में आयातित माल के सम्बन्ध में निर्यातक द्वारा वसूल निर्यात मूल्य।

(c) **सामान्य मूल्य**—निर्यातक देश द्वारा सामान्य उपभोग के लिए वसूलनीय सामान्य व्यापारिक मूल्य।

शिक्षा एवं सैकेण्डरी शिक्षा उपकर का समाप्तन

वित्त अधिनियम, 2018 के द्वारा 2% शिक्षा उपकर एवं 1% उच्चतर शिक्षा उपकर का आयातित माल पर उद्ग्रहण समाप्त कर दिया गया है।

आयातित माल पर 'सामाजिक कल्याण अधिभार' (SOCIAL WELFARE SURCHARGE ON IMPORTED GOODS)

वित्त अधिनियम, 2018 से पूर्व 2% शिक्षा उपकर एवं 1% उच्चतर शिक्षा उपकर आयातित माल पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क पर प्रभावी था। दिनांक 02-02-2018 की प्रभावी तिथि से ऐसा शिक्षा उपकर विलोपित करके उसके स्थान पर, मूल सीमा शुल्क के 10% समकक्ष राशि "सामाजिक कल्याण अधिभार" (Social Welfare Surcharge) के रूप में भारत में आयातित माल पर लागू कर दी गयी। ऐसे अधिभार का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं के वित्त पोषण में किया जाना है।

"सामाजिक कल्याण अधिभार" (SWS) भारत में आयातित माल पर उद्ग्रहणीय सीमा शुल्कों एवं करों के योग पर 10% की दर से उद्ग्रहीत किया जाएगा। यद्यपि SWS की गणना के उद्देश्य के लिए निम्नांकित शुल्कों को छोड़ दिया जाएगा :

- (a) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8B के अधीन 'सुरक्षात्मक शुल्क' (Safe Guard Duty)
- (b) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 के अधीन 'प्रति शुल्क' [Countervailing Duty (CVD)]
- (c) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9A के अधीन 'एनटी डिपिंग इन्टरी' (Anti Dumping Duty)
- (d) आयातित माल पर उद्ग्रहणीय यही सामाजिक सुरक्षा अधिकार (SWS)

आयातित माल पर उद्ग्रहणीय 'इंटीग्रेटेड टैक्स' एवं 'जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर' पर 'सामाजिक सुरक्षा अधिभार' (SWS) प्रभावी नहीं होता है।

उदाहरण

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 83 के अधीन उद्ग्रहणीय 30% सुरक्षात्मक शुल्क (Safeguard Duty) सहित कुल देव सीमा शुल्क की राशि का निर्धारण निम्नांकित उपलब्ध सूचनाओं से कीजिए :

Determine the customs duty payable under the Customs Tariff Act, 1975, including the safeguard duty @ 30% under section 8B of the said Act with the following details available on hand :

(a)	शुल्क योग्य मूल्य (Assessable Value)	₹ 30,00,000
(b)	मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty)	10%
(c)	सामाजिक कल्याण अधिभार [Social Welfare Surcharge (SWS)]	10%
(d)	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अधीन उद्ग्रहणीय 'इंटीग्रेटेड टैक्स' [Integrated Tax under section 3(7) of the Customs Tariff Act, 1975]	12%

नोट—जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें।

Solution

Computation of Customs Duty Payable

	₹
Assessable Value	30,00,000
Basic Customs Duty ($\text{₹ } 30,00,000 \times 10\%$)	3,00,000
Social Welfare Surcharge ($30,00,000 \times 10\%$) (10% of Basic Customs Duty)	30,000
Integrated Tax u/s 3(7) of Customs Tariff Act, ($33,30,000 \times 12\%$)	3,99,600
Safeguard Duty @ 30% on Assessable Value	9,00,000
Total Customs Duty Payable	16,29,600

Notes :

- (1) Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty.
- (2) Integrated tax @ 12% on such of totals of Assessable Value, Basic Customs Duty and Social Welfare Surcharge
 $(30,00,000 + 3,00,000 + 30,000) \times 12\%$.
- (3) No education cess is levied now on imported goods.

(4) संरक्षणात्मक शुल्क

(PROTECTIVE DUTY) [Customs Tariff Act, 1975—धारा 6]

भारतीय उद्योगों के हित के संरक्षण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा यह शुल्क लगाया जाता है। टैरिफ आयोग द्वारा अनुशंसित दर पर सामान्यतः यह शुल्क निम्नांकित दो परिस्थितियों में लगाया जा सकता है :

1. आयातित माल अपेक्षाकृत सस्ता हो।
2. आयातित माल अधिक आकर्षक एवं अत्यधिक मात्रा में हो।

अतः घरेलू उद्योग के संरक्षण हेतु यह शुल्क इसलिए लगाया जाता है कि आयातित माल घरेलू माल से सस्ता नहीं रह सके। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को निम्नांकित शक्तियां प्राप्त हैं—

- (a) शुल्क के प्रभावित रहने की अवधि का निर्धारण
- (b) ऐसी अवधि में कमी या विस्तार करना
- (c) ऐसे शुल्क की प्रभावी दर को अर्थपूर्ण एवं उचित बनाना।

(5) बचावात्मक शुल्क

(SAFEGUARD DUTY) [Customs Tariff Act—धारा 8(B)]

यदि केन्द्रीय सरकार छानबीन करके सन्तुष्ट है कि किसी वस्तु का आयात बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को खतरा उत्पन्न हो गया है तो वह अधिसूचना जारी करके उस आयातित माल पर संरक्षण शुल्क लगा सकती है।

यदि केन्द्रीय सरकार को लगता है कि छानबीन करने में काफी समय लग सकता है तो अनंतिम (Provisional) संरक्षण शुल्क लगा सकती है, परन्तु अनंतिम संरक्षण शुल्क उस तिथि से जब यह लगाया गया है तो सौ से अधिक दिन प्रभावी नहीं रह सकता।

इसी प्रकार छानबीन करके लगाया गया संरक्षण शुल्क यदि वापस नहीं लिया जाता तो लगाने की तिथि से अधिकतम चार वर्ष तक लागू रहेगा। यदि केन्द्रीय सरकार चाहे तो इस अवधि को पुनः बढ़ा सकती है, परन्तु यह कुल अवधि दस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यह शुल्क अन्य सीमा शुल्कों से अतिरिक्त होगा।

संरक्षणात्मक सीमा शुल्क और बचावात्मक सीमा शुल्क में अन्तर
(Differences between Protective Custom Duty and Safeguard Custom Duty)

संरक्षणात्मक सीमा शुल्क (Protective Custom Duty) u/s 6 of CTA—1975	बचावात्मक सीमा शुल्क (Safeguard Custom Duty) u/s 8B of CTA—1975
यह शुल्क तब लगाया जाता है जब केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि भारतीय उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए तकाल कार्रवाई आवश्यक है। केन्द्र सरकार टैरिफ आयोग अधिनियम, 1951 के तहत स्थापित टैरिफ आयोग की सिफारिश पर ही इस तरह के शुल्क को लगा सकती है।	यह शुल्क तब लगाया जाता है जब केन्द्र सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि कोई वस्तु भारत में वड़ी मात्रा में आयात की गई है और ऐसे आयात के कारण घरेलू उद्योगों को गम्भीर खतरा पैदा हो गया है या भविष्य में हो सकता है। इस शुल्क को लगाने के लिए किसी भी आयोग की सिफारिश की आवश्यकता केन्द्र सरकार को नहीं होती। यह स्वयं ही इसे लगा सकती है।

(6) चीन से आयात पर उत्पाद विशिष्ट (Product Specific) संरक्षण शुल्क

(Customs Tariff Act—धारा 8(C))

यदि केन्द्रीय सरकार उचित जांच करके सन्तुष्ट हो जाती है कि किसी वस्तु का चीन से भारत में अधिक मात्रा में और ऐसी दशाओं में आयात किया जा रहा है जिससे घरेलू बाजार को खतरा उत्पन्न हो गया है, तो वह अधिसूचना जारी करके संरक्षण शुल्क लगा सकती है। इस सम्बन्ध में अन्य प्रावधान वर्षी हैं जो धारा 8(B) में बताए गए हैं।

(7) सहायता प्राप्त वस्तुओं पर प्रति शुल्क
[COUNTERVAILING DUTY (CVD) ON SUBSIDIZED ARTICLES]

[Customs Tariff Act—धारा 9]

यदि कोई देश अपने यहां उत्पादित वस्तुओं पर या उनके नियांत के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता (Subsidy) देता है तो ऐसी वस्तुओं के भारत में आयात होते समय केन्द्रीय सरकार CVD लगा सकती है, परन्तु CVD की गणि सहायता की गणि से अधिक नहीं होगी।

यदि यह शुल्क वापस नहीं लिया जाता तब लगाने की तिथि से अधिकतम पांच वर्ष तक प्रभावी रहेगा। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इस अवधि को बढ़ा सकती है। यह शुल्क भारतीय निर्माताओं को समान आधार (Level Playing) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लगाया जाता है।

सीमा शुल्क से छूट
(EXEMPTION FROM CUSTOMS DUTY)

केन्द्रीय सरकार की छूट की शक्तियां (Powers of Central Govt. to Grant Exemption)

(a) सामान्य छूट (General exemption)—यदि केन्द्रीय सरकार समझती है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है। राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी माल के आयात को सामान्य (विना शर्त या शर्तों महित) रूप से अथवा किसी विशिष्ट वर्णन वाले माल को उस पर उद्यग्रहणीय पूर्ण या आंशिक रूप से लागू सीमा शुल्क को मुक्त कर सकती है।

(b) विशिष्ट छूट (Special exemption)—यदि केन्द्रीय सरकार को सन्तुष्टि है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, शुल्क भुतान से छूट प्रदान कर सकती है, जो कि ऐसी अपवादजनक स्थिति में किया जाएगा, जिसका कि उल्लेख ऐसे आदेश में किया गया हो।

छूट के सम्बन्ध में तर्क (Rationale of exemption)

केन्द्रीय सरकार की छूट की शक्तियां संसद के सम्पूर्ण नियन्त्रण के अधीन हैं। सरकार तर्कपूर्ण आधार पर इस शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नांकित आधारों पर छूट स्वीकार कर सकती है :

(a) **नैतिक आधार**—जहां शुल्क अधिरोपित ही नहीं होना चाहिए। इसके कुछ उदाहरण हैं :

- (i) जहां माल भारत की भूमि पर ही नहीं पहुंचता है।
- (ii) माल भारत की भूमि पर तो पहुंचता है, परन्तु उपभोग के लिए उपलब्ध नहीं होता है।
- (iii) जहां माल को मार्ग में क्षति या हानि हो जाती है।

(b) **निर्यातीन प्रावधान**—जहां छूट का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था के विकास या नियन्त्रण के लिए किया जाता है।

पूर्ण छूट के उदाहरण

- (i) रेफ्रिजेरेटेड ट्रक/वाहन के निर्माण सम्बन्धी इकाइयां।
- (ii) हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर परियोजनाओं सम्बन्धी टनल वोरिंग मशीनों का निर्माण।
- (iii) मोबाइल फोन्स की ऐससरीज निर्माता इकाइयां।
- (iv) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर निर्माण में प्रयोजनीय निर्दिष्ट पूँजी माल/कच्चा माल।
- (v) वाढ़ पीड़ित केरल निवासियों के लिए भेजी जा रही राहत सामग्री/पुनर्वास सामग्री।

नियांत शुल्क
(EXPORT DUTY)

सामान्यतः नियांत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता वरन् इसे प्रोत्साहन दिया जाता है। वर्तमान में खाल, चमड़ा, हड्डी के नियांत पर 15% शुल्क लिया जाता है। सांप की खाल, चमड़ा एवं मेमने की खाल पर 10% नियांत शुल्क लगाया जाता है तथा अन्य किसी नियांत पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

प्रश्न
(QUESTIONS)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. 'सीमा शुल्क' से आपका क्या अभिप्राय है? भारत में सीमा शुल्क की प्रकृति एवं प्रकार लिखिए।
What do you mean by 'Customs Duty'? Write nature and types of Customs Duty in India.
2. सीमा शुल्क के दोष पर टिप्पणी लिखिए।
Write a note on demerits of Customs Duty.
3. सीमा शुल्क का अर्थ एवं महत्व लिखिए।
Write the mean and importance of Customs Duty.
4. सीमा शुल्क से आपका क्या अभिप्राय है? सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कितने प्रकार के सीमा शुल्क लगाए गये हैं?
What do you mean by Customs Duty? How many Customs Duties levied under Customs Duty Act?
5. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सीमा शुल्क की भूमिका पर एक निवन्ध लिखिए।
Write an essay on the role of Customs Duty in international trade.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)

संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए :

Write short notes on :

1. सीमा शुल्क।
Customs Duty.
2. एंटी-डम्पिंग इयूटी।
Anti-Dumping Duty.
3. संरक्षण शुल्क।
Protection Duty.
4. बचावात्मक शुल्क।
Safeguard Duty.
5. निर्यात शुल्क।
Export Duty.

2

सीमा शुल्क : महत्वपूर्ण परिभाषाएं [CUSTOMS DUTY : IMPORTANT DEFINITIONS]

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण शब्दों को परिभाषित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं :

1. हवाई जहाज (Aircraft)

हवाई जहाज का वही अर्थ होगा जैसा कि एयरक्राफ्ट अधिनियम, 1934 में उल्लिखित है। [धारा 2(1A)]

2. कर-निर्धारण (Assessment)

कर-निर्धारण में अस्थायी कर-निर्धारण, पुनः कर-निर्धारण तथा ऐसा कोई भी आदेश शामिल है जहां लगने वाला शुल्क भले ही शून्य हो। [धारा 2(2)]

3. सामान (Baggage)

विदेश यात्रा से लैटे या विदेशी यात्रियों द्वारा भारत में साथ में लाए जाने वाले सामान में यात्रियों के बिना साथ ले जाया जा रहा सामान शामिल है (लेकिन मीटर गाड़ियां छोड़कर)। [धारा 2(3)]

4. न्यायिक सत्ता (Adjudicating Authority)

इस अधिनियम के अन्तर्गत आदेश या निर्णय देने में समर्थ कोई सत्ता [लेकिन बोर्ड, कमिशनर (अपील) या अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं] [धारा 2(1)] जहां तक अपीलेट ट्रिब्यूनल का प्रश्न है इसका अर्थ है अधिनियम की धारा 129 के अन्तर्गत सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलेट न्यायिकरण [Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT)] [धारा 2(18)]। बोर्ड का अर्थ है सेण्ट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, 1963 (Central Board of Revenues Act, 1963) के अन्तर्गत गठित उत्पाद एवं सीमा शुल्क का केन्द्रीय बोर्ड (CBEC)। [धारा 2(6)]

5. तटवर्ती माल (Coastal Goods)

आयातित माल के अतिरिक्त माल, भारत में एक बन्दरगाह से दूसरे बन्दरगाह तक जहाज में ले जाया गया माल।

[धारा 2(7)]

6. सीमा शुल्क क्षेत्र (Customs Area)

सीमा शुल्क क्षेत्र से अभिप्राय है सीमा शुल्क स्टेशन तथा कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा निकास से पूर्व आयातित माल या निर्यातित माल साथारणतः रखा जाता है [धारा 2(11)]। सीमा शुल्क बन्दरगाह (Customs Port) का अर्थ है धारा 7(a) के अन्तर्गत निर्धारित कोई सीमा शुल्क बन्दरगाह के रूप में बन्दरगाह तथा ऐसा कोई स्थान जो आन्तरिक कार्टेनर डिपो के रूप में निश्चित हो [धारा 2(12)]। सीमा शुल्क स्टेशन (Customs Station) का अर्थ है, सीमा शुल्क बन्दरगाह, हवाई अड्डा या भूमि पर सीमा शुल्क स्टेशन। [धारा 2(13)]

7. शुल्क (Duty)

'शुल्क' का अर्थ इस अधिनियम के अन्तर्गत लगने वाले सीमा शुल्क से है [धारा 2(15)]। 'शुल्क-योग्य माल' (Dutiable Goods) ऐसा माल जिस पर शुल्क लगना है, लेकिन अभी चुकाया नहीं गया है। [धारा 2(14)]

8. माल के सम्बन्ध में प्रवेश (Entry)

माल के सम्बन्ध में प्रवेश (Entry) का अर्थ है एक प्रवेश विल, शिपिंग विल या निर्यात विल में की गई प्रविष्टि तथा इसमें आयातित तथा डाक द्वारा निर्यात किए जाने वाले माल के मामले भी शामिल हैं, धारा 82 में वर्णित प्रविष्टि या धारा 84 के नियमानुसार प्रविष्टि [धारा 2(16)]। माल के सन्दर्भ में परीक्षण (Examination) में शामिल हैं माल की माप तथा तोल।

[धारा 2(17)]

9. निर्यात

निर्यात (Export) का अर्थ है भारत से बाहर किसी स्थान पर माल को ले जाना।

[धारा 2(18)]

निर्यात माल (Export Goods) कोई माल जो भारत के बाहर किसी स्थान पर ले जाने के लिए भारत से बाहर ले जाया जाता है।

[धारा 2(19)]

निर्यातकर्ता (Exporter) किसी माल के सन्दर्भ में किसी भी समय निर्यात हेतु माल के प्रवेश तथा वह समय जब माल निर्यात किया जाता है, के बीच जिसमें शामिल है मालिक या स्वयं को निर्यातकर्ता बताने वाला कोई व्यक्ति।

[धारा 2(20)]

सरल शब्दों में, 'निर्यात' से अभिप्राय भारत के बाहर किसी स्थान अर्थात् विदेशों को माल भेजने से है। जो माल भारत से बाहर भेजा जाता है उसे निर्यात माल कहते हैं तथा ऐसा करने वाला निर्यातकर्ता कहलाता है।

10. कोष (Fund)

कोष का अर्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 12(c) के अन्तर्गत बनाए गए 'उपभोक्ता कल्याण कोष' से है।

[धारा 2(21A)]

11. माल (Goods)

माल (Goods) में शामिल हैं :

[धारा 2(22)]

- (अ) जलयान, वायुयान तथा गाड़ियां,
- (ब) स्टोर्स,
- (स) सामान,
- (द) मुद्रा तथा विनिमयसाध्य प्रपत्र,
- (य) अन्य किसी प्रकार की चल सम्पत्ति।

12. आयात

आयात (Import) का अर्थ भारत के बाहर किसी स्थान से माल भारत में लाना है।

[धारा 2(23)]

आयातित माल (Imported goods) से आशय ऐसे माल से है, जो भारत से बाहर के किसी स्थान से भारत में लाया गया है, लेकिन इसमें ऐसे माल शामिल नहीं हैं जो घरेलू उपयोग के लिए लाए गए हैं।

[धारा 2(24)]

आयातकर्ता (Importer) किसी माल के सन्दर्भ में किसी भी समय अपने आयात के समय तथा उस समय के बीच जब माल की घरेलू उपयोग के लिए निकासी की जाती है तथा इसमें शामिल है कोई भी मालिक या ऐसा व्यक्ति जो स्वयं को आयातकर्ता बताए।

[धारा 2(25)]

सरल शब्दों में, 'आयात' का अभिप्राय भारत के बाहर किसी स्थान (विदेशों) से माल लाने से है। आयातित माल के अन्तर्गत घरेलू उपयोग के लिए लाए गए माल के अतिरिक्त ऐसा माल आता है जो बाहर से लाया गया हो। भारत के बाहर से माल लाने वाला व्यक्ति आयातकर्ता कहलाता है।

13. बाजार मूल्य (Market Price)

किसी माल के सम्बन्ध में भारत के सामान्य व्यापार के दौरान माल का थोक मूल्य, बाजार मूल्य कहलाता है। [धारा 2(30)]

14. अधिकारी अथवा प्रभारी व्यक्ति (Person-in-charge)

[धारा 2(31)]

प्रभारी व्यक्ति में शामिल हैं :

- (अ) जलयान के मामले में जलयान का मास्टर,
- (ब) हवाई जहाज के मामले में कमाण्डर या वायुयान का प्रभारी पायलट,
- (स) रेलगाड़ी के मामले में कण्डक्टर, गार्ड या गाड़ी का मुख्य निर्देशन करने वाला अन्य कोई व्यक्ति,
- (द) अन्य किसी साधन के मामले में, चालक या अन्य कोई व्यक्ति जो गाड़ी का प्रभारी रहे।

15. निषिद्ध माल (Prohibited Goods)

कोई माल जिसका आयात अथवा निर्यात इस अधिनियम या तत्कालीन प्रचलित किसी अन्य विधान के अन्तर्गत प्रतिवन्धित हो। लेकिन इसमें ऐसा माल समिलित नहीं है जिसके बारे में ऐसी शर्तें जो निर्यात या आयात करने के लिए पूरी की जानी चाहिए, पूरी कर दी गई हों। [धारा 2(33)]

16. समुचित अधिकारी (Proper Officer)

समुचित अधिकारी से अभिग्राय इस अधिनियम के अन्तर्गत पूरे किए जाने वाले किन्हीं कार्यों के सम्बन्ध में सीमा शुल्क का कोई अधिकारी जो उन कार्यों को पूरा करने के लिए बोर्ड द्वारा या कस्टम आयुक्त द्वारा प्रभारित किया जाए। [धारा 2(34)]

17. स्टोर्स (Stores)

स्टोर्स से आशय है कि किसी जल्यान या वायुयान में प्रयोग हेतु माल जिसमें शामिल हैं ईंधन तथा स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य उपकरणों के सामान, चाहे वे एकदम फिटिंग के लिए हैं या नहीं। [धारा 2(38)]

18. तस्करी (Smuggling)

किसी माल के सन्दर्भ में तस्करी से तात्पर्य कोई ऐसी कार्यवाही या भूल, जो ऐसे माल को (धारा 111 या 113 के अन्तर्गत) जब करने योग्य बना दे। [धारा 2(39)]

19. मूल्य (Value)

किसी माल के सन्दर्भ में धारा 14(1) के प्रावधानों के अनुसार निकाला गया उसका मूल्य [धारा 2(41)], टैरिफ मूल्य (Tariff Value), किसी माल के सन्दर्भ में धारा 14(2) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्कयोग्य मूल्य। [धारा 2(40)]

20. वाहन (Vehicles)

भूमि पर प्रयुक्त किसी भी प्रकार का वाहन तथा इसमें रेलवे वाहन शामिल हैं। [धारा 2(42)]

21. गोदाम में माल (Warehoused Goods)

गोदाम में माल का अर्थ है गोदाम में कराया गया माल [धारा 2(44)]। गोदाम (warehouse) अर्थात् धारा 57 के अन्तर्गत निर्मित सार्वजनिक गोदाम तथा धारा 58 के अन्तर्गत लाइसेंसशुदा एक निजी गोदाम [धारा 2(43)]। गोदाम स्थल (Warehousing Station) अर्थात् धारा 9 के अन्तर्गत घोषित गोदामी स्टेशन के रूप में कोई स्थल। [धारा 2(45)]

22. विदेश जाने वाले जल्यान तथा वायुयान (Foreign going Vessels or Aircraft)

कोई ऐसा जल्यान या वायुयान जो भारत में किसी हवाई अड्डे या बन्दरगाह के बीच माल या यात्रियों के आवागमन में लगा हो चाहे वह भारत में किसी मध्यवर्ती बन्दरगाह या हवाई अड्डे से होकर जाए या नहीं। इसमें शामिल हैं—(i) किसी विदेशी सरकार का कोई नौसैनिक यान जो किसी नौसैनिक गतिविधि में भाग ले, (ii) भारत की क्षेत्रीय जल सीमा के बाहर मछली पकड़ने या अन्य किसी गतिविधि में संलग्न जल्यान, और (iii) कोई जल्यान या वायुयान जो किसी अन्य उद्देश्य हेतु भारत के बाहर किसी स्थान की ओर जा रहा हो।

23. अपीलीय ट्रिब्यूनल (Appellate Tribunal)

धारा 129 के अन्तर्गत गठित 'सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर अपीलेट ट्रिब्यूनल' (The Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, CESTAT) से है।

शुल्कयोग्य माल

(DUTIABLE GOODS)

[धारा 12]

सीमा शुल्क भारत में आयातित माल एवं भारत से निर्यातित माल पर लगाया जाता है।

करयोग्य घटना (Taxable event)—सीमा शुल्क का उद्यग्रहण माल के भारत में आयात या निर्यात पर होता है। सीमा शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 प्रभारी धारा (Charging section) है।

धारा 12 के प्रावधान इस प्रकार हैं :

(अ) सीमा शुल्क का उद्यग्रहण भारत में आयात किये गये माल अथवा भारत से निर्यात किये गये माल पर होता है।

(ब) सीमा शुल्क की दरें सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में प्रदान की गई हैं।

(स) यदि सीमा शुल्क की दरें तत्समय के लिये प्रभावी अन्य किसी विधान के अन्तर्गत निर्दिष्ट कर दी गई हैं, तो, शुल्क का उद्यग्रहण उस दर के अनुसार होगा।

(द) सीमा शुल्क के प्रावधान सरकारी माल पर उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार वे गैर-सरकारी माल पर लागू होते हैं।

(य) इस अधिनियम के अन्तर्गत या किसी अन्य विधान के अन्तर्गत कुछ अपवाद हैं जहां सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है।

धारा 2(14) के अनुसार, ‘शुल्कयोग्य माल’ किसी भी प्रकार का माल है जिस पर शुल्क उद्गृहीत होता है और शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।

अतः कोई भी माल ‘शुल्कयोग्य’ कहलाता है जब तक वह बन्दरगाह से निकल नहीं जाता। तथापि यदि माल पर शून्य दर से शुल्क निर्धारित हो जाता है, तो वह शुल्कयोग्य माल नहीं रहता है। आयातित एवं निर्यातित दोनों प्रकार के माल ‘शुल्कयोग्य माल’ हो सकते हैं। यदि ऐसे माल पर कोई शुल्क लागू नहीं होता तो उन्हें ‘शुल्कयोग्य माल’ नहीं कहा जायेगा।

माल आयात के संदर्भ में करयोग्य घटना (Taxable Event in Case of Importation)—धारा 12 के अन्तर्गत सीमा शुल्क भारत में आयात या निर्यात करने पर लगाया जाता है। उच्चतम न्यायालय के UOI vs. Apar Pvt. Ltd. के महत्वपूर्ण निर्णय से पूर्व, करयोग्य घटना को ज्ञात करने के मामले में कई विवाद उठे व प्रत्येक न्यायिक एवं अन्द्र न्यायिक (quasi-judicial) अधिकारियों के मत भी अलग-अलग होने के कारण इस संदर्भ में अनिश्चितता बनी रही। अधिकांश अधिकारियों का यह मानना था कि करयोग्य घटना उस क्षण मानी जायेगी जब माल भारत के जल सीमा क्षेत्र को पार कर लेता है।

किन्तु उच्चतम न्यायालय ने UOI vs. Apar Pvt. Ltd. के वाद में महत्वपूर्ण निर्णय देकर इस अनिश्चितता का समाधान किया है। इस निर्णय के अनुसार—

माल का आयात तब प्रारम्भ होता है जब जहाज भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र (Territorial Waters) को पार करता है, परन्तु माल का आयात तब समाप्त हुआ माना जायेगा जब इसके संदर्भ में प्रवेश विल (Bill of Entry) दाखिल कर दिया गया है एवं माल भारत के कस्टम बैरियर (Custom Barrier) को पार करता है।

Garden Silk Mills vs. UOI के वाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने उपर्युक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए यह निर्णय दिया कि—

भारत के राज्यक्षेत्रीय समुद्र को पार करते ही माल के आयात की प्रक्रिया प्रारम्भ होती है, किन्तु यह प्रक्रिया समाप्त तब होती है जब माल देश के सामानों के समूह का एक भाग बन जाता है अर्थात् जब घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश विल (Bill of Entry) दाखिल कर दी जाती है।

माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने की तिथि

(DATE FOR DETERMINATION OF RATE OF DUTY AND TARIFF VALUATION)

(1) आयात किये गये माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने की तिथि (Date for determination of rate of duty and tariff valuation in case of imported goods)—(धारा 15)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 15 वहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे यह ज्ञात होता है कि आयातित माल पर सीमा शुल्क की क्या दर लगेगी।

धारा 15 के अनुसार आयात किये गये माल पर शुल्क की दर एवं टैरिफ मूल्यांकन निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाएगा—

(अ) घरेलू उपभोग के प्रवेश विल के संदर्भ में सुसंगत तिथि—यदि माल का प्रवेश विल धारा 46 के अन्तर्गत स्वयं उपभोग के लिये प्राप्त हुआ है, तो, जिस दिन ऐसे माल के सम्बन्ध में प्रवेश विल (Bill of Entry) धारा 46 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है उस तिथि की प्रभावी शुल्क की दर लगेगी तथा उस तिथि को टैरिफ मूल्यांकन होगा।

परन्तु यदि जहाज या वायुयान के आगमन से पूर्व ही प्रवेश विल दे दिया गया है तो जिस दिन जहाज का प्रवेश हुआ है या वायुयान का आगमन हुआ है, प्रवेश विल उसी दिन का माना जायेगा।

उच्चतम न्यायालय ने UOV vs. Apar Pvt. Ltd. के वाद में यह निर्णय दिया कि आयात किये गये माल के टैरिफ मूल्यांकन तथा शुल्क की दर निर्धारण करने हेतु यदि माल के सन्दर्भ में धारा 46 के अन्तर्गत घरेलू उपभोग का प्रवेश विल दिया गया है तो—

(i) प्रवेश विल की तिथि; या

(ii) जहाज या वायुयान के आगमन (Entry Inward) की तिथि;

जो भी दोनों में से वाद में हो, वह ली जायेगी।

उदाहरण के लिए, यदि प्रवेश विल 25.10.2015 को प्रस्तुत कर दिया गया है व तब माल पर शून्य दर से शुल्क लग रहा था, एवं जहाज का आगमन (Entry Inward) 29.10.2015 को होता है जिस दिन सीमा शुल्क की दर 10 प्रतिशत है, तो, इस मामले में आयातित माल पर 10 प्रतिशत की दर से शुल्क लगेगा।

आन्तरिक प्रवेश की तिथि (Date of Entry Inwards) : धारा 15 को समझने के लिए ‘Date of Entry Inwards’ (आन्तरिक प्रवेश की तिथि) को समझना जरूरी है। धारा 15 के अन्तर्गत शुल्क की दर व टैरिफ मूल्यांकन ज्ञात करने हेतु सुसंगत तिथि आन्तरिक प्रवेश की तिथि मानी गई है।

वहां पर “Date of Entry Inwards” से तात्पर्य उस तिथि से है जब जहाज के आगमन को विभाग द्वारा सीमा शुल्क रजिस्टर में दर्ज किया जाता है, न कि जहाज के आगमन की तिथि।

(व) गोदामित माल के संदर्भ में सुसंगत तिथि—गोदामित माल के संदर्भ में माल का टैरिफ मूल्यांकन एवं शुल्क दर उस दिन की प्रभावी मानी जायेगी जब घरेलू उपभोग के लिए निकासी हेतु Ex-Bond प्रवेश बिल प्रस्तुत किया गया है।


सर्वोच्च न्यायालय ने Kesoram Rayon vs. Collector के बाद में निर्णय दिया है कि यदि माल को गोदाम से नहीं हटाया गया हो, जब कि माल को गोदाम में रखने की अवधि समाप्त हो गई है, तो यह मान लिया जायेगा कि माल की गोदाम से निकासी उस दिन हो गई है जिस दिन यह अवधि समाप्त होती है एवं उस दिन की शुल्क दर लगेगी।

(स) अन्य किसी परिस्थिति में—अन्य किसी परिस्थिति में जिस दिन शुल्क का भुगतान किया जाता है उस दिन की दर लगेगी।
नोट : धारा 15 के प्रावधान बैगेज तथा डाक धारा आयातित माल पर लागू नहीं होते।

(२) निर्यात माल के लिये शुल्क दर निर्धारण एवं टैरिफ मूल्यांकन करने की तिथि (Date for determination of rate of duty and tariff valuation in case of export goods)—किसी भी निर्यात माल पर लागू शुल्क दर तथा टैरिफ मूल्यांकन निम्न प्रकार होंगा :

(अ) यदि निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया है : यदि धारा 50 के अन्तर्गत निर्यात बिल (Shipping Bill) प्रस्तुत किया गया है तो जिस दिन धारा 51 के अन्तर्गत निर्यात हेतु माल को लदवाने तथा निकासी की स्वीकृति देने का उचित अधिकारी ने आदेश दिया है, उस दिन टैरिफ मूल्यांकन होगा तथा उस दिन की प्रभावी शुल्क दर लगेगी।

(ब) अन्य किसी परिस्थिति में—अन्य किसी माल के लिये जिस दिन शुल्क का भुगतान होगा उस दिन की प्रभावी तिथि मानी जायेगी।



माल के आयात एवं निर्यात पर निषेध

(PROHIBITION OF IMPORT AND EXPORT OF GOODS)

(धारा 11)

केन्द्रीय सरकार निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किसी माल का आयात एवं निर्यात निपट्दा कर सकती है :

- (१) भारत की सुरक्षा का अनुरक्षण (Maintenance of security of India);
- (२) लोक व्यवस्था एवं मर्यादा या नैतिकता का अनुरक्षण;
- (३) तस्करी गोकर्ने के लिए;
- (४) किसी माल की कमी को गोकर्ने के लिए;
- (५) विदेशी मुद्रा को बचाने तथा भुगतान सन्तुलन बनाए रखने के लिए;
- (६) देश की अर्थव्यवस्था को सोना या चांदी के अनियन्त्रित आयात या निर्यात से होने वाली हानि को गोकर्ने के लिए;
- (७) किसी कृषि उत्पाद या मछली उत्पाद के आधिकार्य को गोकर्ने के लिए;
- (८) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में माल का वर्गीकरण, श्रेणीकरण या विपणन हेतु मानदण्डों का अनुरक्षण;
- (९) किसी उद्योग की स्थापना;

- (10) किसी विवरण के माल के घरेलू उत्पादन के समक्ष गम्भीर नुकसान को रोकना;
- (11) मनुष्य, पशु या बनस्पति (plant) जीवन अथवा स्वास्थ्य की रक्षा;
- (12) कलात्मक, ऐतिहासिक अथवा पुरातत्व के महत्व की राष्ट्रीय सम्पदा की रक्षा;
- (13) खत्म होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को बचाना;
- (14) पैटेंट, ट्रेडमार्क एवं कॉपीराइट की रक्षा करना;
- (15) धोखाधड़ी (deceptive) के व्यवहारों को रोकने के लिए;
- (16) सरकार अथवा सरकार द्वारा नियन्त्रित अथवा स्वामित्वाधीन किसी निगम द्वारा किसी माल के विदेशी व्यापार को चलाने हेतु;
- (17) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा बनाए रखने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अधीन दायित्वों को पूरा करना;
- (18) किसी देश के साथ की गई सम्झौता या परस्परा का पालन करना;
- (19) आयातित माल पर उन्हीं कानूनों का पालन करना जो भारत में उत्पादित अथवा निर्मित माल पर लागू होते हैं;
- (20) ऐसे प्रपत्रों के प्रसार (dissemination) को रोकना, जिनसे किसी दूसरे देश से मित्रवत् सम्बन्धों में विपरीत असर पड़ सकता हो अथवा जो राष्ट्रीय सम्पान के विरुद्ध हो;
- (21) देश में प्रचलित किसी कानून की अवमनना रोकने के लिए; एवं
- (22) सर्वसाधारण के हितार्थ अन्य किसी उद्देश्य के लिए।

आयात के नियमन के लिए आयात को कुछ विशेष अर्थों में समझना आवश्यक है, उसी के अनुसार माल का वर्गीकरण, शुल्क निर्धारण, निर्यातक देश से सम्बन्ध, आदि तथ्यों पर भी ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है।

स्वतन्त्र आयात

(FREE IMPORT)

आयात-निर्यात नीति की संरचना एवं परिचलन वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में होता है। विदेशी व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत घोषित आयात-निर्यात नीति (Exim Policy) उदागवादी विचारधारा पर आधारित है। वर्तमान नीति में मूल रूप में सभी आयात एवं निर्यात स्वतन्त्र (Free) हैं सिवाय कुछ ऐसी वस्तुओं के जिन्हें विभिन्न उद्देश्य से नकारात्मक सूची (Negative List) में रखा गया है। आयात वास्तविक प्रयोगकर्ता या व्यापारी द्वारा किया जा सकता है।

प्रतिबन्धात्मक आयात

(RESTRICTED IMPORT)

मूल रूप से सभी प्रकार के आयात (OGL) के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से आयात किए जा सकते हैं। आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं का आयात प्रतिबन्धित है जिनके आयात के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता होती है। ऐसे लाइसेन्स आयातित माल की मात्रा, मूल्य, Value addition या निर्यात देश से व्यापार सम्बन्ध के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। ऐसे लाइसेन्स केवल 'वास्तविक प्रयोगकर्ता' को ही दिए जा सकते हैं।

प्रतिबन्धित माल

- कृषि उत्पाद जैसे—गेहूं, चावल, मक्का, नारियल, तेल गोला, आदि के आयात State Trading Corporation द्वारा किए जा सकते हैं।
- खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित वस्तुएं Food Adulteration Act एवं नियमों के अन्तर्गत गोशत तथा पोल्ट्री उत्पाद Meat Product Order के मापदण्डों के अनुसार होने चाहिए।
- निषेधात्मक रंगों के प्रयोग युक्त कपड़े का आयात नहीं किया जा सकता है।
- तीन वर्ष से अधिक पुरानी कारों का आयात निषेध है साथ ही ऐसी आयातित कारों का न्यूनतम पांच वर्ष कार्यशील जीवन शेष रहना आवश्यक है। इन्हें भारतीय मोटरवाहन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। आयातित कारों पर शुल्क की दर 105% रखी गई है।
- नई कारें निर्माता देशों से ही सीधी आयात की जा सकती हैं, जो भारतीय मोटरवाहन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप हों। ये कारें Sports उद्देश्य के लिए 100% आयात शुल्क के साथ आयात की जा सकती हैं।
- शराब तथा ऐल्कोहॉल युक्त पेय पदार्थों का आयात राज्य द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों के पूरा करने पर ही किया जा सकता है।
- पूर्व प्रयुक्त पूंजीगत माल जो दस वर्ष से कम पुराना है आयात किया जा सकता है।

CANALISED IMPORT

- कुछ मालों का आयात केवल मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है, जैसे :
- (अ) पेट्रोलियम पदार्थों का आयात Indian Oil Corp. द्वारा,
 - (ब) यूरिया का आयात STC, Indian Potash Ltd. तथा MMTC द्वारा,
 - (स) खाद्यान्नों का आयात Food Corporation of India द्वारा,
 - (द) नारियल तथा उनका कच्चा तेल State Trading Corp. द्वारा।

निषेधित माल

(PROHIBITED GOODS)

शब्द 'निषेधित माल' को धारा 2(33) के अधीन परिभाषित करते हुए कहा गया है। "कोई माल जिसका आयात या निर्यात इस अधिनियम के अधीन अथवा अन्य किसी तत्समय प्रभावी किसी विधान के अधीन निषेधित है, परन्तु इसमें ऐसा माल शामिल नहीं है, जिसे किसी शर्तों के अधीन आयातित या निर्यातित किया जा सकता है।"

इस परिभाषा के प्रमुख अंग हैं :

- (a) कोई माल, जिसका आयात/निर्यात निषेधित है,
- (b) इस अधिनियम या ताक़ालिक प्रभावी किसी विधान के अधीन,
- (c) परन्तु ऐसा माल शामिल नहीं है, जिसका किसी शर्तों के अधीन आयात/निर्यात किया जा सकता हो।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न अधिसूचनाएं निर्गमित की जाती रही हैं। निषेधित आयात की कुछ मर्दें हैं। (a) करेंसी नोट के प्रारूप में कोई लेबल लगा हो, (b) नकली पिस्तौल, (c) विस्फोटक पदार्थ, (d) मृत या जीवित पशु या पक्षी, (e) नशाकारक दवाएं, (f) अस्त्र-शस्त्र, (g) नकली मुद्रा/साथ ही अनेक पुस्तकों एवं प्रकाशनों का आयात भी निषेधित है।

अधिसूचित माल

(NOTIFIED GOODS)

यद्यपि भारत में आयातित सभी माल का हिसाब रखना असम्भव है, तथापि कुछ संदेहजनक एवं तस्करी योग्य कुछ माल पर नजर रखी जा सकती है। यदि ऐसे माल पर कुछ नियन्त्रण भी रखा जाता है, इससे तस्करी में कमी आ सकती है। इस उद्देश्य से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IVA के अधीन 'अधिसूचित माल' की अवधारणा शामिल की गई है, जिसके अन्तर्गत धारा 11A से धारा 11G के अधीन ऐसी तस्करी को रोका गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया 'अधिसूचित माल' (अवैध आयात पर रोक) नियमावली 1969 में निर्धारित है।

वर्तमान में कोई माल अधिसूचित नहीं है—धारा 11A(d) के अधीन अधिसूचित माल वह है, जिसको धारा 11B के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो। वर्तमान में कोई भी माल अधिसूचित नहीं है।

विशिष्ट माल

(SPECIFIED GOODS)

अवैध आयात की रोकथाम के लिए अधिसूचित माल की भाँति विशिष्ट माल सम्बन्धी प्रावधान बनाए गए हैं। धारा 11-I के अधीन केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना द्वारा विशिष्ट माल धोखित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। निषेध प्रावधान तभी लागू होते हैं, जब माल 'विशिष्ट क्षेत्र' में परिवहित अथवा संगृहीत किया जाता है।

वर्तमान में केवल 'एसीटिक एनहाइड्राइड' (Acetic Anhydride) को विशिष्ट माल के रूप में भारत-पाकिस्तान और भारत-न्यामार सीमाओं के लिए अधिसूचित किया गया है।

आयात रिपोर्ट

(IMPORT MANIFEST)

जब आयात किया जाने वाला माल कस्टम स्टेशन/क्षेत्र या बन्दरगाह में प्रवेश करता है तब हवाई जहाज, शिप या अन्य वाहन का इन्चार्ज कस्टम अधिकारियों के समक्ष आयातित माल का विवरण एक निर्धारित प्रारूप में पेश करता है तो इसे आयात रिपोर्ट कहा जाता है। यह फ्लोपी द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। हवाई जहाज द्वारा आयात की दशा में 12 घण्टे के अन्दर तथा शिप द्वारा आयात की दशा में 24 घण्टे के अन्दर यह विवरण दाखिल किया जाता है। निर्धारित समय में यह विवरण न दाखिल करने पर 50,000 ₹ तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। 'Import Manifest' में उस आयातित माल का विवरण दिया

होता है जिसे उस विशेष कस्टम स्टेशन पर उतारा जाना है। सद्रभावनावश विना किसी कपटपूर्ण उद्देश्य के बदि इस प्रपत्र में त्रुटि हो गई है तो उसमें संशोधन भी किया जा सकता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 30(1) के अनुसार यह रिपोर्ट Ship या वाहन के आगमन से पूर्व जमा करनी चाहिए जिससे अधिकतम औपचारिकताएं पूरी करके Bill of Entry को अग्रिम पूरा किया जा सके। आयात रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा भी दाखिल की जा सकती है।

निर्यात रिपोर्ट (EXPORT MANIFEST)

Export Manifest/Report निर्यात की दशा में हवाई जहाज, शिप अथवा अन्य वाहन के इन्वार्ज द्वारा निर्धारित प्रारूप में एक घोषणा है कि इस विवरण में उल्लिखित माल निर्यात के लिए प्रस्थान करने को तैयार है। इसमें माल से सम्बन्धित वही विवरण होते हैं जो 'Import Manifest' में होते हैं। एक निर्धारित समय में यह विवरण दाखिल न करने पर 50,000 ₹ तक अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। दो प्रतियों में एवं निर्धारित प्रारूप में यह रिपोर्ट वाहन इन्वार्ज द्वारा सत्य एवं पूर्ण घोषित की जाएगी। सद्रभावना के साथ विना कपटपूर्ण उद्देश्य से इसमें त्रुटि सुधार हेतु आवश्यक संशोधन भी किया जा सकता है। यात्री के साथ लगेज के सम्बन्ध में यह आवश्यक नहीं है।

[सीमा शुल्क अधिनियम—धारा 41]

प्रश्न

(QUESTIONS)

1. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2 के अनुसार निम्न शब्दों की परिभाषा दीजिए :
Define the following terms as per Section 2 of the Customs Act :
 - (i) यात्री सामान (Baggage);
 - (ii) तटीय माल (Coastal goods);
 - (iii) सीमा शुल्क क्षेत्र (Customs area);
 - (iv) शुल्कयाग्य माल (Dutiable goods);
 - (v) प्रमारी व्यक्ति (Person-in-charge)।
2. सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार निम्न शब्दों को समझाइए :
Explain the following terms of the Customs Act :
 - (i) आयात (Import);
 - (ii) निर्यात (Export);
 - (iii) माल (Goods);
 - (iv) आयातित माल (Imported goods);
 - (v) यान सामग्री (Stores)।
3. टिप्पणी लिखिए :
 - (i) आयात रिपोर्ट (Import Menifest);
 - (ii) निर्यात रिपोर्ट (Export Menifest);
 - (iii) निषेधित माल (Prohibited Goods);
 - (iv) विदेश गमनीय यान (Foreign going vessel or Aircraft)।

3

सीमा शुल्क के लिए मूल्यांकन नियम [VALUATION RULES FOR CUSTOMS DUTY]

वाणिज्यिक शब्दावली

(COMMERCIAL TERMS)

1. बीजक (Invoice)—माल के क्रय-विक्रय की स्थिति में निर्मांकित आवश्यक विवरण प्रस्तुतकर्ता यह एक प्राथमिक आवश्यक प्रपत्र है।

- (a) माल की मात्रा एवं इकाई मूल्य;
- (b) कटौती एवं शुद्ध मूल्य;
- (c) प्रेषक/प्रेपिती नाम, पता इत्यादि;
- (d) भुगतान सम्बन्धी विवरण;
- (e) माल की पूर्ति का अनुवन्नीय आधार।

2. उद्गम का प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin)—निर्माता देश की सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गमित, जिसमें उसके देश में निर्माण की सीमा (Extent) को घोषित किया गया हो।

3. जहाजी विल्टी (Bill of Lading)—माल के बाहक द्वारा निर्गमनीय विनिमय साध्य प्रपत्र, जिसमें निर्मांकित विवरण अवश्य उल्लिखित होंगे :

- (a) लदान का बन्दरगाह;
- (b) प्रेषण में शामिल नगों की संख्या;
- (c) पैकिंगों पर चिह्न एवं संख्या;
- (d) मालवाहक जलयान का नाम एवं अन्य विवरण;
- (e) माल के प्रेपिती का नाम, पता आदि;
- (f) भाड़ा चुकता अथवा गन्तव्य पर वसूलनीय।

4. वायुयान गेषण प्रपत्र (Air Consignment Note)—जहाजी विल्टी के समान यह ऐसा प्रपत्र है जो कि वायुयान द्वारा माल के आयात की स्थिति में वायुयान कम्पनी द्वारा निर्गमित किया जाता है।

5. इन्डेंट (Indent)—यह ऐसा प्रपत्र है, जिसमें क्रेता द्वारा प्रेषित आदेश के अधीन प्रेषण को सामान्यतः निर्मांकित विवरण होते हैं :

- (i) माल का विस्तृत विवरण;
- (ii) इकाई मूल्य एवं अपेक्षित मात्रा;
- (iii) भुगतान की विधि/पद्धति;
- (iv) सुपुर्दगी निर्देश।

6. निर्ख (Quotation)—क्रेता द्वारा भेजे गए आदेश के प्रत्युत्तर में पूर्तिकर्ता (विक्रेता) द्वारा प्रेषित प्रपत्र, जिसमें अपेक्षित शर्तों एवं उपबन्धों का उल्लेख पाया जाता है।

7. मेट की रसीद (Mate's Receipt)—जलयान के प्रथम अधिकारी द्वारा माल के लदान पश्चात् एक रसीद निर्गमित की जाती है, जिसमें प्राप्त माल की मात्रा प्रमाणित की जाती है। इसी प्रपत्र के आधार पर जहाजी विल्टी का निर्गमन किया जाता है।

8. बोट/लाइटरेज व्यय (Boat/Lighterage Charge)—कभी-कभी जहाज को बन्दरगाह की गोदी (Dock) में तुरन्त/निकट प्रवेश का अवसर प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में माल को जहाज से किनारे तक छोटी नौकाओं द्वारा भेजा जाता है। इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय लाइटरेज व्यय कहलाते हैं।

विदेश व्यापार में प्रयुक्त मूल्य सम्बन्धी शब्दावली

(TERMS USED IN FOREIGN TRADE RELATED PRICING)

1. एक्स फैक्टरी मूल्य (Ex-Factory Price)—कारखाने पर माल की उपलब्धि की शर्त के साथ उल्लेखनीय मूल्य, जिसमें माल के उत्पादन/निर्माण की लागत के साथ लाभ शामिल रहता है।

2. एफ. ए. एस. (Free Alongside)—इस प्रकार के मूल्य के अधीन निर्यातीय माल की उपलब्धि जलयान के निकट, लदान के लिए तैयार स्थिति में कराई जाती है। इसमें एक्स फैक्टरी + स्थानीय भाड़ा एवं कर शामिल होते हैं।

3. फ्री ऑन बोर्ड (Free on Board) (F. O. B.)—तकनीकी रूप से FAS तथा F. O. B. में कोई विशेष अन्तर नहीं होता है। F. O. B. में माल बन्दरगाह पर जहाज पर लदान कर दिया जाता है। इसमें FAS + लदान व्यय + नियंत शुल्क शामिल होता है।

4. C.I.F. (लागत बीमा भाड़ा) (Cost Insurance Freights)—ऐसी लागत या मूल्य में माल आयातक के बन्दरगाह पर सुपुर्द किया जाता है। इसमें माल सम्बन्धी सभी लागतें शामिल होती हैं।

सीमा शुल्क के निर्धारण के लिए शुल्कयोग्य माल का मूल्यांकन अति आवश्यक है। इसी मूल्यांकन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर सीमा शुल्क आरोपित किया जाता है।

सीमा शुल्क मूल्यांकन

(VALUATION UNDER CUSTOMS)

(1) टैरिफ मूल्य (Tariff Value)—किसी माल का टैरिफ मूल्य अर्थात् शुल्कयोग्य मूल्य का निर्धारण एक निश्चित मूल्य के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार के मूल्य निर्धारण में अन्य समान वस्तु के मूल्य को ध्यान में रखा जाता है। एक बार मूल्य निर्धारित हो जाने पर ‘Customs Tariff Act’ में निर्धारित दर से एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर ऐसे मूल्य पर सीमा शुल्क लगाया जाता है।

WTO के अन्तर्गत इस प्रकार मूल्य निर्धारण स्वीकार्य नहीं है फिर भी यह प्रावधान धारा 14(2) के अन्तर्गत सीमा शुल्क अधिनियम में दिया गया है यद्यपि इसका प्रयोग नहीं किया जाता है।

(2) कस्टम मूल्यांकन (Customs Value)—धारा 14(1) के अनुसार सीमा शुल्क निर्धारण के उद्देश्य के लिए मूल्यांकन निम्न तथ्यों के आधार पर किया जाता है :

- ऐसे माल का सामान्य विक्रय मूल्य;
- आयात/निर्यात के स्थान तक की सुपुर्दगी लागत;
- अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रचलित मूल्य;
- क्रेता तथा विक्रेता का एक-दूसरे के व्यापार में हित न हो;
- मूल्य विक्रय का एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए;
- प्रवेश विल (Bill of Entry) की प्रस्तुति के दिन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित विनिमय दर।

सीमा शुल्क मूल्यांकन के महत्वपूर्ण तथ्य

(IMPORTANT INGREDIENTS OF CUSTOMS VALUATION)

धारा 14(1) का विश्लेषण करने पर इसके महत्वपूर्ण तथ्यांकित हैं—

धारा 14 के अनुसार मूल्यांकन (Valuation under Section 14)—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 अथवा अन्य किसी विधि में (चाहे शुल्क उद्ग्रहण अथवा अन्य किसी उद्देश्यों के लिए) माल का मूल्यांकन हमेशा धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार होगा जो कि मूल्यांकन की प्रमुख प्रभावी धारा है।

संव्यवहार मूल्य ही मूल्यांकन (Value is the Transaction Value)—माल का मूल्यांकन संव्यवहार मूल्य ही है। अतः सभी उद्देश्यों के लिए आयातित एवं निर्यात माल का मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा। यद्यपि ऐसा मूल्य परिस्थितियों अनुसार समायोजित किया जा सकता है।

संव्यवहार मूल्य वास्तव में चुकाया गया अथवा चुकायी जाने वाला मूल्य है (Transaction Value is price actually Paid or Payable)—संव्यवहार मूल्य माल के विक्रय पर वास्तव में चुकायी गयी अथवा चुकाया जाने वाला मूल्य है। अतः माल का मूल्य संव्यवहार मूल्य होने के लिए माल का विक्रय एक आवश्यक तत्व है। आयात/निर्यात किसी विक्रय के प्रसंविद के अन्तर्गत क्रियान्वित होना आवश्यक है।

मूल्य माल की सुपुर्दगी के समय होना चाहिए (The Price should be at the time of delivery)—सुपुर्दगी से आशय उस समय से है जब आयातित माल की भौतिक सुपुर्दगी आयातक को दी जाती है अथवा निर्यात माल की भौतिक सुपुर्दगी विदेशी आयातक को दी जाती है।

आयातित माल की दशा में माल की भौतिक सुपुर्दगी तभी हो सकती है जब इस सम्बन्ध में प्रवेश विल दाखिल कर दिया गया है एवं इस माल का मूल्य उस समय का सुसंगत होगा, अर्थात् इसमें वे सभी खर्च शामिल होंगे, जो कि माल की सुपुर्दगी होने तक व्यय किये गये हैं।

क्रेता एवं विक्रेता सम्बद्धित व्यक्ति नहीं (The buyer and seller must not be related)—क्रेता एवं विक्रेता आपस में असम्बन्धी होने चाहिए, क्योंकि प्रतिफल की पूर्णता के लिए किसी पक्षद्वारा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे के हित में कोई कार्य या भुगतान नहीं होना आवश्यक शर्त होती है।

मूल्य ही विक्रय का एक मात्र प्रतिफल (The Price is the sole consideration)—अन्य शब्दों में विक्रेता को माल के विक्रय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रतिफल नहीं प्राप्त होना चाहिए। घोषित मूल्य ही संव्यवहार का मूलाधार है जिसमें किसी प्रकार का अधोपित समायोजन नहीं किया गया हो।

विहित शर्तों की पूर्ति हो (Prescribed Conditions Fulfilled)—धारा 14(1) में वर्णित संव्यवहार मूल्य माना जायेगा जब उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त मूल्यांकन नियमों में वर्णित शर्तों की पूर्ति होती है। यदि इनमें से किसी शर्त की पूर्ति नहीं होती है, तो मूल्यांकन, नियमों में वर्णित अन्य विधियों के अनुसार किया जाएगा। संव्यवहार मूल्य की शुद्धता एवं पूर्णता ही मूल्यांकन का आधार है।

विनिमय दर के आधार पर (Price According to Rate of exchange)—विनिमय दर को लागू करने की सुसंगत तिथि प्रवेश विल अथवा जहाजी विल अथवा निर्यात विल दाखिल करने की तिथि से है। आयात निर्यात की स्थिति में इन प्रपत्रों की तिथि की प्रभावी विनिमय दर के आधार पर ही भारतीय रूप में मूल्यांकन किया जायेगा।

इस धारा के उद्देश्यों के लिए विनिमय दर से आशय होगा—

- (अ) वोर्ड द्वारा निर्धारित विनिमय दर अथवा
- (ब) वोर्ड द्वारा निर्धारित विधि से ज्ञात की गई विनिमय दर।

मूल्यांकन पद्धतियां

(METHODS OF VALUATION)

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2007 के अन्तर्गत मूल्य निर्धारण की निम्नांकित पद्धतियां वर्ताई गयी हैं। ये पद्धतियां WTO के सामान्य स्वीकृत सिद्धान्त “संव्यवहार मूल्य अथवा वीजक मूल्य” पर आधारित हैं :

1. आयातित माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Imported Goods);
2. तदरूप माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Identical Goods);
3. समरूप माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Similar Goods);
4. निगमनात्मक मूल्य (Deductive Value);
5. संगणित मूल्य (Computed Value);
6. अवशिष्ट पद्धति (Residual Method)।

उपर्युक्त मूल्यांकन पद्धतियों को क्रमानुसार लागू करना चाहिए जब मूल्यांकन प्रथम पद्धति से न किया जा सके तब छठीय पद्धति एवं तत्पश्चात् तृतीय पद्धति लागू की जानी चाहिए। यद्यपि चौथी एवं पांचवीं पद्धति के मध्य आपसी कोई भी क्रम लागू किया जा सकता है अर्थात् पांचवीं विधि को चौथी से पूर्व भी लागू किया जा सकता है।



संव्यवहार मूल्य से आशय माल के लिए वास्तव में चुकायी गई अथवा देय कीमत से है, जब माल का विक्रय, आयात के स्थान एवं समय पर सुपुर्दगी के लिए, भारत में निर्यात के लिए होता है।

आयात मूल्यांकन नियम 3 के अनुसार आयातित माल का मूल्य संव्यवहार मूल्य होगा जिसको नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाता है।

संव्यवहार मूल्य की पूर्व शर्तें [Conditions Precedent to Transaction Value]

[Rule 3(2)]

आयातित माल का संव्यवहार मूल्य निम्न परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाएगा :

- (a) विक्रेता ने क्रेता पर माल के उपयोग हेतु कोई प्रतिवन्ध नहीं लगाया हो। हालांकि निम्न प्रतिवन्ध उचित मान लिए जाएँगे।
 - (i) विधि के अनुसार या भारत के लोक प्राधिकारी द्वारा लगाये गये प्रतिवन्ध।
 - (ii) ऐसे प्रतिवन्ध जिसके द्वारा माल के पुनर्विक्रय को किसी भीगोलिक क्षेत्र तक सीमित किया गया हो।
 - (iii) प्रतिवन्ध जिससे माल का मूल्य सारतः (Substantially) प्रभावित न हो।

उदाहरण : किसी मोटर वाहन के मॉडल के Launch होने से पहले उस मॉडल के आयातित वाहन का विक्रय न करने की शर्त, एक उचित शर्त है।

- (b) माल के विक्रय मूल्य पर कोई ऐसी शर्त नहीं हो जिससे कि माल को मूल्य की गणना नहीं की जा सके।
- (c) विक्रेता को माल के पुनर्विक्रय मूल्य में कोई प्रतिफल न मिले, जिसका नियम 10 के प्रावधानों के अनुसार समायोजन न हो सके।
- (d) क्रेता तथा विक्रेता आपस में न हों। यदि वे सम्बन्धित व्यक्ति हैं, तो संव्यवहार मूल्यांकन नियम 3 (3) के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।

नोट : यदि 'संव्यवहार मूल्य' अस्वीकृत कर दिया जाता है तो मूल्य का निर्धारण नियम 4 से नियम 9 में क्रमवद् विधि से किया जाता है।

संव्यवहार मूल्यों में शामिल लागतें

(COSTS TO BE INCLUDED IN TRANSACTION VALUE)

नियम 10(1) के अनुसार, संव्यवहार मूल्य का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित को आयातित माल के मूल्यांकन में जोड़ा जाएगा :

- (a) निम्नलिखित लागत एवं सेवाएँ जो कि क्रेता द्वारा बहन की गई हैं, परन्तु आयातित माल के चुकता मूल्य में सम्मिलित नहीं हैं :
 - (i) कर्मीशन एवं दलाली [क्रय कर्मीशन (Buying Commission) को छोड़कर] 'क्रय कर्मीशन' से तात्पर्य है आयातक द्वारा उसके अभिकर्ता को मूल्यांकित किये जाने वाले माल के क्रय हेतु भारत से बाहर आयातक का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुकाया जाने वाला शुल्क है।
 - (ii) कन्टेनरों की लागत जो कि माल समेत खरीदे जाते हैं।
 - (iii) पैकिंग की लागत (चाहे थ्रम के लिए हो या सामग्री के लिए)।
- (b) अगर क्रेता द्वारा निम्न माल एवं सेवाओं को मुफ्त में या घटी दरों पर, ऐसे माल के उत्पादन तथा निर्यात हेतु विक्रय के सम्बन्ध में, उपयोग हेतु प्रदान किया जाता है, तो उसके द्वारा प्रदत्त ऐसे माल तथा सेवाओं का आनुपालिक मूल्य (Apportioned Value) यदि आयातित माल के मूल्य में नहीं शामिल है; उसे शामिल किया जाए :
 - (i) ऐसे माल से सम्बन्धित सामग्रियों, हिस्से पुर्जे तथा इसी प्रकार की मर्दों का मूल्य।
 - (ii) टूल्ज, डाई, मोल्ड, ड्रॉइंग्स, ब्लूप्रिंट, तकनीकी नवशों, पार्ट्स् आदि।
 - (iii) आयातित माल के उत्पादन में उपयोग की गई सामग्री का मूल्य।
 - (iv) आयातित माल के उत्पादन के लिए आवश्यक इन्झीनियरिंग, विकासात्मक, कलात्मक कार्य, डिजाइन कार्य, जिनको भारत के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर बनाया गया है; उनका मूल्य।
- (c) यदि क्रेता ने माल को आयात करने के लिए शर्त के अनुसार कोई गैयल्टी तथा लाइसेन्स शुल्क चुकाये हैं, और यदि वे विक्रय मूल्य में पहले से शामिल नहीं किये गये हैं, तो इन्हें माल के मूल्य में जोड़ा जाएगा।
रॉयल्टी तथा लाइसेन्स शुल्क में पैटेंट, ट्रेडमार्क, कॉर्पोरेइट आदि के सम्बन्ध में किये गये भुगतान शामिल हैं।
- (d) यदि विक्रेता को आयातित माल के प्रयोग अथवा पश्चात्वर्ती विक्रय (subsequent sale) के प्राप्त होने वाली राशि का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देय है, तो, वह राशि मूल्य निर्धारण के लिए जोड़ा जाएगी।
- (e) वे सभी अन्य भुगतान जो कि माल के आयात करने की शर्त के अनुसार किये गये हैं, और जो कि क्रेता ने विक्रेता को या क्रेता ने किसी तीसरे व्यक्ति को विक्रेता सम्बन्धित बाध्यता को पूर्ण करने के लिए किए हैं, शामिल किये जाएंगे।

नियम 10(2) के अनुसार आयातित माल के मूल्य में निम्न शामिल होंगे :

- (a) आयातित माल को आयात के स्थान पर लाने के लिए परिवहन की लागत।
- (b) बीमा की लागत।

नोट :

- (i) अगर बीमा की लागत पता नहीं है, तो उसे FOB Value का 1.125% लिया जाता है।
- (ii) यदि माल की परिवहन लागत ज्ञात नहीं है, तो उसे Freight on Board (FOB) मूल्य के 20% से अधिक है तो परिवहन लागत FOB मूल्य का 20% लिया जाएगा।
- (iii) CIF Value = FOB Value + उपर्युक्त (a) में वर्णित परिवहन की लागत + उपर्युक्त (b) में वर्णित बीमा लागत।

लदान, उतराई एवं सम्भाली व्ययों का लेखा

(Treatment of Loading, Unloading and Handling Charges)

Wipro Ltd. [ELT-177(SC)] के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि माल की लागत में जोड़े जाने वाले 'लैंडिंग चार्ज' वास्तविक हुए व्यय होने चाहिए न कि नियम 10(2) के अनुसार परिकल्पित आधार पर CIF मूल्य का 1% मानकर जोड़ना।

अतः अब सीमा शुल्क मूल्यांकन नियमों में निम्नांकित संशोधन किया गया है :

“The loading, unloading and handling charges associated with the delivery of the imported goods at the place of importation shall no longer be added to the CIF value of the goods.”

(परिचय सं. 39/2017 Cust. Dt. 26.9.2017)

(v) Demurrage Charges एवं Lighterage Charges or Barge Charges शामिल होंगे। [नियम 10(2) का स्पष्टीकरण] उपर्युक्त वर्णित आयातित माल की परिवहन की लागत में चार्टर्ड जहाज पर Demurrage Charges, Lighterage Charges or Barge Charges शामिल होंगे।

Barging एवं Lighterage Charges जो कि आयातक द्वारा माल को बाहरी लंगर स्थान (Outer anchorage) से भूमि तक लाने के लिए व्यय किये जाते हैं परिवहन की लागत में शामिल किए जायेंगे।

वोर्ड ने इस वारे में स्पष्ट किया है कि समयबद्ध चार्टर्ड जहाज अथवा Bulk Carriers द्वारा आयातित माल के सम्बन्ध में माल का आयात के स्थान पर लाने के लिए अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं, क्योंकि यह जहाज माल को Harbour में Discharge करते हैं। अतः आयातक द्वारा Harbour में जहाज को रोकने के सम्बन्ध में जहाज Demurrage Charges दिये जाते हैं तो यह व्यय परिवहन की लागत में शामिल किये जाते हैं। इसी प्रकार से जब बड़े जहाज किन्हीं कारणवश बन्दरगाह पर नहीं आ सकते तो माल को Dock पर छोटी नौका, नावों के माध्यम से लाया जाता है, अतः आयातक द्वारा माल को Landmass अथवा उपभोग के स्थान पर लाने के सम्बन्ध में Lighterage Charges or barge charges परिवहन की लागत में शामिल होंगे।

(vi) संगणना, जब FOB मूल्य व परिवहन व वीमा की लागत निर्धारित नहीं की जा सकती—नियम 10(2) के अनुसार यदि माल का FOB मूल्य व परिवहन व वीमा की लागत निर्धारित नहीं की जा सकती है, तो, वीमा व परिवहन की लागतें निन्मानुसार संगणित की जायेंगी :

- परिवहन की लागत = (FOB मूल्य + वीमा की लागत) का 20% अर्थात् CIF मूल्य $\times 20 \div 120$
- वीमा की लागत = (FOB मूल्य + परिवहन की लागत) का 1.125% अर्थात् CIF मूल्य $\times 1.125 \div 101.125$

संव्यवहार मूल्य से पृथक् लागतें [Exclusion Costs from Transaction Value]

(A) विलम्ब भुगतान पर व्याज :

विलम्ब भुगतान पर व्याज को माल को मूल्य में नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि यह व्याज विलम्ब भुगतान के लिए किया गया है और इससे माल के मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(B) Wharfage charges and Stock loss expenses :

Wharfage Charges एवं Stock Loss expenses को CIF Value में अलग से नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि यह पहले से ही में सम्मिलित माने जाएंगे।

(C) Hire Charges of Vessel :

आयातक ने समय के आधार पर भाड़े पर लिए गये जहाजों में माल आयात किया। जहाज को समय के आधार पर भाड़े पर लेने के लिए चुकाये गये व्यय ‘भाड़ा व्यय’ हैं न कि आयातित माल की परिवहन की लागत। अतः ऐसे व्यय माल के शुल्कयोग्य मूल्य में शामिल नहीं होंगे। चौंक ऐसी अवस्था में परिवहन की लागत ज्ञात नहीं की जा सकती, अतः परिवहन की लागत FOB मूल्य के 20 प्रतिशत के बराबर ली जाएगी।

यदि संव्यवहार मूल्य अखीरीकृत कर दिया जाता है, तब आयातित माल के मूल्य का निर्धारण निम्नलिखित मूल्यांकन के आधार पर इसी क्रम में किया जाएगा :

- | | |
|--|----------|
| 1. तदरूप माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Identical Goods) | (Rule-4) |
| 2. समरूप माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Similar Goods) | (Rule-5) |
| 3. निगमनात्मक मूल्य (Deductive Value) | (Rule-7) |
| 4. संगणित मूल्य (Computed Value) | (Rule-8) |
| 5. अवशिष्ट प्रणाली (Residual Method) | (Rule-9) |

तद्रूप माल का संव्यवहार मूल्य
(TRANSACTION VALUE OF IDENTICAL GOODS)

[नियम 4]

तद्रूप माल [Identical Goods]

नियम 2(1) (d) के अनुसार तद्रूप माल (Identical goods) वह आयातित माल है, जो कि निम्नांकित शर्तों को पूरा करता है:

- (a) वह माल भौतिक लक्षण, गुणवत्ता तथा प्रतिष्ठा की दृष्टि से, मूल्यांकन किये जा रहे माल के समान हो सिवाय प्रारूप में मामूली अन्तर के जिससे माल के मूल्य पर असर नहीं पड़ता है।
- (b) ऐसे माल का उत्पादन उसी देश में हुआ हो जिस देश में मूल्यांकन किये जा रहे माल का उत्पादन हुआ है।
- (c) वह माल उसी निर्माता द्वारा बनाया जा रहा है जिसने मूल्यांकन किये जा रहे माल को बनाया है। यदि ऐसा न हो पाये तो उसी देश के अन्य निर्माता के माल को लिया जा सकता है।

परन्तु, वह आयातित माल, जिसके उत्पादन अथवा निर्यात हेतु विक्रय के सन्दर्भ में, इंजीनियरिंग कार्य, विकास कार्य, कलात्मक कार्य, अभिकल्पना कार्य आदि, क्रेता द्वारा बिना किसी चार्ज के अथवा अपेक्षाकृत कम लागत पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में किया गया हो; तो वह तद्रूप माल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मूल्यांकन (Valuation)

- (a) नियम 4 के अनुसार आयातित माल का मूल्य ऐसे
 - (i) तद्रूप माल जो भारत में निर्यात हेतु उसी समय बेचा गया हो; और
 - (ii) भारत में आयात किया गया हो;
 - के संव्यवहार मूल्य के बराबर होगा।

अस्थायी निर्धारण का मूल्य तद्रूप नहीं लिया जाएगा

तद्रूप माल का संव्यवहार मूल्य उस समय नहीं माना जाएगा जब उस तद्रूप माल का अस्थायी निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है।

- (b) जब तद्रूप माल का संव्यवहार मूल्य लिया जाता है, तो समान Commercial level और समान मात्रा में आयातित माल से तुलना होगी। परन्तु, अगर समान Commercial level या Quantity level नहीं है तो इनके अन्तर का समायोजन करने के बाद जो मूल्य आता है उस मूल्य को माल के मूल्यांकन हेतु लिया जाएगा।
- (c) यदि उपर्युक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो निम्नांकित परिस्थितियों में होने वाली तद्रूप माल की विक्री के मूल्य को आधार बनाया जा सकता है :
 - (i) समान वाणिज्यिक स्तर परन्तु भिन्न मात्राओं में विक्रय;
 - (ii) भिन्न वाणिज्यिक स्तर पर किन्तु समान मात्राओं में विक्रय;
 - (iii) भिन्न वाणिज्यिक स्तर व भिन्न मात्राओं में विक्रय।
- परन्तु, उपर्युक्त किसी भी परिस्थिति में, वाणिज्यिक स्तरों या भिन्न मात्राओं में होने वाले विक्रय के कारण मूल्य की भिन्नताओं के लिए सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर समायोजन किये जायेंगे, चाहे उन समायोजन से मूल्य में वृद्धि हो या कमी।
- (d) अगर नियम 10(2) के अन्तर्गत आने वाली लागत एवं सेवाएँ तद्रूप माल के संव्यवहार मूल्य में शामिल हैं, व यह पाया जाता है कि उन लागतों में व तदनुसार आयातित माल के मूल्य व तद्रूप माल के मूल्य में माल के परिवहन और दूरी के कारण बढ़त अन्तर है, तो, उसके सम्बन्ध में समायोजन किये जाएंगे।
- (e) इस नियम को लागू करने से, अगर तद्रूप माल के एक से ज्यादा संव्यवहार मूल्य मिलते हैं; तो सबसे कम मूल्य जो स्थापित हुआ है वह लिया जाएगा।

समरूप माल का संव्यवहार मूल्य
(TRANSACTION VALUE OF SIMILAR GOODS)

[नियम 5]

समरूप माल [Similar Goods]

नियम 2(1) (f) के अनुसार, उस माल के सम्बन्ध में (जिसका मूल्यांकन हो रहा है) समरूप माल से तात्पर्य उस आयातित माल से है जो :

- (a) सभी दृष्टियों से उससे समान नहीं है परन्तु, उसमें समान लक्षण एवं समान तत्वों वाली सामग्री मौजूद है तथा गुणवत्ता, प्रतिष्ठा तथा ट्रेडमार्क के सम्बन्ध में वाणिज्यिक तौर पर अंतः परिवर्तनीय है; तथा
- (b) ऐसे माल का उत्पादन उसी देश में हुआ हो जिस देश में मूल्यांकन किये जा रहे माल का उत्पादन हुआ है।
- (c) वह माल उसी निर्माता द्वारा बनाया जा रहा है जिसने मूल्यांकन किये जा रहे माल को बनाया है। यदि ऐसा न हो पाये तो उसी देश के अन्य निर्माता के माल को लिया जा सकता है।

परन्तु, वह आयातित माल, जिसके उत्पादन अथवा निर्यात हेतु विक्रय सन्दर्भ में, इंजीनियरिंग कार्य, विकास कार्य कलात्मक कार्य, अभिकल्पना कार्य आदि, क्रेता द्वारा विना किसी चार्ज के अथवा अपेक्षाकृत कम लागत पर, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में किया गया हो; तो वह समरूप माल में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

मूल्यांकन (Valuation)

- (a) नियम 5 के अनुसार आयातित माल का मूल्य समरूप माल, जो भारत में निर्यात हेतु उसी समय बेचा गया हो और भारत में आयात किया गया हो, के संव्यवहार मूल्य के बराबर होगा।
- (b) नियम 4 के उपर्युक्त यथावश्यक परिवर्तन सहित समरूप माल पर लागू होंगे।

मूल्य का निर्धारण जब संव्यवहार मूल्य ज्ञात नहीं हो

सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्यांकन निर्धारण) नियम, 2007 के नियम 6 के अनुसार

- (a) मूल्य के निर्धारण हेतु जब संव्यवहार मूल्य नहीं ज्ञात हो, और
 - (b) यदि आयातित माल का मूल्यांकन नियम 3, 4 और 5 के अनुसार नहीं किया जा सकता हो,
- तो, उसका मूल्यांकन नियम 7 के अनुसार होगा। यदि नियम 7 से मूल्यांकन नहीं किया जा सके तो नियम 8 के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा।

परन्तु, आयातित माल के प्रार्थना करने पर उचित अधिकारी की अनुमति से, मूल्य निर्धारण पहले नियम 8 के द्वारा व वाद में नियम 7 के अनुसार किया जा सकता है।

निगमनात्मक मूल्य
(DEDUCTIVE VALUE)

[नियम 7]

(अ) यदि माल आयातित रूप में ही बेचा गया है :

- (a) आयातित माल के मूल्यांकन करने के लिए घोषणा प्रारूप किया गया है, तथा
- (b) उस समय यदि ऐसे माल या समरूप माल या तद्रूप माल भारत में बेचे जाते हैं,

तो, आयातित माल का मूल्य ऐसे समरूप, तद्रूप या आयातित माल जो कि सर्वाधिक संकलित मात्रा (Greatest aggregate quantity) में असम्मिक्षित व्यक्तियों को बेचा जाता है, के इकाई मूल्य (Unit price) पर आधारित होगा। उपर्युक्त विक्रय मूल्य तभी लिया जाएगा जब विक्रय उसी समय या आसपास या आयात के पश्चात अधिकतम 90 दिनों के भीतर किया जाता है।

उपर्युक्त इकाई मूल्य में से निम्न कटौती की जाएगी :

- (a) इस तरह के आयातित माल को बेचने पर लाभ एवं सामान्य खर्च तथा इसके अतिरिक्त जो कमीशन का भुगतान होता है;
- (b) माल के परिवहन एवं बीमा एवं इससे सम्बन्धित खर्च जो भारत में व्यव बिये गये हैं।

(c) माल के आयात अथवा विक्रय हेतु देय सीमा शुल्क और अन्य कर।

(व) आयातित रूप में माल का विक्रय नहीं हुआ है :

किन्तु, जब माल मूल्यांकन किया जा रहा है तब यह माल या समरूप माल भारत में नहीं बेचा जाता है, तो आयातित माल का मूल्य वह इकाई मूल्य होगा, जब आयातित माल, समरूप या तद्रूप माल आयात होने के सबसे पहले (At the earliest) बेचा गया हो।

अगर आयातित माल या समरूप या तद्रूप माल जिस दशा में आयात किया गया था उस दशा में नहीं बेचा जाता है, तो माल का मूल्य उस इकाई मूल्य पर आधारित होगा जिस मूल्य पर वह प्रोसेसिंग (Processing) के बाद सर्वाधिक संकलित मात्रा में बेचा जाता है।

इस मूल्य का निर्धारण करते वक्त, जितना प्रोसेसिंग द्वारा Value addition हुआ है एवं जो कटौतियां ऊपर दी गई हैं उनकी छूट दी जाएगी।

संगणनित मूल्य (COMPUTED VALUE)

[नियम 8]

आयातित माल का मूल्य ‘संगणनित मूल्य’ होगा जोकि निम्न का योग होगा :

- (a) आयातित माल का उत्पादन करने के लिए सामग्री और बनाने और प्रोसेसिंग की लागत अथवा मूल्य;
- (b) वह माल जिसका मूल्यांकन हो रहा है उसी के समान वर्ग एवं किस्म के माल के विक्रय पर होने वाला लाभ एवं सामान्य खर्च जोड़े जाएंगे। यह माल नियात होने वाले देश में उत्पादित होना चाहिए।
- (c) नियम 10(2) के अन्तर्गत खर्चों की लागत और मूल्य।

अवशिष्ट प्रणाली (RESIDUAL METHOD)

[नियम 9]

अगर आयातित माल का मूल्यांकन पहले दिये गये नियमों के अनुसार नहीं किया जा सकता है, तो माल का मूल्य वह होगा जो कि धारा 14(1) के प्रावधानों और इन नियमों के सामान्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए निकाला जाएगा। यह मूल्य युक्तियुक्त उपाय और जो डाया भारत में उपलब्ध है उसके हिसाब से निकाला जाएगा।

परन्तु जिस मूल्य का निर्धारण किया गया है वह मूल्य माल को उस मूल्य से अधिक नहीं होगा, जब वह माल या उसी तरह का माल साधारणतः अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान आयात-नियात किये जाने के समय और स्थान पर बेचा जाता है अथवा विक्रय हेतु प्रस्तावित किया जाता है जब विक्रेता और क्रेता का एक-दूसरे के व्यवसाय में हित नहीं हो तथा ऐसा मूल्य विक्रय या विक्रय के प्रस्ताव के लिए एकमात्र प्रतिफल हो।

इस नियम में निम्न आधार पर माल का मूल्य नहीं निर्धारित किया जाएगा :

- (a) भारत में बने माल का विक्रय मूल्य;
- (b) ऐसी विधि जिसमें दो वैकल्पिक मूल्यों में से सबसे ज्यादा मूल्य को सीमा शुल्क के लिए स्वीकृति दी जाती है;
- (c) नियात करने वाले देश में उस माल का घरेलू बाजार में बेचे जाने वाला मूल्य;
- (d) समरूप एवं तद्रूप माल के संगणनित मूल्य को छोड़कर उत्पादन की लागत;
- (e) भारत के अतिरिक्त किसी और देश को माल का नियात मूल्य;
- (f) न्यूनतम सीमा मूल्य; अथवा
- (g) मनमानी या काल्पनिक मूल्य।

इस नियम में मूल्य निर्धारण, जहाँ तक हो सके, पूर्व में निर्धारित मूल्यों के आधार पर किया जाएगा। इस नियम में मूल्य का निर्धारण नियम 4 से 8 में बतायी गयी पद्धतियों से होना परन्तु इन पद्धतियों को अपनाने में उचित लचीलापन रखा जाएगा।

शुल्क योग्य मूल्य (ASSESSABLE VALUE)

आयातित/नियातिनीय माल के शुल्क योग्य मूल्य का निर्धारण सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

जब सीमा शुल्क का निर्धारण किसी माल के सम्बन्ध में उसके मूल्य के सन्दर्भ में किया जाता है, ऐसे माल का मूल्य वह मूल्य होता है, जिस मूल्य पर प्रायः उसका विक्रय किया जाता है अथवा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान सुपुर्दगी के स्थान या समय पर विक्रय के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जब :

- (a) क्रेता एवं विक्रेता का एकदूसरे के व्यवसाय में कोई हित नहीं है, अथवा
- (b) उनमें से किसी एक का दूसरे के व्यवसाय में कोई हित नहीं है

और मूल्य विक्रय का एकमात्र प्रतिफल है। धारा 14(1) में सन्दर्भित मूल्य की गणना प्रवेश विल प्रस्तुति की तिथि को प्रचलित विनियम दर के सन्दर्भ में किया जाता है।

शुल्क योग्य मूल्य के मुख्य घटक (Important Ingredient of Assessable Value)

1. शुल्क योग्य मूल्य माना गया मूल्य है—विधान का अभिप्राय स्पष्ट है कि माल का वास्तविक मूल्य, अर्थात् माल उतारने तक की लागत को ही शुल्क की गणना के उद्देश्य से मूल्य नहीं माना जा सकता है।

2. सामान्य विक्रय मूल्य ही शुल्क योग्य मूल्य होता है—प्रासंगिक मूल्य वह है, जिस पर समान माल का विक्रय किया जाता है, जब विचाराधीन माल का प्रतिफल उपलब्ध नहीं होता है।

3. सुपुर्दगी हेतु तत्पर/स्थिति का मूल्य होता है—‘सुपुर्दगी’ का आशय समय के ऐसे विन्दु से है, जहाँ आयातित माल भौतिक रूप से आयातक को सुपुर्द किया जाता है।

4. विक्रय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में होना—विचारणीय मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्दर्भ में होना चाहिए। आयातक के देश में प्रचलित घरेलू मूल्य का मूल्यांकन से कोई सम्बन्ध नहीं होता है।

5. क्रेता एवं विक्रेता स्वतन्त्र पक्षकार होना आवश्यक है।

6. मूल्य विक्रय का एकमात्र प्रतिफल हो—यदि विक्रय मूल्य विक्रय का एकमात्र प्रतिफल नहीं होता है, तब अन्य कोई प्रतिफल, जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से माल के विक्रेता को क्रेता की ओर से प्रवाहित होता है, उसको माल के मूल्य निर्धारण में जोड़ा जाएगा।

7. मूल्य की गणना विनियम दर के सन्दर्भ में की जाती है—मूल्य का निर्धारण उस तिथि को प्रचलित विनियम दर के सन्दर्भ में किया जाता है, जिस तिथि को आयातित माल सम्बन्धी प्रवेश विल या शिपिंग विल अथवा निर्यात विल प्रस्तुत किया जाता है।

आयात के स्थान तक माल पहुंचने के पश्चात् के व्यय शुल्क योग्य मूल्य में शामिल नहीं किए जाते हैं अर्थात् आयात के स्थान से व्यापारिक स्थान तक माल पहुंचाने सम्बन्धी परिवहन लागत, वीमा प्रीमियम, लदाई, उतराई, स्थानीय कर आदि शामिल नहीं होंगे।

इसी प्रकार, मशीनरी की स्थापना सम्बन्धी व्यय अथवा अनुरक्षण व्यय अथवा माल के तकनीकी निरीक्षण में सहायता सम्बन्धी व्यय भी शुल्क योग्य मूल्य में शामिल नहीं किए जाते हैं।

शुल्क योग्य मूल्य = CIF मूल्यांकन (विवेदी मुद्रा में) × भारतीय विनियम दर बोर्ड द्वारा स्वीकृत

अतः शुल्क योग्य मूल्य = ₹ में CIF मूल्यांकन

कुछ स्थितियों में सीमा-शुल्क नहीं

(NO CUSTOMS DUTY IN CERTAIN CASES)

(1) माल की थोड़ी चोरी (Pilferage of goods)

(धारा 13)

● आयातित माल की थोड़ी-थोड़ी चोरी/माल का खोसना

● ऐसी चोरी आयातित माल के उतारने के पश्चात्, परन्तु माल की निकासी के आदेश (Order of Clearance) से पूर्व हुई हो।

ऐसी स्थिति में, चोरी गए माल पर शुल्क उद्ग्रहीत नहीं होता है। यदि आयातक को ऐसा माल प्राप्त/वसूल हो जाता है, तब ऐसे माल पर शुल्क लागू हो जाएगा।

(2) माल का विनष्टीकरण (Goods Lost or Destroyed)

[धारा 23(1)]

सीमा-शुल्क आयुक्त के/सन्तुष्टि होने पर यदि आयातित माल का विनष्टीकरण, जो घरेलू उपभोग के लिए निकासी से पूर्व किसी समय स्वीकार्य होता है, तब सक्षम अधिकारी ऐसे नष्ट माल पर सीमा-शुल्क का परित्याग कर देगा।

(3) माल पर अधिकार का परित्याग (Relinquish the title of the goods)

[धारा 23(2)]

आयातित माल के निकासी आदेश के निर्गमन से पूर्व ऐसे माल का स्वामी उस पर अपने अधिकार का परित्याग करके सीमा-शुल्क दायित्व के भुगतान से मुक्त हो सकता है। यदि ऐसे माल के सम्बन्ध में कोई अपराध उसके स्वामी द्वारा किया गया है, तब स्वामित्व का परित्याग नहीं किया जा सकता।

(4) माल की भौतिक क्षति/गुणवत्ता हास (Damaged/Deteriorated Goods)

[धारा 22]

सीमा-शुल्क आयुक्त की सन्तुष्टि पर, यदि आयातित माल;

(a) भारत में माल की उतराई से पूर्व या उसके दौरान क्षतिग्रस्त या उसकी गुणवत्ता का हास हो गया है; अथवा

(b) भारत में माल की उतराई पश्चात् यदि आयातित माल क्षतिग्रस्त हो जाता है या गुणवत्ता का हास हो जाता है, जिसका कारण कोई घटना, जिसका आयातक लापरवाही या कर्तव्यभंग का जानवृज्ञ दोषी नहीं हो;

(c) गोदामीकृत माल की दशा में ऐसी क्षति ऐसे किसी कारण से हुई हो, जिसके लिए माल का स्वामी जानबूझ कर लापरवाही अथवा कर्तव्य भंग का दोषी नहीं हो।

ऐसी स्थिति में शुल्क का दायित्व निम्नलिखित सूत्रानुसार आनुपातिक हो जाएगा :

$$\text{क्षति से पूर्व देय सीमा-शुल्क} \times \frac{\text{क्षति पश्चात् माल का मूल्य}}{\text{क्षति पूर्व माल का मूल्य}}$$

इस प्रकार, अतिग्रस्त माल पर आयात शुल्क का दायित्व आनुपातिक मात्रा से निरस्त हो जाता है।

उदाहरण—

यदि क्षति पूर्व आयातित माल का मूल्य 50,000 ₹ है और क्षति पश्चात् उसका मूल्य 20,000 ₹ रह जाता है। 50,000 ₹ पर देय आयात शुल्क की राशि को 40% आनुपातिक कर क्षतिग्रस्त माल का शुल्क समझा जाएगा। (20,000 का 50,000 से अनुपात) क्षतिग्रस्त माल का मूल्यांकन स्वामी के विकल्प पर निम्नलिखित पद्धति से ज्ञात किया जा सकता है :

(a) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्यांकन;

अथवा

(b) सक्षम अधिकारी द्वारा क्षतिग्रस्त माल की खुली नीलामी अथवा निविदा (Tender) द्वारा वसूल मूल्य।

माल की छोटी चोरी एवं माल की भौतिक हानि में अन्तर कीजिए

(DIFFERENCE BETWEEN PILFERAGE OF GOODS AND LOSS OR DESTRUCTION OF GOODS)

आधार (Basis)	माल की छोटी चोरी (Pilferage of goods u/s 13)	माल की भौतिक हानि/विनष्टि [Loss or destruction of goods u/s 23(1)]
आशय	माल की छोटी/थोड़ी मात्राओं में चोरी	हानि/विनष्टि का आशय कला भौतिक/हानि, जिसकी संदर्भ के लिए वसूली नहीं हो सके। भौतिक माल की हानि घरेलू उपभोग के लिए माल की निकासी से पूर्व इस प्रकार की क्षति/विनष्टि होनी चाहिए।
घटना का समय	आयातित माल की ऐसी चोरी उत्तराई के पश्चात, परन्तु निकासी आदेश के निर्मान से पूर्व होनी चाहिए।	पश्चात्वर्ती उपलब्ध/वसूली सम्बन्ध नहीं होती है।
पश्चात्वर्ती माल की उपलब्धि	ऐसी चोरी की पश्चात्वर्ती उपलब्धि/वसूली पर आयातक द्वारा शुल्क देय होता है।	आरा 23(1) के प्रावधान गोदामीकृत माल पर भी प्रभावी होते हैं।
गोदामीकृत माल	आयात 13 के प्रावधान गोदामीकृत माल पर प्रभावी नहीं होते हैं।	सक्षम अधिकारी की सन्तुष्टि के लिए आयातक द्वारा ऐसी हानि सिद्ध करनी होती है।
सिद्ध करने का भार	ऐसी चोरी को सिद्ध करने का भार आयातक पर नहीं होता है। यह स्वाभाविक/प्रायः प्रकृति की चोरी होती है।	हानि/विनष्टि के लिए आयातक द्वारा ऐसी हानि सिद्ध करनी होती है।
शुल्क योग्य माल की मात्रा	इस चोरी के अधीन माल की मात्रा पर कोई आयात शुल्क लागू नहीं होता है।	हानि/विनष्टि के लिए आयातक द्वारा ऐसी हानि सिद्ध करनी होती है।

प्रश्न (QUESTIONS)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

- सीमा शुल्क की गणना हेतु माल का शुल्कयोग्य मूल्यांकन किस प्रकार निर्धारित करेंगे ?
How would you determine the Assessable Value for the computation of Customs Duty ?
- आयातित माल के 'संव्यवहार मूल्य' से आप क्या समझते हैं ? उन समायोजनों की संक्षेप में रूपरेखा समझाइए जो ऐसे मूल्य को प्राप्त करने में किये जाते हैं ?
What do you understand by "Transaction Value" of the imported goods ? Briefly outline the adjustments to be made to arrive at such value.
- सीमाशुल्क मूल्यांकन (आयातित माल का मूल्य निर्धारण) नियम, 2007 के अन्तर्गत आयातित माल के मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को समझाइए।
Explain the different methods of determination of imported goods under Customs Valuation (Determination of Price of Imported Goods) Rules, 2007
- संक्षेप में टिप्पणी लिखिए—
(अ) टैरिफ मूल्य (Tariff Value);
(स) निगमित मूल्य (Inductive Value);
(द) तद्रूप माल का संव्यवहार मूल्य (Transaction Value of Identical Goods)।

4

शुल्कयोग्य मूल्य निर्धारण एवं सीमा शुल्क की गणना

**[COMPUTATION OF ASSESSABLE VALUE AND
CALCULATION OF CUSTOMS DUTY]**

सीमा शुल्क की गणना

(CALCULATION OF CUSTOMS DUTY)

आयातित माल पर सीमा शुल्क की गणना के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :

- माल के शुल्कयोग्य मूल्य की गणना;
- आयातित माल का मूल्य विदेशी मुद्रा में होता है, अतः इसे भारतीय मुद्रा (₹) में परिवर्तित करना; इसके लिए बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर ही मान्य होती है; एवं
- देय सीमा शुल्क की गणना करना।

(1) माल के शुल्कयोग्य मूल्य की गणना

(COMPUTATION OF ASSESSABLE VALUE OF GOODS)

माल का क्रय मूल्य (Purchase price of goods) ₹ ×××

जोड़े (Add) :

(1) कमीशन एवं दलाली (परन्तु माल खरीदने का कमीशन शामिल नहीं होगा)	₹
(Commission and brokerage except buying commission)	××
(2) पैकिंग लागत (Cost of Packing)	××
(3) आयातकर्ता द्वारा प्रदत्त माल एवं सेवाओं का मूल्य	××
(4) रोयल्टी एवं लाइसेंस फीस (Royalty and licence Fees)	××
माल का लदान (लदान के लिए तैयार माल) मूल्य (FOB Value of goods)	(+) (+) योग
(5) परिवहन लागत (Transportation cost) (FOB मूल्य का 20% तक)	××
(6) बीमा प्रीमियम (Insurance Premium) (FOB मूल्य का 1.125% तक)	××
लागत भाड़ा बीमा (FOB + Freight + Insurance) मूल्य अथवा	(+) (+) योग

(CIF मूल्य ही शुल्क योग्य मूल्य होता है) योग

विशेष : माल चढ़ाने, उतारने के खर्च (Loading, unloading and handling charges)

1% of CIF value (परिपत्र सं. 39/2017 Cust. Dt. 26.9.2012 के अनुसार अब नहीं जोड़े जाएंगे)

विदेशी मुद्रा में शुल्कयोग्य मूल्य (Assessable Value in Foreign Currency)

आयातित माल का भारतीय मुद्रा में मूल्य (विदेशी मुद्रा में माल का मूल्य × विनिमय दर)

अर्थात् शुल्कयोग्य मूल्य

₹ में राशि

संक्षेप में, 'भारत में माल के आयात तक की लागत' को ही शुल्कयोग्य मूल्य कहा जाता है।

(2) सीमा शुल्क की गणना
(CALCULATION CUSTOMS DUTY)

विवरण	राशि
आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य (Assessable Value)	× × ×
जोड़े : (i) मूल सीमाशुल्क 10% (Basic Customs Duty)	(+)(+)
(ii) सामाजिक कल्याण अधिभार (SWS) (मूल सीमाशुल्क का 10%)	(+)(+)
(iii) IGST u/s 3(7) C. T. Act, 1975 (दर प्रश्नानुसार)	योग × × × (+)(+)
	सकल योग × × × ×

(जी. एस. टी. क्षतिपूर्ति उपकर संगणित नहीं किया गया है)

$$\text{IGST} = (\text{AV} + \text{BCD} + \text{SWS}) \times \text{Rate}$$

IGST + GST Compensation Cess पर ITC उपलब्ध होना है।

सीमा शुल्क मूल्य के प्रमुख घटक
(MAIN CONSTITUENTS OF CUSTOMS VALUE)

वारा 14(1) के अनुसार सीमा शुल्क मूल्य निर्धारण में निम्न प्रमुख घटक शामिल होते हैं :

(1) **बीजक में घोषित मूल्य** (Invoice Price)—प्रायः निर्यातकर्ता बीजक में निर्यातित वस्तु का उचित मूल्य ही घोषित करता है जब तक कि उसकी आयातकर्ता से सांठ-गांठ न हो जिसके परिणामस्वरूप आयातक पर कम सीमा शुल्क का भार लगे। यदि बीजक मूल्य सामान्य मूल्य से कम प्रतीत होता है, तो उसे निम्न आधारों पर जांच कर उचित मूल्य निकाला जा सकता है :

- (अ) आयातित वस्तु के समान गुण वाली वस्तु का मूल्य;
- (ब) निर्यातक की लागत जमा उचित लाभ जोड़कर उचित मूल्य निर्धारण;
- (स) अन्य आंकड़ों या आधार पर निर्धारित उचित मूल्य।

नोट—विद्यार्थी ध्यान में रखें कि प्रनयों में प्रायः इस प्रकार की स्थिति नहीं पाई जाती है।

(2) **कमीशन एवं दलाली** (Commission and Brokerage)—यदि विदेशी निर्यातक का कोई एजेण्ट भारत में हो और उसे रोपें पर कोई कमीशन या दलाली दी जाती है तो ऐसा भुगतान किया गया कमीशन या दलाली मूल्य में शामिल किए जाएंगे। यदि आयातक ने ऐसा कमीशन भारतीय मुद्रा में, भारत स्थित विदेशी एजेण्ट को भुगतान किया तो भी ऐसा कमीशन जोड़ा जाएगा। आयातक द्वारा क्रय हेतु अपने विदेशी एजेण्ट को दिया गया कमीशन या दलाली नहीं जोड़ी जाएगी।

(3) **पैकिंग लागत** (Packing Cost)—विदेशी से आयातित माल की पैकिंग लागत भी मूल्य में शामिल की जाएगी यदि निर्यातक ने बीजक में अलग से पैकिंग चार्ज जोड़ा हो तो पैकिंग लागत मूल्य में जोड़ी जाएगी, अन्यथा नहीं।

(4) **डिजाइन एवं विकास व्यय** (Cost of Design and Development)—विदेशी निर्यातक द्वारा पूर्ति किए गए माल के सम्बन्ध में किए गए डिजाइन एवं विकास व्यय मूल्य में शामिल होंगे यदि इनका भुगतान मूल्य के अतिरिक्त अलग से किया गया हो।

(5) **रॉयल्टी एवं लाइसेन्स शुल्क** (Royalties and Licence fee)—यदि आयातक ने आयातित वस्तु के सम्बन्ध में अलग से रॉयल्टी या लाइसेन्स शुल्क का भुगतान किया है तो ऐसी राशि भी मूल्य में शामिल की जाएगी।

(6) **आयातकर्ता द्वारा सामग्री, आदि की पूर्ति** (Other payments made to seller)—आयातकर्ता द्वारा विदेशी निर्यातक को प्रदत्त माल एवं सेवाओं का मूल्य भी बीजक मूल्य में जोड़ा जाएगा। यदि आयातक ने विदेशी विक्रेता को आयातित माल के लिए कच्चा माल, उपकरण या अन्य कोई वस्तु की पूर्ति की है और इस कारण तैयार माल का मूल्य कम चार्ज किया गया है तो ऐसे पूर्ति किए गए माल की लागत मूल्य में जोड़ी जाएगी।

(7) **परिवहन लागत** (Transportation charges)—निर्यात किए जाने वाले देश से भारतीय बन्दरगाह तक के परिवहन व्यय (जहाजी भाड़ा, आदि) वस्तु के मूल्य में जोड़े जाएंगे। यदि माल हवाई जहाज से भेंगाया गया हो और भाड़े की राशि बहुत ज्यादा हो तो ऐसी स्थिति में जहाज लदान युक्त मूल्य (FOB) का 20% मानक परिवहन व्यय जोड़ा जाएगा भले ही प्रश्न में अधिक बताया गया हो।

(8) **बीमा प्रीमियम (Insurance Premium)**—माल के सम्बन्ध में परिवहन के दौरान चुकाई गई बीमा प्रीमियम की राशि को माल के मूल्य में शामिल किया जाएगा, क्योंकि माल के भारतीय बन्दरगाह तक उतरने के सभी व्यय शुल्कयोग्य मूल्य में शामिल किए जाते हैं। यदि बीमा प्रीमियम की राशि ज्ञात नहीं है तो माल के जहाज लदान मूल्य (FOB) का 1.125% बीमा प्रीमियम माना जाएगा और इसे जोड़ा जाएगा।

आयातित स्थान (Customs Area) से माल निकलने के पश्चात् जो व्यय किए जाते हैं वे शुल्क-निर्धारण योग्य मूल्य (Assessable Value) में शामिल नहीं किए जाते, जैसे—आयातक के व्यापारिक स्थान (कारखाना, गोदाम, दुकान, आदि) तक माल लाने का परिवहन व्यय, बीमा प्रीमियम, माल चढ़ाने-उतारने (Loading, unloading) के व्यय, स्थानीय कर, आदि। इसी प्रकार माल (मशीनें, आदि) के भारत में आयातित स्थान पर पहुंचने के पश्चात् उसके स्थानापना (erection), समंजन (assembly), अनुकृष्णण एवं रख-रखाव (maintenance) या तकनीकी सहायता (technical assistance) पर जो खर्च किए जाते हैं वे शुल्क-निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल नहीं किए जाते।

विदेशी विनिमय दर

यद्यपि विदेशी विनिमय दर में तीव्र उच्चावचन होता रहता है फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए प्रचलित औसत दर के आधार पर क्रियात्मक प्रश्नों एवं उदाहरणों को हल किया गया है। बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दर के आधार पर ही (यदि दी गई हो) प्रश्नों को हल करना आवश्यक है।

शुल्कयोग्य मूल्य का निर्धारण (COMPUTATION OF ASSESSABLE VALUE)

Illustration 1

एक भारतीय व्यापारी ने अमेरिका से 30 मशीनें 200 डॉलर प्रति मशीन की दर से आयात कीं। इसमें निम्न व्यय शामिल नहीं हैं :

- पैकिंग व्यय 10 डॉलर प्रति मशीन
 - भारतीय बन्दरगाह तक भाड़ा 100 डॉलर
 - मार्ग का बीमा प्रीमियम 30 डॉलर
 - दलाली (परन्तु इसमें माल खरीदने का कमीशन शामिल नहीं है) 60 डॉलर।
- बन्दरगाह से माल लेने के पश्चात् व्यापारी ने निम्न खर्च किये :
- परिवहन व्यय (बन्दरगाह से अपने गोदाम तक माल लाने के लिए) 3,000 ₹
 - बीमा प्रीमियम 500 ₹
 - चुंगी 2,000 ₹

सीमा-शुल्क की गणना के लिए शुल्कयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए। विनिमय दर 1 डॉलर = 60 ₹ है।

An Indian dealer imported 30 machines from America @ 200 dollars per machine. However, the following expenses are not included in it :

- Packing charges 10 dollars per machine
 - Transportation charges to Indian Port 100 dollars
 - Transit insurance premium 30 dollars
 - Brokerage (excluding buying commission) 60 dollars
- The dealer incurred the following expenses after taking delivery at the port :
- Transportation charges from port to his godown ₹ 3,000
 - Insurance premium ₹ 500
 - Octroi ₹ 2,000.

Compute assessable value to calculate Customs Duty. Exchange rate is 1 dollar = ₹ 60.

Solution

Computation of Assessable Value

(Exchange Rate : 1 dollar = ₹ 60)

Particulars	Dollars	₹
Cost of Machines (30×200)	6,000	3,60,000
Packing charges (30×10)	300	18,000
Brokerage	60	3,600
FOB Value		3,81,600

Add : Transportation charges	100	6,000
Insurance premium	30	1,800
Assessable Value being CIF Value Loading, unloading and handling charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)		3,89,400
Costs upto place of importation or Assessable Value		Nil
		3,89,400

नोट—आयातित स्थान (Place of importation) अर्थात् भारतीय बन्दरगाह से माल लेने के पश्चात जो व्यय किये जाते हैं वे माल का शुल्कयोग्य मूल्य ज्ञात करने के लिए मूल्य में शामिल नहीं किये जाते, अतः गोदाम तक माल लाने का परिवहन व्यय, बीमा प्रीमियम एवं चुंगी शुल्कयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किये गये हैं।

Illustration 2

एक भारतीय व्यापारी ने 10,000 डॉलर का माल आयात किया। परन्तु इसमें निम्न व्यय शामिल नहीं हैं :

- (i) माल खरीदने का कमीशन 200 डॉलर, भारतीय व्यापारी के एजेण्ट को दिया
- (ii) पैकिंग व्यय—वारदाना 500 डॉलर; अन्य पैकिंग का सामान 100 डॉलर; मजदूरी 300 डॉलर
- (iii) भारतीय बन्दरगाह तक परिवहन व्यय
- (iv) बीमा प्रीमियम।

सीमा-शुल्क की गणना के लिए शुल्कयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए।

विनिमय दर :

- (i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित दर 1 डॉलर = 60.20 ₹;
- (ii) बोर्ड द्वारा घोषित दर 1 डॉलर = 60 ₹।

An Indian dealer imported goods worth 10,000 dollars. However, the following expenses are not included in it :

- (i) Buying Commission paid to an agent of Indian dealer 200 Dollars.
- (ii) Packing charges—Containers 500 dollars; other Packing materials 100 dollars; Labour charges 300 dollars.
- (iii) Transportation charges to Indian Port.
- (iv) Transit insurance premium.

Compute assessable value to calculate Customs Duty.

Exchange rate :

- (i) Declared by the R.B.I. ₹ 60.20 per dollar;
- (ii) Notified by the Board ₹ 60 per dollar.

Solution

Computation of Assessable Value

(Exchange Rate : 1 dollar = ₹ 60)

Particulars	Dollars	₹
Cost of goods	10,000	6,00,000
Buying Commission	—	—
Packing charges	900	54,000
	FOB Value	10,900
Add : Transportation charges (20% of FOB Value)		6,54,000
Insurance premium (1.125% of FOB Value)		1,30,800
Assessable Value being CIF Value Loading, unloading and handling charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)		7,357
		7,92,157
		Nil
Assessable Value		7,92,157

नोट—1. माल खरीदने का कमीशन शुल्कयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किया जाता।

2. यदि परिवहन व्यय की राशि नहीं दी गई है तो यह FOB मूल्य की 20% मानी जाती है।

3. यदि बीमा प्रीमियम की राशि नहीं दी गई है तो यह FOB मूल्य की 1.125% मानी जाती है।

Illustration 3

एक भारतीय ने लन्दन से एक मशीन आयात की।

निम्न सूचनाओं के आधार पर सीमा शुल्क के लिए मशीन का शुल्कयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए :	£
(i) मशीन का मूल्य	10,000
(ii) पैकिंग व्यय	500
(iii) हवाई जहाज का परिवहन व्यय	3,000
(iv) निर्यातक के दलाल को सौदा करवाने का कमीशन	100
(v) निर्यातक के कर्मचारी को भारत आकर मशीन को लगाने (assembling) का पारिथमिक	3,000
(vi) बीमा प्रीमियम	500
(vii) भारतीय हवाई अड्डे से फैक्टरी तक माल लाने का व्यय एवं बीमा प्रीमियम	10,000 ₹
(viii) विनियम दर : £ 1 = ₹ 90	

An Indian imported a machine from London.

From the following information compute the assessable value of the machine for Customs Duty :	£
(i) Cost of machine	10,000
(ii) Packing charges	500
(iii) Transportation charges by air	3,000
(iv) Commission paid to the broker of exporter who arranged the deal	100
(v) Amount paid to an employee of exporter for assembling the machine in India	3,000
(vi) Insurance premium	500
(vii) Transportation charges from airport to factory and insurance premium	₹ 10,000
(viii) Rate of exchange : £ 1 = ₹ 90.	

Solution**Computation of Assessable Value of Machine**

(Exchange Rate : £ 1 = ₹ 90)

Particulars	£	₹
Cost of Machine	10,000	9,00,000
Commission	100	9,000
Packing charges	500	45,000
	FOB Value	10,600
Add : Transportation charges (Max. 20% of FOB Value)	2,120	1,90,800
Insurance premium	500	45,000
	Assessable Value being CIF Value	13,220
Loading, unloading and handling charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)		11,89,800
		Nil
	Assessable Value	11,89,800

- नोट—1. भारत में मशीन लगाने के व्यय शुल्कयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किये जाते।
 2. भारतीय हवाई अड्डे से फैक्टरी तक माल लाने के व्यय एवं बीमा प्रीमियम शुल्कयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किये जाते।
 3. उपर्युक्त दोनों व्यय निर्यातक के स्थान से निकासी द्वारा के बाद की लागतें हैं अतः शुल्कयोग्य मूल्य का भाग नहीं हैं।
 4. यदि माल हवाई जहाज से आयात किया जाता है तो उसका अधिक भाड़ा होने के कारण FOB मूल्य का 20% ही परिवहन लागत मानी जाती है।

Illustration 4

एक कंपनी ने यूरोप से एक मशीन आयात की है।

निम्न सूचनाओं से शुल्कयोग्य मूल्य का निर्धारण कीजिए :	
1. मशीन की लागत (निम्नांकित लागतों के बिना)	25,000 यूरो
2. आयातक ने निर्यातक को माल भेजा जो मशीन में प्रयुक्त हुआ	₹ 1,00,000
3. डिजाइन एवं विकास व्यय विदेश में हुए	5,000 यूरो
4. आयात के बाद निर्यातक को तकनीकी फीस	4,000 यूरो
5. मशीन स्थापना व्यय	₹ 50,000
6. पैकिंग व्यय	500 यूरो

7. परिवहन व्यय	1,000 यूरो
8. भारत के बाहर वीमा प्रीमियम दिया	500 यूरो
9. बन्दरगाह से कारखाने तक परिवहन एवं वीमा	
10. बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर 70 ₹ प्रति यूरो।	₹ 10,000
11. R. B. I. द्वारा घोषित विनिमय दर 71 ₹ प्रति यूरो।	

A company imported a machine from Europe.

From the following information compute the assessable value for Customs Duty :

1. Cost of Machine, but it does not include	25,000 Euro
2. The importer sent the goods to the exporter for the machine. It was used in manufacturing the machine.	₹ 1,00,000
3. Design and development expenses incurred outside India	5,000 Euro
4. Technical fees paid to exporter after import of machine	4,000 Euro
5. Installation charges of machine in the factory	₹ 50,000
6. Packing charges	500 Euro
7. Transportation charges	1,000 Euro
8. Insurance premium paid in India	500 Euro
9. Transportation and insurance charges from port to factory	₹ 10,000
10. Exchange rate declared by the Board ₹ 70 per Euro.	
11. Exchange rate declared by the R.B.I. ₹ 71 per Euro.	

Solution

Computation of Assessable Value of Machine

(Exchange Rate : 1 Euro = ₹ 70)

Particulars	Euro	₹
Cost of Machine	25,000	17,50,000
Goods supplied by Importer	—	1,00,000
Design & development charges	5,000	3,50,000
Packing charges	500	35,000
FOB Value	30,500	22,35,000
Add : Transportation charges	1,000	70,000
Insurance premium	500	35,000
Assessable Value being CIF Value		23,40,000
Handling charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)		Nil
Assessable Value		23,40,000

Note : Transport & Insurance Expenses incurred after the entry of the goods in India, expenses on installation of the machine and technical fee is not included in Assessable Value.

Illustration 5

एक आयातक ने एक मशीन आयात की जिसका वीजक मूल्य 16,000 डॉलर था। निम्न सूचनाओं के अनुसार सीमा शुल्क के लिए मशीन का शुल्कयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए :

- (i) पैकिंग व्यय 800 डॉलर।
- (ii) हवाई जहाज का भाड़ा 4,800 डॉलर।
- (iii) वीमा प्रीमियम 1,050 डॉलर।
- (iv) भारतीय हवाई अड्डे से गोदाम तक माल लाने का परिवहन व्यय 8,000 ₹।
- (v) नियातक के दलाल को सौदा करवाने का कमीशन 190 डॉलर।

बोर्ड द्वारा घोषित विनिमय दर 1 डॉलर = 60 ₹।

An importer has imported a machine at invoice price of 16,000 dollars. From the following information compute the assessable value of the machine for Custom Duty :

- (i) Packing charges 800 dollars.
- (ii) Transport charges by air 4,800 dollars.
- (iii) Insurance Premium 1,050 dollars.
- (iv) Transportation charges from Indian airport to godown ₹ 8,000.
- (v) Commission paid to the broker of exporter who arranged the deal 190 dollars.

Exchange rate notified by the Board 1 dollar = ₹ 60.

Solution	Computation of Assessable Value	
	Particulars	Dollars
Invoice value of machine		16,000
Packing charges		800
Brokerage commission		190
	FOB Value	16,990
Add : Freight (20% of FOB Value)		3,398
Insurance		1,050
	Assessable Value being CIF Value	21,438
CIF Value in ₹ (21,438 × 60)		₹
Landing charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)		12,86,280
		Nil
	Assessable Value	12,86,280

Illustration 6

5,000 US \$ मूल्य का कच्चा माल हवाई मार्ग से आयात किया गया, जिस पर 1,500 US \$ भाड़ा और 500 US \$ वीमा चुकाया गया। बैंकर ने 61 ₹ प्रति \$ की दर से आयातक से भुगतान प्राप्त किया। CBITC द्वारा अधिसूचित दर 60 ₹ प्रति US \$ है। शुल्क उद्ग्रहण उद्देश्य के लिए माल का मूल्य ज्ञात कीजिए।

A material was imported by air at CIF price of 5,000 US \$. Freight paid was 1,500 US \$ and insurance cost was 500 US\$. The banker realized the payment from importer at the exchange rate of ₹ 61 per dollar. Central Board of Indirect Taxes and Customs notified the exchange rate as ₹ 60 per US \$. Find the value of the material for the purpose of levying duty.

Solution

Particulars	Computation of Assessable Value	US \$
CIF value		5,000
Less : Freight		(-) 1,500
Less : Insurance		(-) 500
Therefore, FOB value		3,000
Assessable value for Customs purpose		
FOB value		3,000
Add : Freight (20% of FOB value) [Note-1]		600
Add : Insurance (actual)		500
CIF for customs purpose		4,100
Landing charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)		Nil
Value for customs purpose or CIF Value		4,100
Exchange rate as per CBITC		₹ 60 per
	Assessable value (₹ 60 × 4,100 US \$)	₹ 2,46,000

Note : (1) If the goods are imported by air, the freight cannot exceed 20% of FOB price. (2) CBIT & C notified exchange rate to be considered. (3) Actual insurance charges given are considered, otherwise restricted to 1.125% of F. O. B. Value.

Illustration 7

निम्नांकित सूचनाओं से आयातित माल का शुल्क योग्य मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन ज्ञात कीजिए :

- | | |
|--|--------|
| (i) निर्यातक के कारखाने पर मशीन की लागत | US \$ |
| (ii) निर्यातक के कारखाने से बन्दरगाह तक की परिवहन लागत | 10,000 |
| (iii) जहाज पर मशीन लदान व्यय का भुगतान | 500 |
| (iv) आयातक द्वारा चुकता क्रय कमीशन | 50 |
| (v) निर्यातक देश से भारत तक का भाड़ा | 50 |
| (vi) विचारणीय विनिमय दर 1 \$ = ₹ 60 | 1,000 |
| (vii) वास्तविक चुकता वीमा की राशि उपलब्ध नहीं है। | |

From the particulars given below, find out the Assessable Value of the imported goods under the Customs Act, 1962 :

	US \$
(i) Cost of the machine at the factory of the exporter	10,000
(ii) Transport charges from the factory of exporter to the port for shipment	500
(iii) Handling charges paid for loading the machine in the ship	50
(iv) Buying commission paid by the importer	50
(v) Freight charges from exporting country to India	50
(vi) Exchange rate to be considered : 1\$ = ₹ 60	1,000
(vii) Actual insurance charges paid are not ascertainable	

Solution

Computation of Assessable Value

Particulars	US \$
(i) Cost of the machine at the factory	10,000
(ii) Transport charges up to port	500
(iii) Handling charges at the port	50
	FOB Value
(iv) Freight charges up to India	10,550
(v) Insurance charges @ 1.125% of FOB [Note-1]	1,000
	CIF Value
CIF in Indian rupees @ ₹ 60/ per \$	118.119
(vi) Landing charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)	Nil
	Assessable Value
	₹ 7,00,140

Notes : 1. Insurance charges and landing charges have been included @ 1.125% of FOB value of goods.

2. Buying commission is not to be included in the assessable value.

Illustration 8

ABC कंपनी ने एक मशीन UK से आयात की है, उनसे उपलब्ध निम्नांकित सूचनाओं से सीमा शुल्क उद्ग्रहण के लिए शुल्कयोग्य मूल्य निकालिए :

	Amount (£)
(i) मशीन का मूल्य	10,000
(ii) हवाई भाड़ा	3,000
(iii) U. K. की फर्म को देय इंजीनियरिंग एवं डिजाइन व्यय	500
(iv) क्रेता द्वारा आयातित माल पर सर्वतों विक्रय के आधार पर देय लाइसेंस फीस	मशीन मूल्य का 20%
(v) क्रेता द्वारा U. K. में निःशुल्क उपलब्ध कराए गए सामान एवं उपकरण का मूल्य	20,000 ₹
(vi) भारत में चुकता वीमा राशि	6,000 ₹
(vii) क्रेता द्वारा U. K. में अपने एजेण्ट को चुकता क्रय कमीशन	100

अन्य विवरण :

- (i) अन्तर्रेंक विनिमय दर 98 ₹ प्रति U.K. (£) पाउण्ड
- (ii) CBITC द्वारा अधिसूचित दर = 100 ₹ प्रति U.K. (£) पाउण्ड
- (iii) विमान पत्तन से मशीन की निकासी में देरी के कारण आयात द्वारा चुकता देरी का शुल्क 5,000 ₹
(जहां आवश्यक हो उपयुक्त अपेक्षित मान्यताओं के साथ अपनी गणना करें)

ABC & Company Ltd. has imported a machine from U.K. From the following particulars furnished by it, arrive at the Assessable Value for the purpose of customs duty payable.

	Amount (£)
(i) Price of the machine	10,000
(ii) Freight (air)	3,000
(iii) Engineering and design charges paid to a firm in U.K.	500
(iv) Licence free relating to imported goods payable by the buyer as a condition of sale	20% of Price of machine
(v) Materials and components supplied in UK by the buyer free of cost valued at ₹ 20,000	

(vi) Insurance paid to the insurer in India	₹ 6,000
(vii) Buying commission paid by the buyer to his agent in U.K.	£ 100
Other particulars :	
(i) Inter-bank exchange rate : ₹ 98 per U.K. (£) Pound	
(ii) CBITC had notified exchange rate of ₹ 100 per U.K. (£) Pound.	
(iii) Importer paid ₹ 5,000 towards demurrage charges for delay in clearing the machine from the Airport. (Make suitable assumptions wherever required and show workings with explanations)	

Solution**Computation of Assessable Value**

Particulars	Amount £
Price of the machine	10,000
Add : Engineering and design charges paid in UK [Note 1]	500
Licence fee relating to imported goods payable by the buyer as a condition of sale (20% of Price of machine) [Note 1]	2,000
Total	<u>12,500</u>
	<i>Amount (₹)</i>
Value in Indian currency [£ 12,500 × ₹ 100] [Note 2]	12,50,000
Add : Materials and components supplied by the buyer free of cost [Note 1]	20,000
FOB Value	12,70,000
Add : Freight [Note 3]	2,54,000
Insurance paid to the insurer in India [Note 1]	6,000
Assessable Value being CIF Value	15,30,000
Landing charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)	Nil
Assessable Value	<u>15,30,000</u>

Notes : 1. Engineering and design charges paid in UK, licence fee relating to imported goods payable by the buyer as a conditional sale, materials and components supplied by the buyer free of cost and actual insurance charges paid are all includible.

2. Assessable value should be calculated with reference to rates notified by the CBITC.
3. If the goods are imported by air, the freight cannot exceed 20% of FOB value.
4. Buying commission is not includible in the assessable value.

5. Only ship demurrage charges paid on charted vessels are given as the cost of transport of the imported goods. Thus, demurrage charges for delay in clearing the machine from the Airport will not be includible in the assessable value.

सीमा शुल्क की गणना**(COMPUTATION OF CUSTOMS DUTY)**

अभी तक जो उदाहरण आपने पढ़े हैं उनमें 'शुल्कयोग्य मूल्य' की ही गणना की गई है, सीमा शुल्क की गणना नहीं की गई है। इस मूल्यांकन का अंतिम उद्देश्य विविध सीमा शुल्कों की मात्रा का निर्धारण करना है। अतः आगे के उदाहरणों में उस पर लागू 'सीमा शुल्क' की मात्रा का निर्धारण किया गया है।

Illustration 9

निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए :

- (i) आयातित माल का निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 5,00,000;
- (ii) मूल सीमा शुल्क की दर 10%;
- (iii) CTA 1975 की धारा 3(7) के अधीन इण्टीग्रेटेड कर की दर 12% है। (GST क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें)

From the following particulars calculate the Customs Duty payable :

- (i) Assessable value of imported goods ₹ 5,00,000.
- (ii) Basic customs duty payable @ 10%.
- (iii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is 12% (Ignore GST Compensation Cess).

Solution	Calculation of Customs Duty	₹
Basic Customs Duty on ₹ 5,00,000 @ 10%		50,000
Add : Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty		5,000
Add : Integrated Tax $(5,00,000 + 50,000 + 5,000) \times 12\%$		66,600
Total Customs Duty Payable		<u>1,21,600</u>

Illustration 10

निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए :

- (i) आयातित माल का करनिर्धारण योग्य मूल्य 2,00,000 ₹
- (ii) मूल सीमा शुल्क की दर 10%
- (iii) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स @ 12% (GST क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें)

From the following particulars calculate the Customs Duty payable : (i) Assessable Value of imported goods ₹ 2,00,000, (ii) Basic customs duty payable @ 10%, (iii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is 12% (Ignore GST Compensation Cess).

Solution

Calculation of Customs Duty	₹
Basic Customs Duty on ₹ 2,00,000 10%	20,000
Add : Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty	2,000
Add : Integrated Tax @ 12% ($₹ 2,00,000 + 20,000 + 2,000 = ₹ 2,22,000 \times 12\%$)	26,640
Total Customs Duty Payable	<u>48,640</u>

Illustration 11

एक आयातित माल का शुल्कयोग्य मूल्य 40,000 ₹ है। मूल सीमा शुल्क की दर 10% है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3(7) के अधीन देय इंटीग्रेटेड टैक्स की दर 12% है। GST क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें।

Assessable Value of an imported product is ₹ 40,000. Basic customs duty is 10%. Integrated Tax u/s 3(7) of Customs Tarriff Act is 12% (Ignore GST Compensation Cess).

Solution

Calculation of Customs Duty	₹
Basic Customs Duty on ₹ 40,000 @ 10%	4,000
Add : Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty	400
Add : Integrated Tax @ 12% ($40,000 + 4,000 + 400 = ₹ 44,400 \times 12\%$)	5,328
Total Customs Duty Payable	<u>9,728</u>

Illustration 12

निम्न सूचनाओं से देय आयात शुल्क की गणना कीजिए :

- (i) आयातित माल का C.I.F. मूल्य 5,00,000 ₹
 - (ii) मूल सीमा शुल्क की दर 10%
 - (iii) CTA की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स 12%
- From the following information calculate the Customs Duty payable :
- (i) CIF Value of goods imported ₹ 5,00,000
 - (ii) Rate of basic customs duty 10%
 - (iii) Integrated Tax u/s 3(7) of CT Act, 1975 12%

Solution

(A) Computation of Assessable Value	₹
CIF Value	5,00,000
Add : Handling charges (Not to be added now, as amended by Circular No. 39/2017 dated 26.9.2017)	Nil
Assessable Value	<u>5,00,000</u>

(B) Calculation of Customs Duty

	₹
(i) Basic Customs Duty on ₹ 5,00,000 @ 10%	50,000
(ii) Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty	5,000
(iii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA 1975 (₹ 5,00,000 + 50,000 + 5,000) 12%	66,600
Total Customs Duty Payable	1,21,600

नोट—प्रश्न में माल का CIF मूल्य दिया गया है, जिसे ही 'शुल्क-योग्य मूल्य', अब संशोधन पश्चात माना जाता है।

Illustration 13

निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए :

- (i) आयातित माल का शुल्कयोग्य मूल्य 1,50,000 ₹
- (ii) मूल सीमा शुल्क की दर 10%
- (iii) CTA, 1975 की धारा 3(7) के अधीन देय इंटीग्रेटेड टैक्स @ 18%
- (iv) निर्यातक देश ने विक्रेता को इस माल पर 30,000 ₹ की सहायता दी है।
- (v) GST क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें।

From the following particulars calculate the Customs Duty payable :

- (i) Assessable Value of imported goods ₹ 1,50,000
- (ii) Basic customs duty payable @ 10%
- (iii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is 18%.
- (iv) The exporting country has subsidized the seller ₹ 30,000.
- (v) Ignore GST Compensation Cess.

Solution

Calculation of Customs Duty

	₹
Basic Customs Duty on ₹ 1,50,000 @ 10%	15,000
Add : Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty	1,500
Add : Integrated Tax @ 18% (1,50,000 + 15,000 + 1,500) × 18%	29,970
 Add : Countervailing Duty equal to subsidy	 46,470
	30,000
Total Customs Duty Payable	76,470

नोट : निर्यातक देश द्वारा विक्रेता को प्रदत्त आर्थिक सहायता के बराबर Countervailing duty लगाई जाने से घरेलू निर्माता को 'समान आधार पर क्रियान्वयन' (Level playing field) का अवसर प्राप्त होता है।

Illustration 14

X Co. ने अमेरिका से माल आयात किया। निम्न सूचनाओं से देय आयात शुल्क की गणना कीजिए :

- (i) माल का मूल्य 15,000 \$
- (ii) पैकिंग व्यय 3,000 \$
- (iii) दलाल को भारत में कमीशन दिया, जिसने यह सौदा करवाया है 10,000 ₹
- (iv) अमेरिका से भारतीय बन्दरगाह तक परिवहन लागत 2,000 \$
- (v) वीमा प्रीमियम 1,000 \$
- (vi) विनियम दर :
 - (अ) बोर्ड द्वारा घोषित 1 डॉलर = 60 ₹
 - (ब) रिजर्व बैंक द्वारा घोषित 1 डॉलर = 60.50 ₹
- (vii) मूल सीमा शुल्क की दर 10%
- (viii) CTA 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स 12%
- (ix) GST के अधीन क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें।

X Co. imported goods from America. From the following informations determine the Customs Duty payable :

- (i) Cost of goods \$ 15,000
- (ii) Packing charges \$ 3,000
- (iii) Paid commission in India to the broker who arranged the deal abroad ₹ 10,000

(iv) Freight from America to Indian port	\$ 2,000
(v) Insurance premium	\$ 1,000
(vi) Exchange rate :	
(a) Declared by the Board 1 dollar = ₹ 60	
(b) Declared by the R.B.I. 1 dollar = ₹ 60.50	
(vii) Rate of Basic Customs Duty	10%
(viii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975	12%
(ix) Ignore Compensation Cess under GST.	

नोट—वोर्ड या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित विनिमय दर को आधार माना जाता है, अन्य किसी और दी हुई दर को विचार नहीं करते हैं।

Solution

(A) Computation of Assessable Value

(Exchange Rate : 1 dollar = ₹ 60)

Particulars	\$	₹
1. Cost of goods	15,000	9,00,000
2. Packing charges	3,000	1,80,000
3. Commission	—	10,000
		10,90,000
Add : Freight	2,000	1,20,000
Insurance premium	1,000	60,000
		12,70,000
Assessable Value being CIF Value		

(B) Computation of Customs Duty Payable

Particulars	₹
Basic Customs Duty on ₹ 12,70,000 @ 10%	1,27,000
Add : Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty	12,700
Add : Integrated Tax @ 12% $(12,70,000 + 1,27,000 + 12,700) \times 12\%$	1,69,164
Total Customs Duty Payable	3,08,864

Illustration 15

एक आयातक ने अमेरिका से 50,000 डॉलर मूल्य का कच्चा माल FOB मूल्य पर आयात किया। अन्य विवरण इस प्रकार हैं :

- सामग्री को जिस सामान से पैक किया गया उसके लिए अतिरिक्त रूप से चार्ज किया
- माल को वापसी योग्य कण्टेनर में भेजा गया, कण्टेनर मूल्य
- वीमा व्यय
- समुद्री भाड़ा
- आयातक ने कच्ची सामग्री के क्रय हेतु अमेरिका में एजेण्ट को कर्मीशन का भुगतान किया
- डॉलर की विनिमय दर
- सीमा शुल्क की मूल दर
- CTA, 1975 के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स की दर
- GST क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें।

कुल देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए।

An importer has imported raw material from America at a cost of 50,000 dollars. Other details are as follows :

- Goods were packed for which packing charges were charged
- Goods were stuffed in returnable container, price of container is
- Insurance charges
- Sea freight charges
- Importer had paid commission to broker in America who arranged the transaction
- Rate of Exchange
- Basic Customs duty
- Rate of Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975
- Ignore GST Compensation Cess.

Find the customs duty payable.

Solution**Computation of Assessable Value**

(Exchange rate 1 dollar = ₹ 60)

Particulars	\$	₹
Cost of goods including container	50,000	30,00,000
Packing charges	5,000	3,00,000
Commission	500	30,000
	FOB Value	55,500
Add : Insurance		250
Freight		4,000
	Assessable Value being CIF Value	59,750
		35,85,000

Computation of Customs Duty

Particulars	₹
1. Basic Customs Duty (35,85,000 @ 10%)	3,58,500
Add : Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty	35,850
2. Integrated Tax u/s 3(7) of C.T.A. 1975 (35,85,000 + 3,58,500 + 35,850) × 12%	4,77,522
	Total Customs Duty Payable
	8,71,872

नोट—Container जिसमें माल भेजा गया है उसकी लागत Assessable Value में शामिल नहीं की जाएगी, क्योंकि यह माल के विक्रययोग्य बनाने के लिए आवश्यक पैकिंग नहीं है।

Illustration 16

एक भारतीय आयातक ने 5,000 डॉलर का कच्चा माल आयात किया। इसके सम्बन्ध में निम्नांकित जानकारी प्राप्त है :

- (i) वस्तुओं के पैकिंग के व्यय 120 डॉलर।
- (ii) वस्तुएं वापसी योग्य कण्टेनर में भेजी गयीं, जिनका मूल्य 400 डॉलर था।
- (iii) बीमा प्रीमियम 50 डॉलर।
- (iv) समुद्री भाड़ा 160 डॉलर।
- (v) आयातक ने दलाल को 100 डॉलर कमीशन दिया, जिसने यह सौदा करवाया है।
- (vi) 1 डॉलर की विनिमय दर 60 ₹ है।
- (vii) सीमा शुल्क 10% लगता है।
- (viii) C. T. A., 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स @ 12%
- (ix) GST क्षतिपूर्ति उपकर को छोड़ दें।

आयातित वस्तु का कर-निर्धारण मूल्य एवं देय सीमा शुल्क की गणि ज्ञात कीजिए।

An Indian importer imported raw materials for 5,000 dollars. Following informations are available :

- (i) Packing charges of goods 120 dollars.
 - (ii) Goods were stuffed in container (returnable) price of the container is 400 dollars.
 - (iii) Insurance Premium 50 dollars.
 - (iv) Sea freight 160 dollars.
 - (v) Importer had paid commission of 100 dollars to a broker who arranged the transaction.
 - (vi) Dollar Rate is ₹ 60 = 1 dollar.
 - (vii) Basic customs duty is 10%.
 - (viii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 @ 12%.
 - (ix) Ignore GST Compensation Cess.
- Find out the assessable value of imported goods and customs duty payable.

Solution**Computation of Assessable Value**

(Exchange Rate 1 dollar = ₹ 60)

<i>Particulars</i>	\$	₹
Purchase price of goods	5,000	3,00,000
Add : Packing charges	120	7,200
Returnable containers (Not added in assessable value)	—	—
Commission	100	6,000
	FOB Value	
Add : Sea freight	5,220	3,13,200
Insurance Premium	160	9,600
	50	3,000
	Assessable Value being CIF Value	5,430
		3,25,800

Computation of Customs Duty

<i>Particulars</i>	₹
1. Basic Customs Duty @ 10% on ₹ 3,25,800	32,580
Add : Social Welfare Surcharge @ 10% of Basic Customs Duty	3,258
2. Integrated Tax @ 12% $(3,25,800 + 32,580 + 3,258) \times 12\%$	43,397
	Total Customs Duty Payable
	79,235

नोट—वापसीयोग्य बारदाना (Container) का मूल्य शुल्कयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह वापस करके जमा मूल्य वापस प्राप्त कर लिया जाएगा, अतः यह आयात की लागत को प्रभावित नहीं करता है।

प्रश्न

(QUESTIONS)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

- सीमा शुल्क के अन्तर्गत शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य की गणना में शामिल की जाने वाली मर्दे वतलाइए।
Explain the items includable in determining assessable value under Customs Duty Act.
- सीमा शुल्क के अन्तर्गत मूल्यांकन नियमों को समझाइए।
Explain valuation rules under Customs Duty.

क्रियात्मक प्रश्न

(PRACTICAL QUESTIONS)

- जापान से आयातित एक मशीन का शुल्कयोग्य मूल्य निम्नांकित विवरणों से ज्ञात कीजिए :

1. मशीन का FOB मूल्य	2,00,000 येन
2. भाड़ा	20,000 येन
3. मशीन के विकास सम्बन्धी व्यय का भारत में भुगतान	₹ 60,000
4. जापान से परिवहन का वीमा व्यय	₹ 15,000
5. भारत स्थित एजेन्ट का कमीशन	₹ 15,000

रिजर्व बैंक स्वीकृत विनिमय दर 1 येन = 0.45 ₹

वोर्ड द्वारा स्वीकृत विनिमय दर 1 येन = 0.50 ₹

From the following particulars determine the assessable value of the imported machine from Japan.

1. FOB cost of machine	yen 2,00,000
2. Freight charge	yen 20,000
3. Development charges paid in India	₹ 60,000
4. Insurance charges paid in India for transportation from Japan	₹ 15,000
5. Commission payable to agent in India	₹ 15,000

RBI exchange rate 1 yen = ₹ 0.45

CBIT&C exchange rate 1 yen ₹ 0.50

Ans. Assessable Value ₹ 1,40,000.

2. अमेरिका से आयातित एक मशीन का शुल्कयोग्य मूल्य निम्नांकित विवरणों से निर्धारित कीजिए :

1. आयातित मशीन का FOB मूल्य	USD 4,000
2. मशीन के साथ अनिवार्य पूरित ऐसेसरीज का मूल्य	USD 1,000
3. हवाई भाड़ा	USD 1,200
4. वीमा व्यव वास्तविक व्यव उपलब्ध नहीं	
5. स्थानीय एजेन्ट को भारत में चुकता कर्मीशन	₹ 9,300
6. भारतीय हवाई अड्डे से कारखाना तक परिवहन	₹ 4,000

विनिमय दर 1 USD = ₹ 60

Compute assessable value of a machine imported from USA from the following particulars :

1. FOB value of the machine	USD 4,000
2. Accessories compulsory supplied with the machine	USD 1,000
3. Air freight	USD 1,200
4. Insurance charges-Actual not available	
5. Local agents commission paid in India	₹ 9,300
6. Transportation charges from Indian Airport to factory	₹ 4,000

Exchange Rate 1 USD = ₹ 60

Ans. Assessable Value ₹ 3,72,675.

3. ABC Ltd. ने अमेरिका से एक मशीन आयात की जिसका शुल्कयोग्य मूल्य निम्नांकित विवरणों से ज्ञात कीजिए :

1. आयातित मशीन का FOB मूल्य	USD 15,000
2. हवाई भाड़ा चुकता	USD 4,000
3. मार्गस्थ वीमा राशि निर्धारणीय नहीं है	
4. भारत में मशीन सम्बन्धी डिजाइन कार्य की लागत	₹ 45,000
5. भारतीय स्थानीय एजेन्ट का कर्मीशन	₹ 15,000
6. हवाई अड्डे से कारखाना तक परिवहन लागतें	₹ 5,000

विनिमय दर 1 USD = ₹ 60

ABC Ltd. imported a machine from USA. Compute assessable value of the same from the following details :

1. FOB value of the machine	USD 15,000
2. Air freight paid	USD 4,000
3. Transit insurance of the machine unascertainable	
4. Cost of design work done in India	₹ 45,000
5. Indian local agent's commission	₹ 15,000
6. Cost of transport from port to factory	₹ 5,000

Exchange Rate 1 USD = ₹ 60

Ans. Assessable Value ₹ 11,05,140.

4. BSA & Co. ने यू.के. से एक मशीन आयात की जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित विवरण उन्होंने प्रस्तुत किये हैं, जिनसे शुल्कयोग्य मूल्य की गणना कीजिए :

1. मशीन का FOB मूल्य	10,000 UK £
2. हवाई भाड़ा	3,000 "
3. डिजाइन एवं इंजीनियरिंग चार्ज UK में चुकता	500 "
4. अनुज्ञापन शुल्क क्रेता द्वारा चुकता (FOB मूल्य का 20%)	
5. क्रेता द्वारा, निशुल्क पूरित सामग्री एवं अवयव	20,000 ₹
6. भारत में चुकता वीमा व्यव	6,000 ₹
7. क्रेता द्वारा अपने एजेंट को UK में चुकता कर्मीशन	100 UK £

अन्तर्वेक विनिमय दर 1 £ = 90.25 ₹ CBIT&C द्वारा धारा 14 के अधीन

अधिमूल्य दर 1 ₹ = 90.00 ₹ आयातक ने देश से मशीन की निकासी के विरुद्ध 5,000 ₹ विलम्ब शुल्क चुकाया।

BSA & Co. have imported a machine from U. K. from the following particulars furnished by them, arrive at the assessable value for the purpose of customs duty payable :

(i) F.O.B cost of the machine - 10,000 U. K. Pounds

(ii) Freight (air) 3,000 U. K. Pounds

(iii) Engineering and design charges paid to a firm in U. K. - 500 U. K. pounds

(iv) License fee relating to imported goods payable by the buyer as a condition of sale - 20% of F.O.B. cost

(v) Materials and components supplied by the buyer free of cost valued ₹ 20,000

- (vi) Insurance paid to the insurer in India - ₹ 6,000
 (vii) Buying commission paid by the buyer to his agent in U. K. - 100 U. K. pounds.

Other particulars :

- (a) Inter-bank exchange rate as arrived by the authorized dealer : ₹ 90.25 per U. K. pound
 (b) CBIT&C had notified for purpose of Section 14 exchange rate of ₹ 90.00 per U. K. pound
 (c) Importer paid ₹ 5,000 towards demurrage charges for delay in clearing the machine from the airport.

Ans. Assessable Value 13,40,000.

नोट—क्रय कर्मशाला एवं डैपरेज व्यव शुल्कयोग्य मूल्य का भाग नहीं है।

5. निम्न सूचनाओं से देय आयात शुल्क की गणना कीजिए :

(i) आयातित माल का C.I.F. मूल्य	₹ 3,00,000
(ii) मूल सीमा शुल्क की दर	10%
(iii) CTA, 1975 कीधारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स	12%

From the following information calculate the Customs Duty Payable :

(i) CIF Value of goods imported	₹ 3,00,000
(ii) Rate of basic customs duty	10%
(iii) Rate of Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is	12%

Ans. (i) Assessable Value ₹ 3,00,000.

(ii) Customs Duty Payable ₹ 72,960.

6. एक कम्पनी ने अमेरिका से 50 मशीनें 100 डॉलर प्रति मशीन की दर से आयात कीं। इसमें निम्न व्यव शामिल नहीं हैं :

- (i) पैकिंग व्यव 7 डॉलर प्रति मशीन
 (ii) भारतीय बन्दरगाह तक का भाड़ा 150 डॉलर
 (iii) मार्ग का वीमा प्रीमियम 50 डॉलर
 (iv) नियांतक के दलाल को दलाली 100 डॉलर
 (v) भारतीय बन्दरगाह से अपने गोदाम तक माल लाने का परिवहन व्यव एवं वीमा प्रीमियम 5,000 ₹।
 विनियम दर 1 डॉलर = 60 ₹

सीमा शुल्क की गणना के लिए माल का शुल्कयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए तथा देय सीमा शुल्क की राशि बताइए यदि :

(क) मूल सीमा शुल्क की दर	10%
(ख) CTA, 1975 कीधारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स	12%

A Company imported 50 machines @ 100 dollars per machine from America. However, the following expenses are not included in it :

- (i) Packing charges 7 dollars per machine
 (ii) Transportation charges to Indian port 150 dollars
 (iii) Transit insurance premium 50 dollars
 (iv) Brokerage paid to a broker of exporter 100 dollars
 (v) Transportation charges and insurance premium from Indian port to its godown ₹ 5,000
 Exchange rate 1 dollar = ₹ 60

Compute assessable value to calculate customs duty and customs duty if :

(a) Rate of basic customs duty	10%
(b) Rate of Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is	12%

Ans. (i) Assessable Value ₹ 3,39,000.

(ii) Customs Duty Payable ₹ 82,445.

7. शर्मा एण्ड सन्स ने 20,000 पौंड का माल आयात किया, परन्तु इसमें निम्न व्यव शामिल नहीं हैं :

- (i) पैकिंग व्यव 500 पौंड
 (ii) हवाई जहाज का परिवहन व्यव
 (iii) वीमा प्रीमियम (मानक दर FOB मूल्य का 1.125%)।
 विनियम दर 1 पौंड = 80 ₹

सीमा शुल्क की गणना के लिए माल का शुल्कयोग्य मूल्य ज्ञात कीजिए तथा देय सीमा शुल्क की राशि बताइए यदि :

- (i) मूल सीमा शुल्क की दर 10%
 (ii) इंटीग्रेटेड टैक्स u/s 3(7) CTA, 1975 12%
 (iii) GST बतिपूरक उपकर को छोड़ दें।

Sharma & Sons imported goods worth £ 20,000. However, the following expenses are not included in it :

- (i) Packing charges £ 500

- (ii) Transportation charges by air
 (iii) Insurance premium (Standard Rate 1.125% of FOB Value)

Exchange Rate £ 1 = ₹ 80

Compute assessable value to calculate customs duty and customs duty if :

- (i) Rate of Basic customs duty is 10%;
 (ii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is 12%;
 (iii) Ignore GST Compensation Cess.

Ans. (i) Assessable Value ₹ 19,86,450.
 (ii) Customs Duty Payable ₹ 4,83,105.

8. निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए :

- (i) आयातित माल का कर-निर्धारण योग्य मूल्य 5,00,000 ₹
 (ii) मूल सीमा शुल्क की दर 10%
 (iii) आयातित माल भारत में भी निर्मित होता है, इस पर भारत में 10% की दर से उत्पाद शुल्क लगता है।
 (iv) नियर्यातक देश ने इस माल को भारत भेजने के सम्बन्ध में 1,00,000 ₹ की सहायता दी है।
 (v) CTA, 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स @ 12%।

From the following information calculate the Customs Duty payable :

- (i) Assessable value of imported goods ₹ 5,00,000
 (ii) Basic customs duty payable @ 10%
 (iii) The imported goods are also produced in India. On such goods excise duty is leviable @ 10%.
 (iv) The exporting country has subsidized the export to India by ₹ 1,00,000.
 (v) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is 12%.

Ans. Customs Duty Payable ₹ 2,21,600.

9. Z कम्पनी ने यूरोप से एक मशीन आयात की है। निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क ज्ञात कीजिए :

मशीन का मूल्य परन्तु इसमें निम्न शामिल नहीं हैं	40,000 यूरो
(i) आयातक ने निर्माता को माल भेजा, जो आयातित मशीन के निर्माण में काम आया	2,00,000 ₹
(ii) डिजाइन एवं विकास व्यय भारत के बाहर किये गये	10,000 यूरो
(iii) आयातक ने नियर्यातक के दलाल को दलाली दी	1,00,000 ₹
(iv) आयातक ने अपने दलाल को मशीन का मूल्य निर्धारित करने में सहायता के लिए कमीशन दिया	1,250 यूरो
(v) पैकिंग लागत	2,000 यूरो
(vi) परिवहन एवं बीमा लागत	5,000 यूरो
(vii) मूल सीमा शुल्क की दर	10%
(viii) CTA, 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स	12%
(ix) बोर्ड द्वारा घोषित यूरो दर	70 ₹ प्रति यूरो

Z Co. imported a Machine from Europe. From the following information calculate the Customs Duty payable :
 Cost of Machine but it does not include the following

(i) Importer sent the goods to the exporter. It was used in manufacturing the machine	₹ 2,00,000
(ii) Design and development expenses incurred outside India	10,000 Euro
(iii) Importer paid brokerage to the agent of exporter	₹ 1,00,000
(iv) Importer paid commission to his agent to settle the price of the machine	1,250 Euro
(v) Packing charges	2,000 Euro
(vi) Transportation and insurance charges	5,000 Euro
(vii) Rate of basic customs duty	10%
(viii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975	12%
(ix) Rate of exchange declared by the Board	₹ 70 per Euro

Ans. (i) Assessable Value ₹ 42,90,000.
 (ii) Customs Duty Payable ₹ 10,43,328.

10. एक आयातक ने अमरीका से एक लाख डॉलर मूल्य का कच्चा माल एफ.ओ.वी. मूल्य पर आयात किया। अन्य विवरण निम्न प्रकार हैं :

(i) पैकिंग सामग्री हेतु अतिरिक्त चार्ज	10,000 \$
(ii) माल को कण्टेनर में भेजा (कण्टेनर का मूल्य एफ.ओ.वी. मूल्य में शामिल है)	4,000 \$
(iii) बीमा व्यय	500 \$

(iv) समुद्री भाड़ा	8,000 \$
(v) अमरीका में आयातक द्वारा एजेण्ट को कमीशन दिया	1,000 \$
(vi) धारा 14(3)(a)(i) के अनुसार विनिमय दर	एक डॉलर = 60 ₹
(vii) कस्टम शुल्क (मूल दर)	@ 10%
(viii) CTA, 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स	@ 12%

देय सीमा शुल्क की गणि ज्ञात कीजिए।

An importer has imported raw material from America, F.O.B. value 1 lakh dollars. Other expenses are as follows :

(i) Additional charges for packing material	\$ 10,000
(ii) Goods were sent in a container. Cost of container included in F.O.B. Value	\$ 4,000
(iii) Insurance charges	\$ 500
(iv) Sea freight charges	\$ 8,000
(v) Commission to a Broker in America	\$ 1,000
(vi) Rate of Exchange as per Section 14(3)(a)(i)	₹ 60 = 1 \$
(vii) Customs Duty	@ 10%
(viii) Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975	@ 12%

Find out the Customs Duty Payable.

Ans. Assessable Value ₹ 71,70,000
Customs Duty Payable ₹ 16,83,264.

11. एक मशीन का जहाज लदान मूल्य 20,000 पौण्ड था। हवाई जहाज का भाड़ा 4,500 पौण्ड था। मूल सीमा शुल्क की दर 10% है, इंटीग्रेटेड टैक्स CTA, 1975 की धारा 3(7) के अधीन 12% है। मशीन आयातक ने स्वयं के प्रयोग हेतु आयात की है। देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए।

विनिमय दर : 1 पौण्ड = ₹ 80

FOB price of a machine was £ 20,000. Air freight was £ 4500. Basic customs duty is 10% and Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is 12%. The machine was imported by the importer for own use. SAD 4% and Education cess and SHEC 3% also charged. Calculate Customs Duty payable. (Ignore Compensation Cess under GST)
Exchange Rate : £ 1 = ₹ 80.

Ans. Assessable Value ₹ 19,38,000, Customs Duty ₹ 4,71,322.

12. निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए :

1. शुल्कयोग्य मूल्य	2,80,000 ₹
2. निर्यातक देश द्वारा इस माल पर सख्ती	37,000 ₹
3. मूल सीमा शुल्क की दर	10%
4. CTA, 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स	12%
5. GST बतिपूर्ति शुल्क छोड़ दें।	

From the following particulars calculate Customs Duty payable :

1. Assessable Value	₹ 2,80,000
2. Exporting Country subsidised the goods	₹ 37,000
3. Rate of Basic Customs Duty	@ 10%
4. Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975	@ 12%
5. Ignore GST Compensation Cess.	

Ans. Custom Duty ₹ 1,05,096.

13. निम्न सूचनाओं से देय सीमा शुल्क की गणना कीजिए :

1. आयातित माल का शुल्कयोग्य मूल्य	15,57,580 ₹
2. मूल सीमा शुल्क की दर	10%
3. CTA, 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स	@ 12%

From the following information calculate customs duty payable :

1. Assessable Value of imported goods	₹ 15,57,580
2. Rate of Basic Duty	10%
3. Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is @ 12%.	

Ans. Total Customs Duty ₹ 3,78,804.

14. एक भारतीय व्यापारी ने 90 कम्प्यूटर 550 डॉलर प्रति कम्प्यूटर की दर से आयात किए। इसमें निम्न व्यव शामिल नहीं हैं :

- (1) पैकिंग व्यव 32 डॉलर प्रति कम्प्यूटर
- (2) मार्ग का बीमा प्रीमियम 40 डॉलर

- (3) भारतीय बन्दरगाह तक परिवहन व्यय 250 डॉलर
 (4) निर्यातक के दलाल को सौदा करवाने का कमीशन 180 डॉलर
 (5) बन्दरगाह से गोदाम तक माल लाने का व्यय एवं बीमा प्रीमियम 14,000 ₹
 (6) CTA, 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स @ 12%
 सीमा शुल्क की गणना के लिए शुल्क-योग्य मूल्य की गणना कीजिए।
 विनिमय दर वोड द्वारा घोषित 1 डॉलर = 60 ₹। देय सीमा शुल्क की राशि वर्ताइए। मूल सीमा शुल्क की दर 10% है।
 An Indian dealer imported 90 computers from America @ 550 dollars per computer. However, the following expenses are not included in it :
 (1) Packing charges 32 dollars per computer
 (2) Transit Insurance Premium 40 dollars
 (3) Transportation Charges to Indian Port 250 dollars
 (4) Commission paid to the broker of exporter who arranged the deal 180 dollars
 (5) Transportation charges from Indian port to his godown and insurance premium ₹ 14,000
 Compute assessable value to calculate Customs Duty. Exchange rate notified by the Board ₹ 60 per dollar.
 Calculate Customs Duty payable if basic rate is 10% and Integrated Tax u/s 3(7) of CTA, 1975 is 12%.

Ans. (i) Assessable Value ₹ 31,71,000.
 (ii) Customs Duty ₹ 7,71,187.

15. हिन्द लिमिटेड ने एक मशीन अमेरिका से आयात की जिसका मूल्य 26,000 डॉलर था। इसके सम्बन्ध में निम्न सूचनाएं प्राप्त हैं :

- (1) पैकिंग व्यय 900 डॉलर
 (2) भारतीय बन्दरगाह तक परिवहन व्यय 1,350 डॉलर
 (3) डिजाइन एवं विकास व्यय जो भारत के बाहर चुकाए गए 4,100 डॉलर
 (4) भारतीय बन्दरगाह से कारखाने तक चुकाया गया भाड़ 25,500 ₹
 (5) भारत में भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम 17,500 ₹
 (6) कारखाने में मशीन लगाने के व्यय 9,500 ₹
 (7) अमेरिकन कम्पनी के भारत में स्थित अभिकर्ता को विक्रय मूल्य पर 5% कमीशन रुपयों में भुगतान किया गया।
 (8) वोड द्वारा अधिसूचित विनिमय दर 1 डॉलर = 60 ₹
 (9) रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनिमय दर 1 डॉलर = 60.50 ₹
 (10) मूल सीमा-शुल्क दर 10%

- (11) इंटीग्रेटेड टैक्स सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अधीन दर @ 12%

कर-निर्धारण मूल्य एवं देय सीमा-शुल्क ज्ञात कीजिए।

Hind Ltd. imported a machine from America at price of 26,000 dollars. Following informations are available :

- (1) Packing Charges 900 dollars.
 (2) Transportation Charges to Indian Port 1,350 dollars.
 (3) Design and Development Expenses incurred outside India 4,100 dollars.
 (4) Transportation Charges from Indian Port to Factory ₹ 25,500.
 (5) Insurance Premium paid in India ₹ 17,500.
 (6) Installation Charges of Machine in the Factory ₹ 9,500.
 (7) 5% Commission on Selling Price to Agent in Indian Rupees in India of American Company.
 (8) Exchange Rate notified by the Board 1 dollar = ₹ 60.
 (9) Exchange Rate declared by the Reserve Bank 1 dollar = ₹ 60.50.
 (10) Rate of Basic Custom Duty 10%.

(11) Rate of Integrated Tax u/s 3(7) of C.T.A. 1975 is 18%.

Find out the customs duty payable and assessable value.

Ans. Assessable Value ₹ 20,36,500; Total Customs Duty ₹ 6,30,908.

Hint : Item No. 1, 2, 3, 5 and 7 be added to arrive at CIF Value.

16. निम्न सूचनाओं से देय सीमा-शुल्क की गणना कीजिए :

- | | |
|--|------------|
| 1. आयातित माल का CIF मूल्य | 9,50,000 ₹ |
| 2. मूल सीमा शुल्क की दर | 10% |
| 3. सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स @ 18% | |
- From the following particulars, calculate the custom duty payable :
- | | |
|--------------------------------|------------|
| 1. CIF Value of goods imported | ₹ 9,50,000 |
|--------------------------------|------------|

2. Rate of Custom Duty Basic	10%
3. Integrated Tax u/s 3(7) of Custom Tariff Act, 1975 is 18%.	
Ans. Assessable Value ₹ 9,50,000	
Total Customs Duty ₹ 2,94,310.	
Hint : Loading/Unloading Charges—1% of C.I.F. Value.	
17. याता एक्सपोर्ट, इंडिया ने अमेरिका से कुछ पार्ट्स आयात किये जिनके लिए पूर्तिकर्ता ने 6,750 डॉलर चार्ज किये। ये पार्ट्स हवाई जहाज से मंगाये गये एवं 1,900 डॉलर भाड़ा चुकाया गया। मार्गस्थ बीमा प्रीमियम 260 डॉलर चुकाया गया। पैकिंग व्यय 125 डॉलर था जो कि उपर्युक्त मूल्य में शामिल है। कर-निर्धारण योग्य मूल्य ज्ञात कीजिए यदि विनिमय दर 1 डॉलर = ₹ 60 हो। देय सीमा शुल्क की राशि बताइए:	
(i) मूल सीमा-शुल्क 10%	
(ii) इंटीग्रेटेड टैक्स की दर सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अधीन 12% है।	
Tata Exports Limited (India) imports some parts from USA and the supplier charges 6,750 dollars. These parts have been sent by Air service and Air freight has been paid 1,900 dollars. Transit insurance premium was paid 260 dollars. Packing charges were 125 dollars which included in aforesaid price.	
Find out Assessable value if the exchange rate is 1 dollar = ₹ 60. Calculate Customs Duty payable if :	
(i) Basic Customs Duty is 10%	
(ii) Integrated Tax u/s 3(7) of Custom Tariff Act, 1975 is 12%. (Ignore GST Compensation Cess under GST)	
उत्तर—शुल्कयोग्य मूल्य 5,01,600 ₹, सीमा शुल्क 1,21,990 ₹।	
नोट : भाड़ा FOB मूल्य का 20% तक सीमित माना जाता है।	
18. एक आयातक ने एक मशीन UK से आयात की जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित विवरण उन्होंने प्रस्तुत किये हैं :	UK £
1. मशीन का FOB मूल्य	10,000
2. भारत में चुकाता बीमा	6,000
2. UK से भारत तक भाड़ा	700
3. डिजाइन एवं विकास व्यय का भुगतान UK में एक परामर्शदाता को किया गया	2,000
4. आयातक ने भारत में मशीन के विकास के सम्बन्ध में व्यय किये	50,000 ₹
5. भारतीय बन्दरगाह से आयातक के कारखाने तक का परिवहन व्यय	10,000 ₹
रिजर्व बैंक द्वारा घोषित दर 1UK £ = 90.12	
बौर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दर 1UK £ = 90.00	
बैंक द्वारा आयातक से वसूली की दर 1UK £ = 90.35	
विदेशी निर्यातक का भारत में एक एजेन्ट है जिसको FOB मूल्य का 5% कमीशन ₹ में देय है।	
प्रचलित आयात शुल्क 10% एवं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3(7) के अधीन इंटीग्रेटेड टैक्स की दर 12% है। शुल्कयोग्य मूल्य निर्धारण के साथ-साथ देय आयात शुल्क की भी गणना कीजिए (जी.एस.टी. क्षतिपूर्ति उपकर छोड़ दें)।	
An importer has imported a machine from UK at FOB cost of 10,000 UK pounds. Other details are as follows :	
(a) Freight from UK to Indian port was 700 pounds.	
(b) Insurance was paid to insurer in India : ₹ 6,000	
(c) Design and development charges of 2,000 UK pounds were paid to a consultancy firm in UK.	
(d) The importer also spent an amount of ₹ 50,000 in India for development work connected with the machinery.	
(e) ₹ 10,000 were spent in transporting the machinery from Indian port to the factory of importer.	
Rate of exchange as announced by RBI was ₹ 90.12 = one UK pound	
Rate of exchange as announced by CBIT&C (Board) by notification ₹ 90.00 = one UK pound.	
Rate at which bank recovered the amount from importer ₹ 90.35 = one UK pound.	
Foreign exporters have an agent in India. Commission is payable to the agent in Indian Rupees @ 5% of FOB price.	
Customs duty payable was 10%. Integrated Tax u/s 3(7) of Customs Tariff Act, 1975 is 12% (Ignore GST Compensation Cess). Find customs duty payable.	
Ans. Customs duty payable 2,90,380. Assessable value 11,94,000.	
नोट— (1) भारत में किये गये डिजाइन एवं विकास व्यय एवं परिवहन लागतों को जोड़ा नहीं जाएगा।	
(2) देय शुल्क समान होता भले ही आयातक निर्मति हो या व्यापारी।	

5

बैगेज, डाक वस्तुएं एवं स्टोर्स नियम [BAGGAGE, POSTAL ARTICLES AND STORES RULES]

बैगेज की परिभाषा

“बैगेज” में शामिल है साथ न लाया गया बैगेज परन्तु इसमें मोटर वाहन शामिल नहीं है।”

“Baggage includes unaccompanied baggage but does not include motor vehicle.” [Section 2(3)]

बैगेज के स्वामी द्वारा घोषणा—सीमा शुल्क स्टेशन से ‘निकासी’ के लिए इसके स्वामी द्वारा समुचित अधिकारी को बैगेज की विषय-वस्तु सम्बन्धी घोषणा करनी आवश्यक होती है।

टैरिफ मूल्यांकन एवं शुल्क की दर की घोषणा

बैगेज का टैरिफ मूल्यांकन एवं शुल्क की दर वह लागू होगी जो कि बैगेज के सम्बन्ध में थारा 77 के अधीन घोषणा करने की तिथि से प्रभावी है। यात्री बैगेज का मूल्यांकन IGST एवं क्षतिपूर्ति उपकर की प्रभावशीलता से मुक्त होता है। यद्यपि 35% की दर से मूल सीमा शुल्क (Basic Customs Duty) एवं उस पर 10% सामाजिक कल्याण उपकर (SWS) भी उस मूल्यांकन पर लागू होता है जो बैगेज नियमावली 2016 में स्वीकृत शुल्क मुक्त भत्तों को घटाने के पश्चात् शेष रहती है।

बैगेज की अस्थायी रोक

यदि किसी यात्री के बैगेज में ऐसा माल है, जो कि शुल्कयोग्य है अथवा जिसका आयात निषेधित है और जिसके सम्बन्ध में सच्ची घोषणा नहीं की गयी है, तब यात्री के अनुरोध पर समुचित अधिकारी ऐसी वस्तु को रोक सकता है, जिसकी वापसी उसे कर दी जायेगी :

- जब वह यात्री भारत को छोड़ेगा।
- यदि किसी कारण से यात्री भारत छोड़ते समय वस्तु को संग्रहीत करने में असफल रहता है, तो उसकी वापसी कर दी जायेगी :
 - अन्य किसी अधिकृत यात्री द्वारा जो कि भारत छोड़कर जा रहा है;
 - यात्री के नाम में कारगो प्रेषण के रूप में।

यथार्थ बैगेज की शुल्क मुक्ति

निम्नांकित बैगेज सीमा शुल्क भुगतान से पूर्णत मुक्त हैं :

- पुनर्आयातित व्यक्तिगत सम्पत्ति;
- यात्री की व्यक्तिगत सम्पत्ति की मद की वारंटी अवधि में की गयी निशुल्क प्रतिपूर्ति;
- 500 ₹ तक के खाद्य पदार्थ;
- रेफ्रिझरेंस CARE या भारत सरकार को राहत एवं पुनर्यापना के लिए निशुल्क उपहार एवं दान;
- नमूने मूल्य सूची, प्राटोटाइप्स इत्यादि;
- प्रदर्शनी, मेले आदि में प्रदर्शन आदि हेतु लायी गयी वस्तुओं, की सर्त वापसी;
- नेपाल में उत्पादित या निर्मित कृषि उत्पाद/माल;
- अखवार, नक्शे, डिजाइन्स एवं अन्य निर्दिष्ट माल;
- एक लैपटॉप कम्प्यूटर की 18 वर्ष से अधिक के यात्री द्वारा बैगेज रूप में लाना।

शुल्कमुक्त बैगेज की निर्दिष्ट सीमा राशि

- (1) भारतीय निवासी अथवा भारत में रहने वाले विदेशी जो किसी देश से भारत वापस आ रहे हैं (नेपाल, भूटान एवं म्यांमार को छोड़कर)

यात्री की आयु एवं विदेश प्रवास की अवधि	निःशुल्क स्वीकृत बैगेज की राशि
(अ) 02 वर्ष से अधिक आयु के यात्री जो विदेश में न्यूनतम 3 दिन के प्रवास के पश्चात् भारत वापस लौट रहे हैं।	(i) प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं (आभूषण छोड़कर) जिनकी दैनिक जीवन उपयोग में आवश्यकता होती है। (ii) Annex-I में वर्णित वस्तुओं के अतिरिक्त ऐसी वस्तुएं जो कि यात्री द्वारा स्वयं अथवा बैगेज के रूप में लायी जा रही हैं और जिनका यात्री के साथ मूल्य 50,000 ₹ से अधिक नहीं है।
(ब) 02 वर्ष अथवा अधिक आयु के यात्री जो कि विदेश में 3 दिन अथवा कम अवधि के प्रवास पश्चात् भारत वापस लौट रहे हैं।	(i) व्यक्तिगत उपयोग की दैनिक प्रयोग की वस्तुएं (आभूषणों को छोड़कर)। (ii) Annex-I में वर्णित माल को छोड़कर अन्य वस्तुएं जिनका मूल्य 20,000 ₹ से अधिक नहीं है, जो कि यात्री द्वारा स्वयं अथवा यात्री के साथ बैगेज के रूप में लायी गयी है।
(स) सभी यात्री जिनकी आयु 02 वर्ष तक है और विदेश में तीन दिन से अधिक प्रवास के पश्चात् भारत वापस लौट रहे हैं।	(i) दैनिक प्रयोग की जीवनोपयोगी वस्तुएं (आभूषणों को छोड़कर)। (ii) Annex-I में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर जिनका मूल्य 15,000 ₹ से अधिक न हो; यदि इन्हें अपने साथ अथवा यात्री के साथ बैगेज के रूप में लाया जा रहा है।
(द) 02 वर्ष तक की आयु के सभी यात्री जो विदेश में 3 दिन अथवा कम प्रवास के पश्चात् भारत वापस आ रहे हैं।	(i) दैनिक प्रयोग की जीवनोपयोगी वस्तुएं (आभूषणों को छोड़कर)। (ii) Annex-I में वस्तुओं को छोड़कर जिनका मूल्य 5,000 ₹ से अधिक नहीं है; यदि ऐसी वस्तुओं को यात्री अपने साथ अथवा यात्री के साथ बैगेज के रूप में ला रहा है।

नोट—निःशुल्क निकासी प्रति यात्री के लिए है अन्य किसी यात्री के साथ उसको मिलाया नहीं जा सकता है।

Annex-I

- आग्नेय अस्त्र।
 - आग्नेय अस्त्रों की 50 से अधिक गोलियाँ।
 - 100 से अधिक सिगरेट, सिगार 25 से अधिक अथवा 125 ग्राम से अधिक तम्बाकू।
 - ऐल्कोहॉलिक शराब एवं वाहन दो लीटर क्षमता से अधिक।
 - आभूषणों के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में स्वर्ण अथवा चांदी।
- (2) एक भारतीय निवासी अथवा विदेशी जो कि नेपाल, भूटान, म्यांमार अथवा चीन से भूमार्ग के अतिरिक्त भारत वापस आ रहा है

अथवा

एक भारतीय निवासी अथवा विदेशी जो भूमार्ग से पाकिस्तान से भारत वापस आ रहा है

[नियम 4]

यात्री की आयु एवं विदेश प्रवास की अवधि	निःशुल्क स्वीकृत वस्तुएं
(अ) 10 वर्ष से अधिक आयु का यात्री जो कि 3 दिन से अधिक विदेश प्रवास के पश्चात् भारत लौट रहा है।	(i) दैनिक प्रयोग के लिए आवश्यक प्रयुक्त व्यक्तिगत वस्तुएं (आभूषणों को छोड़कर)। (ii) Annex-I में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर 6,000 ₹ मूल्य तक की वस्तुएं यदि यात्री अपने साथ ला रहा है अथवा साथ में बैगेज के रूप में लायी गयी हैं।
(ब) 10 वर्ष तक की आयु का यात्री जो कि 3 दिन तक के विदेश प्रवास के पश्चात् भारत वापस आ रहा है।	(i) दैनिक प्रयोग के लिए आवश्यक प्रयुक्त वस्तुएं (आभूषणों को छोड़कर)। (ii) Annex-I में वर्णित वस्तुओं को छोड़कर 1,500 ₹ मूल्य तक की वस्तुएं जो यात्री अपने साथ अथवा साथ में बैगेज के रूप में ला रहा है।

आभूषण (Jewellery)—ऐसे भारतीय अनिवासी व्यक्तियों (NRIs) के लिए, जो एक वर्ष से अधिक विदेश प्रवास के पश्चात् भारत आ रहे हैं अथवा अपना निवास भारत में स्थानान्तरित कर रहे हैं, अब सीमा शुल्क विमुक्त आभूषण की गणि पुरुष यात्री की स्थिति में 50,000 ₹ एवं महिला यात्री की स्थिति में 1,00,000 ₹ कर दी गई है।

पेशेवरों की भारत वापसी—ऐसा भारतीय यात्री जो विदेश में अपने पेशे में रह रहा है, उसकी भारत वापसी पर निम्नांकित वस्तुओं की सीमा शुल्क मुक्त निकासी स्वीकृत है :

यात्री विवरण	स्वीकृत वस्तुएं
न्यूनतम तीन माह के विदेश प्रवास के पश्चात् भारतीय यात्री की वापसी	12,000 ₹ मूल्य तक की प्रयुक्त घरेलू उपयोग की वस्तुएं 20,000 ₹ मूल्य तक के पेशेवर उपकरण
न्यूनतम 6 माह के विदेश प्रवास पश्चात् भारतीय यात्री की वापसी	12,000 ₹ मूल्य तक की प्रयुक्त घरेलू उपयोग की वस्तुएं 40,000 ₹ मूल्य तक के पेशेवर उपकरण
अपने कार्ब की समाप्ति पर न्यूनतम 365 दिन के विदेश प्रवास (पिछले दो वर्ष के दौरान) ऐसे भारतीय यात्री की वापसी जिसने पिछले तीन वर्ष के दौरान ऐसी रियायत का लाभ नहीं लिया है।	प्रयुक्त घरेलू वस्तुएं एवं व्यक्तिगत सामान (जिसको विदेश में यात्री या उसके परिवार द्वारा न्यूनतम 6 माह तक प्रयोग किया गया हो और जिसका सकल मूल्य 75,000 ₹ से अधिक नहीं हो।

चालक दल के सदस्य (Members of the Crew)

ऐसे चालक दल के सदस्य जो कि किसी जलयान में नियुक्त हैं, जो कि विदेश गमन को हैं, उनकी यात्रा की समाप्ति पर भारत आते समय आयातित बैंगेज पर भी उपर्युक्त नियम एवं प्रावधान प्रभावी होंगे। तथापि, एक चालक दल का सदस्य अपने साथ चाकलेट्स, सौन्दर्य प्रसाधन एवं अन्य उपहार हेतु छोटी-मोटी वस्तुएं अपने परिवार के लिए 600 ₹ मूल्य तक की अपने साथ निःशुल्क निकासी करा सकता है।

डाक वस्तुएं

(POSTAL ARTICLES)

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 82 व्यवस्था करती है कि यदि किसी वस्तु का आयात अथवा निर्यात डाक द्वारा किया जाता है, जिसके साथ कोई लेवल/घोषणा है जिसमें उसका विवरण, मात्रा एवं मूल्य घोषित हो, उसे इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश विल समझा जायेगा।

शुल्क की दर एवं मूल्यांकन

(1) डाक द्वारा माल आयात की स्थिति में प्रभावी शुल्क की दर एवं उसका टैरिफ मूल्यांकन वह लागू होगा जो कि उस तिथि को प्रभावी था, जिस तिथि को डाक अधिकारियों द्वारा ऐसे माल की विवरण सूची समुचित सीमा शुल्क अधिकारी को शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्तुत की गयी है।

तथापि ऐसे माल का आयात यदि जलयान के माध्यम से किया जाता है और डाक अधिकारियों द्वारा ऐसी उपर्युक्त सूची समुचित सीमा शुल्क अधिकारी को जलयान आगमन से पूर्व प्रस्तुत की जाती है, तो यह माना जायेगा कि ऐसी सूची जलयान के आगमन के दिन प्रस्तुत की गयी है।

(2) डाक द्वारा माल के निर्यात की स्थिति में प्रभावी शुल्क की दर एवं टैरिफ मूल्यांकन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को निर्यात के दिन प्रस्तुत की गयी है।

कूरियर द्वारा आयात एवं निर्यात

(IMPORT AND EXPORT THROUGH COURIER)

आयात एवं निर्यात 'अधिकृत कूरियर्स' द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि Courier Imports and Exports (Clearance) Regulation, 1998 में व्यवस्था है। आयातक अथवा निर्यातक की ओर से शुल्क का भुगतान कूरियर कम्पनी द्वारा किया जायेगा। आयात एवं निर्यात हेतु प्रति पैकेट का अधिकतम भार 70 किग्रा हो सकता है। कूरियर द्वारा आयात सभी माल का आयात कूरियर के माध्यम से किया जा सकता है सिवाय :

- (अ) पशु एवं पौधे;
- (ब) नष्ट होने योग्य वस्तुएं;

- (स) ऐसे प्रकाशन जिनमें भारत की सीमाओं को असत्य दिखाया गया है;
 (द) मूल्यवान् एवं कम मूल्यवान् नग (Stones) किसी भी रूप में सोना एवं चांदी।

कूरियर द्वारा नियर्त

कूरियर के माध्यम से सभी प्रकार के माल का निर्यात किया जा सकता है, सिवाय :

- (अ) ऐसा माल जिस पर निर्यात शुल्क प्रभार्य हो;
 (ब) निर्यात प्रोत्साहन योजनाधीन निर्यात योग्य माल;
 (स) ऐसा माल जिसका प्रेपण मूल्य 25,000 ₹ से अधिक हो और विदेशी मुद्रा का विनिमय निहित हो।

स्टोर्स

(STORES)

‘स्टोर्स’ का आशय ऐसे माल से है जो किसी जल्यान अथवा वायुयान में प्रयुक्त होता है और इसमें शामिल है ईंधन, स्पेयर्स पार्ट्स एवं अन्य उपस्कर चाहे तुरंत फिटिंग हेतु आवश्यक हो अथवा न हो। स्टोर्स से सम्बन्धित वैधानिक प्रावधान निम्नांकित धाराओं में दिये गये हैं :

(1) विना शुल्क स्टोर्स का गोदामीकरण किया जा सकता है

ऐसा स्टोर्स जो किसी जल्यान अथवा वायुयान को पूर्ति के लिए है, विना शुल्क निर्धारण के गोदाम में रखा जा सकता है।

(2) स्टोर्स का ट्रान्जिट एवं ट्रान्शिपमेन्ट

कोई स्टोर्स जो किसी जल्यान अथवा वायुयान द्वारा आयात किया गया है, उसे विना शुल्क भुगतान के ऐसे जल्यान अथवा वायुयान के भारत प्रवास में बोर्ड पर रखा जा सकता है। इससे विदेश गमनीय जल्यान द्वारा स्टोर्स को जहाज पर रखना सम्भव हो पाता है, जबकि ऐसा जहाज तटीय व्यापार में व्यस्त है वजाय इसके कि पहले शुल्क का भुगतान करे और बाद में उसकी वापसी का दावा। ऐसे स्टोर्स को किसी अन्य जल्यान अथवा वायुयान पर उपभोग हेतु स्टोर्स के रूप में अन्तरित भी किया जा सकता है।

(3) विदेश गमनीय यान के बोर्ड पर आयातित स्टोर्स का उपभोग स्वीकृत

यह प्रावधान जल्यान अथवा वायुयान को विना शुल्क चुकाए उपभोग के उपभोग की सुविधा प्रदान करता है। इस सम्बन्ध में अकेली पूर्णीय शर्त यही है कि ऐसा जल्यान अथवा वायुयान ‘विदेश गमनीय’ स्थिति में ही रहना चाहिए।

(4) ‘स्टोर्स’ निर्यात शुल्क मुक्त होता है

भारत में निर्मित ऐसा माल जिसकी किसी विदेश गमनीय जल्यान अथवा वायुयान पर स्टोर्स के रूप में आवश्यकता हो, उसका निःशुल्क निर्यात उतनी मात्रा में किया जा सकता है जितना कि समुचित अधिकारी जल्यान/वायुयान के आकार, यात्रियों एवं चालक दल की संख्या और यात्रा की दूरी एवं समयावधि को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।

(5) नौसेना के आयातित ‘स्टोर्स’ में रियायत

भारतीय नौ सेना को जहाज के बोर्ड पर आयातित स्टोर्स का उपभोग विना शुल्क चुकाये किया जा सकता है।

प्रश्न

(QUESTIONS)

- भारतीय यात्रियों को आयातित बैगेज के सम्बन्ध में क्या रियायतें उपलब्ध हैं?
 What are the concessions available to Indian passengers in connection with the import of baggage?
- यात्री के विना साथ आये बैगेज एवं कारगों के सम्बन्ध में नियमों को समझाइए।
 Explain rules regarding unaccompanied Baggage and Cargo.

6

आयात कार्यविधि एवं प्रपत्र [IMPORT PROCEDURE AND DOCUMENTS]

आयात कार्यविधि एवं प्रपत्र

(IMPORT PROCEDURE AND DOCUMENTS)

आयात का अर्थ है कि विदेशों से अपने देश में ऐसी वस्तु प्राप्त करना जिसका निर्माण/उत्पादन या तो सम्भव ही नहीं है या मितव्ययी नहीं है अर्थात् विदेश से अपने देश में अल्प (Deficient) वस्तु या सेवा को प्राप्त करना।

प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक संसाधनों, मानवीय कुशलता, तकनीकी श्रेष्ठता एवं अनुभव के बल पर कुछ वस्तुओं के उत्पादन/निर्माण में श्रेष्ठता/विशिष्टता प्राप्त कर लेता है। इन श्रेष्ठ/विशिष्ट वस्तुओं का किसी अन्य देश को निर्यात करके वहाँ से अपने देश में आवश्यक, उपयोगी एवं मितव्ययी वस्तु का आयात करता है। किसी देश का आयात उसकी निर्यात शक्ति द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की मात्रा पर निर्भर करता है।

भारत में आयात नियन्त्रण कई अधिनियमों के अधीन किया जाता है, जैसे आयात व निर्यात नियन्त्रण अधिनियम, 1947; विदेशी मुद्रा (प्रवन्धन) अधिनियम, 1999 तथा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962। केन्द्र सरकार प्रति पांच वर्ष के बाद एक आयात नीति की घोषणा करके यह भी सूचित करती है कि किन-किन मालों के आयात पर निषेध रहेगा और क्या-क्या माल का आयात लाइसेन्स या सीमा-शुल्क भुगतान अनुमति (Customs clearance permit) के अधीन आयात किया जा सकेगा। कुछ माल का विना किसी लाइसेन्स या अनुमति के 'खुले सामान्य लाइसेन्स' (Open General Licence) के आधार पर आयात किया जा सकता है। आयात नीति के लिए आयातकों को प्रायः दो वर्गों में वांटा जाता है—‘वास्तविक उपभोक्ता’ तथा ‘रजिस्टर्ड निर्यातक’। वास्तविक उपभोग (actual users) वे व्यावसायिक संस्थाएं व निर्माता हैं, जो आयातित माल का स्वनिर्माण में उपयोग करते हैं। इसके विपरीत, ‘रजिस्टर्ड निर्यातक’ ऐसे निर्यातक हैं, जो आयात तथा निर्यात के संयुक्त मुख्य नियन्त्रक (JCCI&E) तथा सम्बद्ध निर्यात प्रवर्तन परिषद् (EPC) या वस्तु बोर्ड (Commodity Board) के पास रजिस्टर्ड हों। सामान्यतया, आयात नीति में वास्तविक उपभोक्ताओं तथा रजिस्टर्ड निर्यातकों के लिए अलग-अलग प्रावधान किए जाते हैं।

माल का आयात

(IMPORT OF GOODS)

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(23) के अनुसार आयात का अर्थ “भारत में भारत के बाहर किसी स्थान से लाने” से है। इसका अर्थ है यह परिभाषा अति विस्तृत है। इसके अन्तर्गत किसी भी वस्तु का किसी भी देश से किसी भी प्रकार आना आयात माना जाएगा। इसके अन्तर्गत स्वतन्त्र, प्रतिवधित तथा निषेध सभी आयात शामिल हो जाते हैं साथ ही किसी भी देश से (चाहे व्यापारिक सम्बन्ध हों या न हों) माल मंगाना आयात माना जाएगा।

(1) स्वतन्त्र आयात

(FREE IMPORT)

आयात-निर्यात नीति की संरचना एवं परिचलन वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार के निर्देशन में होता है। विदेशी व्यापार (विकास एवं नियमन) अधिनियम के अन्तर्गत घोषित आयात-निर्यात नीति (Exim Policy) उदारवादी विचारधारा पर आधारित है। वर्तमान नीति में मूल रूप में सभी आयात एवं निर्यात स्वतन्त्र (Free) हैं सिवाय कुछ ऐसी वस्तुओं के जिन्हें विभिन्न उद्देश्य से नकारात्मक सूची (Negative List) में रखा गया है। आयात वास्तविक प्रयोगकर्ता या व्यापारी द्वारा किया जा सकता है।

**(2) प्रतिबन्धात्मक आयात
(RESTRICTED IMPORT)**

मूल रूप से सभी प्रकार के आयात (OGL) के अन्तर्गत स्वतन्त्र रूप से आयात किए जा सकते हैं। आयात-नियात नीति के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं का आयात प्रतिबन्धित है जिनके आयात के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता होती है। ऐसे लाइसेन्स आयातित माल की मात्रा, मूल्य, Value addition या नियात देश से व्यापार सम्बन्ध के आधार पर भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। ऐसे लाइसेन्स केवल 'वास्तविक प्रयोगकर्ता' को ही दिए जा सकते हैं।

प्रतिबन्धित माल

- कृषि उत्पाद जैसे—गेहूं, चावल, मक्का, नारियल, तेल गोला, आदि के आयात State Trading Corporation द्वारा किए जा सकते हैं।
- खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित वस्तुएँ Food Adulteration Act एवं नियमों के अन्तर्गत गोशत तथा पोल्ट्री उत्पाद Meat Product Order के मापदण्डों के अनुसार होने चाहिए।
- निषेधात्मक रंगों के प्रयोग युक्त कपड़े का आयात नहीं किया जा सकता है।
- तीन वर्ष से अधिक पुरानी कारों का आयात निषेध है साथ ही ऐसी आयातित कारों का न्यूनतम पांच वर्ष कार्यशील जीवन शेष रहना आवश्यक है। इन्हें भारतीय मोटरवाहन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। आयातित कारों पर शुल्क की दर 105% रखी गई है।
- नई कारों निर्माता देशों से ही सीधी आयात की जा सकती हैं, जो भारतीय मोटरवाहन अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। ये कारें Sports उद्देश्य के लिए 100% आयात शुल्क के साथ आयात की जा सकती हैं।
- शराब तथा ऐल्कोहॉल युक्त पेय पदार्थों का आयात राज्य द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रावधानों के पूरा करने पर ही किया जा सकता है।
- पूर्व प्रयुक्त पूंजीगत माल जो दस वर्ष से कम पुराना है आयात किया जा सकता है।

(3) CANALISED IMPORT

कुछ मालों का आयात केवल मध्यस्थ संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है, जैसे :

- (अ) पेट्रोलियम पदार्थों का आयात Indian Oil Corp. द्वारा,
- (ब) यूरिया का आयात STC, Indian Potash Ltd. तथा MMTC द्वारा,
- (स) खाद्यान्नों का आयात Food Corporation of India द्वारा,
- (द) नारियल तथा उनका कच्चा तेल State Trading Corp. द्वारा।

आयातक द्वारा सीमा शुल्क विभाग को प्रदत्त दस्तावेज

(DOCUMENTS TO BE SUBMITTED BY IMPORTER)

1. बीजक (Invoice);
2. पैकिंग सूची (Packing List);
3. बिल ऑफ लैडिंग (Bill of Lading);
4. सुपुर्दीगी आदेश (Delivery Order);
5. इलेक्ट्रॉनिकली आयात सम्बन्धी घोषणा (Import Manifest in Electronic form);
6. आयातक/एजेण्ट की घोषणा (Declaration by Importer/Agent);
7. लाइसेन्स की प्रति (Attested Copy of Licence);
8. बीमा पॉलिसी (Insurance Policy);
9. उदागम देश का प्रमाणन (Certificate of Country of Origin);
10. तकनीकी विवरण (Technical Details)।

उपर्युक्त सभी दस्तावेज प्राप्त हो जाने पर सीमा-शुल्क अधिकारी माल का मूल्यांकन एवं सीमा शुल्क का निर्धारण करते हैं। इस सम्बन्ध में निम्न दो पद्धतियां अपनाई जाती हैं :

1. **प्रथम माल के निरीक्षण पश्चात् निर्धारण** (First Check Procedure)—आयातके अनुरोध पर या सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा अपने विवेकानुसार माल का निरीक्षण जब आवश्यक समझा जाए तब यह पद्धति अपनाई जाती है। इसमें सीमा शुल्क का निर्धारण दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाता है।

2. **प्रथम निर्धारण पश्चात् निरीक्षण** (Second Check Procedure)—सामान्यतः सर्वप्रथम दस्तावेजों के आधार पर सीमा शुल्क का निर्धारण करके तत्पश्चात् माल का निरीक्षण किया जाता है। असत्य विवरण होने पर या माल की जांच करने पर सीमा शुल्क निर्धारण को पुनरीक्षित (Revision) भी किया जा सकता है।

देश के सभी बड़े सीमा शुल्क गृहों में विशिष्ट मूल्यांकन दस्ते नियुक्त किए गए हैं। Fast Track Clearance Scheme (FTCS) के अन्तर्गत आयातके द्वारा स्वयं ही सीमा शुल्क निर्धारण की पद्धति अपनाई जाती है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नांकित श्रेणी के आयातक ही अधिकृत हैं—(1) सरकारी विभाग, (2) सरकारी उपक्रम, (3) विशिष्ट निर्यातक क्षेत्र के आयातक, (4) 20 प्रमुख आयात गृह, (5) पांच प्रमुख निर्यात गृह, (6) इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माता तथा निर्यातक।

माल की सुपुर्दगी लेना

(TAKING DELIVERY OF GOODS)

अन्त में, निकासी एजेण्ट आयात किए गए माल की सुपुर्दगी लेने की कार्यवाही करता है। इसके लिए वह बन्दरगाह अधिकारियों के सामने आगम-पत्र की एक प्रति (बन्दरगाह अधिकारियों वाली प्रति), बन्दरगाह शुल्क जमा की रसीद तथा जहाजी कम्पनी का सुपुर्दगी आदेश पेश करता है। इस पर उसे बन्दरगाह से माल निकालने की अनुमति (Custom Clearance Permit) मिल जाती है। यदि माल को बन्दरगाह में से निर्धारित समय के अन्दर नहीं निकाला जाए तो आयातक को प्रतिदिन के विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क (demurrage) भी देना पड़ता है। माल को बाहर निकालने की अनुमति मिल जाने पर वह माल का निरीक्षण भी कर सकता है। यदि माल के पैकिंग में किसी प्रकार की क्षति की आशंका नजर आए तो वह जहाजी कम्पनी से माल की खुली सुपुर्दगी देने की प्रार्थना कर सकता है। फलस्वरूप, क्षति की प्रकृति तथा मात्रा का भी अनुमान लगाया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है। उपर्युक्त सारी कार्यवाही ही जाने पर माल को बन्दरगाह से निकाल लिया जाता है।

IMPORT OF STORE

धारा 2(38) के अन्तर्गत स्टोर्स में वह माल शामिल है, जो शिप या हवाई जहाज के प्रयोग के लिए हो। इसमें ईंधन, स्पेयर पार्ट्स तथा अन्य उपकरण भी शामिल हैं, चाहे वे तुरन्त प्रयोग के लिए हों या न हों। प्रत्येक शिप या हवाई जहाज जो भारत आ रहा है उसे अपने निष्पादन के लिए स्टोर्स की आवश्यकता होती है। अतः इस सम्बन्ध में विशेष प्रावधान हैं जो निम्न हैं :

स्टोर्स का प्रयोग—शिप या हवाई जहाज के बोर्ड पर स्टोर्स हो सकते हैं अर्थात् उस समय तक अप्रयुक्त भी हो सकते हैं जब ये भारत में हैं। सीमा शुल्क अधिकारी की स्वीकृति से स्टोर्स का Transhipment किया जा सकता है। इसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विदेश जाने वाले वाहन द्वारा विना शुल्क चुकाए आयातित स्टोर्स का प्रयोग किया जा सकता है।

स्टोर्स का भण्डारण—आयातित ‘स्टोर्स’ का विना शुल्क निर्धारण के वेयरहाउस में भण्डारण किया जा सकता है।

वेयरहाउस से विना शुल्क चुकाए ऐसे स्टोर्स को निकाला जा सकता है, जो विदेश गमन के लिए वाहन के प्रयोग के लिए हो। यदि स्टोर्स को शुल्क चुकाने के बाद घरेलू उपयोग के लिए भण्डारण से निकाला जा रहा है तो Bill of Entry जमा कराना आवश्यक है।

निर्यात के लिए स्टोर्स—भारत में उत्पादित या निर्मित स्टोर्स किसी विदेश गमन हेतु वाहन के प्रयोग हेतु सीमा शुल्क अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से निर्यात किए जा सकते हैं, जो आवश्यक स्टोर्स की मात्रा का निर्धारण करेगा।

आयातित स्टोर्स—आयात शुल्क चुकता स्टोर्स को विदेश गमन हेतु वाहन के प्रयोग हेतु स्टोर्स के रूप में पूर्ति किए जा सकते हैं। ऐसी पूर्ति की दशा में चुकाई गई इयटी का 98% Duty Drawback स्वीकृत है। ईंधन तथा लुब्रिकेन्ट के मामले में चुकता शुल्क का 100% Duty Drawback स्वीकृत है।

भारतीय नौसेना तथा टटरक्षक संगठन की आवश्यकता पूर्ति हेतु आयातित स्टोर्स विना शुल्क चुकाए आयात किए जा सकते हैं। इसी प्रकार इनके चालक दल के सदस्यों को सेवा शर्तों के अधीन आयातित स्टोर्स की पूर्ति शुल्कमुक्त है। ऐसे स्टोर्स भण्डारण से विना शुल्क चुकाए निकाले जा सकते हैं अथवा इन पर 100% तक चुकाए गए शुल्क का Duty Drawback स्वीकृत है।

माल का डाक द्वारा आयात (IMPORT BY POST)

‘डाक’ द्वारा आयात की प्रक्रिया सामान्य आयात की प्रक्रिया से भिन्न है। अतः सामान्य नियमावली डाक द्वारा आयात की दशा में लागू नहीं होती है। इनके लिए निम्न पृथक् नियम हैं :

(1) डाक पार्सल सम्बन्धी घोषणा जिसमें माल का विवरण, मात्रा तथा मूल्य की जानकारी Bill of Entry के समान मानी जाएगी। अतः डाक द्वारा आयात की दशा में Bill of Entry एवं Shipping Bill जैसी आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।

(2) आयात शुल्क की प्रभावी दर एवं मूल्यांकन उस तिथि से प्रभावी होती है जिस तिथि पर डाक अधिकारियों द्वारा माल/पार्सल की सूची प्रस्तुत की जाती है।

बोर्ड को डाक द्वारा आयात के सन्दर्भ में नियमावली बनाने की शक्ति प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा माल की जांच, शुल्क का निर्धारण एवं Transhipment सम्बन्धी प्रक्रिया निर्धारित की जाती है।

डाक द्वारा आयातित पार्सल के पैकेटों को बन्दरगाह एवं हवाई अड्डे से (सरकारी डाक विभाग की विदेशी पार्सल शाखा को) विना शुल्क चुकाए निकासी की जा सकती है। पोस्टमास्टर सीमा शुल्क विभाग के मुख्य मूल्यांकनकर्ता (Appraiser) को निम्न सूचनाएं प्रस्तुत करेंगे :

- (1) प्रत्येक देश से आयातित पार्सलों की संख्या का विवरण;
- (2) पार्सल विल अथवा प्रेषक की घोषणा;
- (3) सीमा शुल्क घोषणा एवं डिस्पैच नोट्स;
- (4) अन्य कोई आवश्यक जानकारी।

आयातित माल की डाक का थैला पोस्टमास्टर द्वारा सीमा शुल्क विभाग के मुख्य मूल्यांकक के निरीक्षण में खोला जाएगा। शुल्क योग्य माल के आयातित सन्देहजनक पैकेट पृथक् कर लिए जाएंगे जिन्हें Mail Bill तथा निर्धारण विवरण के साथ सीमा शुल्क मूल्यांकक को सुपुर्द किया जाएगा।

इस पार्सल विल में निम्न सूचनाएं प्रदर्शित की जायेंगी : (1) डाक विभाग का क्रमांक, (2) निर्गमन डाक कार्यालय का नाम व पता, (3) गन्तव्य स्थान, (4) वजन/मात्रा, (5) स्थानीय क्रमांक, (6) सीमा शुल्क द्वारा निर्धारण, (7) विदेशी मुद्रा में मूल्य, (8) रुपया मूल्य, (9) शुल्क की दर, (10) शुल्क की राशि एवं विशेष टिप्पणी।

सीमा शुल्क मूल्यांकक सन्देहजनक पैकेटों को छोड़कर अन्य पैकेटों की शुल्क का निर्धारण पार्सल विल के आधार पर करेगा। निर्धारित शुल्क को पार्सल विल में उद्धृत किया जाएगा। पोस्टमास्टर ऐसे निर्धारित पैकेटों को शुल्क भुगतान प्राप्ति के बाद प्राप्तक को सुपुर्द कर देगा। रोकी गई सन्देहजनक पार्सल पैकेट्स को मूल्यांकक खोलकर जांच करेगा। यदि आवश्यक हो तो प्राप्तकर्ता से भी जानकारी ली जाएगी। जांच-पड़ताल के बाद पैकेटों को विशेष सीलबन्द कर दिया जाएगा। सीमा शुल्क निर्धारण के बाद ये पोस्टमास्टर को सुपुर्द कर दिए जाएंगे जो निर्धारित शुल्क प्राप्ति के बाद इन्हें प्राप्तकर्ता को दे देगा।

विदेशों से 5,000 ₹ मूल्य तक के उपहार जो प्रतिवन्धित या निषेध माल नहीं हैं, डाक अथवा Courier द्वारा भेजे जाने पर आयात शुल्क से मुक्त होते हैं।

ऐसे आयातित पोस्ट पार्सल जिन पर देय कस्टम शुल्क की राशि 100 ₹ से अधिक नहीं है तो उन्हें पूर्ण विमुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे पार्सल जिन्हें भारत से विदेश भेजा गया था, परन्तु सुपुर्द न किए जाने के कारण वापस आयात हो रहे हैं तो वे आयात शुल्क से मुक्त होंगे वशर्ते कि उनके नियंत्रण पर कोई हित नहीं लिया गया था।

IMPORT OF PERSONAL BAGGAGE

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(3) के अनुसार Baggage का अर्थ उस सामान से है, जो यात्री के साथ नहीं है, परन्तु इसमें मोटर कार शामिल नहीं है।

Baggage की निम्न विशेषताएं होती हैं :

- (अ) यात्रा से पूर्व या पश्चात् भेजा गया माल, परन्तु यात्री के साथ नहीं है।
- (ब) शुल्कयात्रा माल जो कि यात्री ने आयात किया है।
- (स) इसमें मोटरकार, निषेध वस्तुएं शामिल नहीं हैं।
- (द) लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात इसमें शामिल नहीं है।

जहां तक Personal Baggage का अर्थ है वह ऐसे Baggage से लगाया जा सकता है जो कि यात्री या चालकदल के सदस्य के साथ चल रहा है। ऐसा Baggage सद्भावना के साथ निजी प्रयोग के उद्देश्य के लिए धारा 79(1) के अन्तर्गत आयात शुल्क से विमुक्त होता है। ऐसे Baggage में पहनने के कपड़े, प्रसाधन आवश्यकता की वस्तुएं तथा अन्य निजी प्रयोग की वस्तुएं हो सकती हैं।

Unaccompanied Baggage—ऐसा Baggage जो यात्री के साथ नहीं है और जो धारा 2(3) में परिभाषित है उसका भी आयात किया जा सकता है। ऐसा Baggage सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 98.03 में वर्गीकृत किया गया है। इसमें सभी शुल्कयोग्य माल शामिल हैं, जो यात्री अथवा चालकदल के सदस्य द्वारा आयात किए गए हैं। ऐसे Baggage पर आयात शुल्क की दर शुल्कयोग्य मूल्य की 40% होती है तथा ऐसे Baggage पर CVD नहीं लगाई जाती है। Baggage द्वारा आयात के सन्दर्भ में निम्न प्रतिबन्ध लागू हैं :

- (अ) भारतीय या विदेशी मुद्रा RBI तथा FEMA नियमों की अवहेलना के साथ;
- (ब) नशीली दवाएं;
- (स) घरेलू जानवर विना उचित स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के;
- (द) जंगली जीव-जन्तु एवं उनके अंग, पक्षी इत्यादि।

Exempted Baggage—यात्री के Baggage में निम्न सामान आयात शुल्क से मुक्त हैं:

- (1) निजी सप्तति का पुनः आयात;
- (2) वारन्टी अवधि में Replacement के लिए आयात;
- (3) 500 ₹ मूल्य तक खाने की वस्तुएं;
- (4) भारत सरकार, रेडक्रॉस तथा Care को आयातित उपहार;
- (5) वस्तुओं के सैम्पल, मूल्य सूची का आयात;
- (6) प्रदर्शन हेतु आयातित माल सरकारी अनुमोदन के साथ;
- (7) अन्य सामान जो समय-समय पर घोषित किए जाएं;
- (8) लैपटॉप कम्प्यूटर्स।

Bonafide Baggage में निम्न शामिल नहीं हैं :

- (1) 1/2 पिन्ट से अधिक ऐल्कोहॉल पदार्थ;
- (2) परफ्यूम दो आउन्स से अधिक;
- (3) सिगार एवं चुरुट 50 से अधिक;
- (4) चार आउन्स से अधिक तम्बाकू या तम्बाकू वाले उत्पाद;
- (5) बीड़ी 200 से अधिक;
- (6) सुंघनी (Snuff) 10 तोला से अधिक;
- (7) पियानो;
- (8) मोटरकार, मोटर साइकिल;
- (9) रेफ्रिजरेटर;
- (10) हथियार तथा असलाह।

CLEARANCE OF GOODS FOR WAREHOUSING

जब किसी माल का आयात होता है तो सामान्यतः उसका उद्देश्य घरेलू उपभोग के लिए ही होता है जिसके लिए अन्य सभी प्रक्रियाओं के साथ-साथ आवश्यक सीमा शुल्क का नियमानुसार भुगतान करने के बाद माल की निकासी (Clearance) सीमा शुल्क क्षेत्र से की जाती है।

कुछ स्थितियों में जब आयातक शुल्क का भुगतान नहीं करना चाहता तो वह आयातित माल को विना शुल्क चुकाए भण्डारगृह में जमा करा सकता है जिसके लिए, बॉण्ड का निष्पादन करना आवश्यक है। ऐसा करने से शुल्क दायित्व से मुक्त नहीं मिलती। इससे मात्र शुल्क भुगतान का दायित्व स्थगित हो जाता है और भण्डारगृह से माल निकासी के समय आवश्यक शुल्क चुकाना पड़ता है। इसी कारण इसे ‘Bonded Warehouse’ कहा जाता है।

Discharge of Bond—उपर्युक्त वर्णित वॉण्ड एक स्टाम्प पेपर है जिस पर स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार टिकट लगाना आवश्यक है। यह वॉण्ड Security या Surety के रूप में हो सकता है। Security नकद धन जमा के रूप में अथवा वैंक गारण्टी के रूप में हो सकती है। सरकारी विभागों को ऐसी Security देने की आवश्यकता नहीं होती। EOU, FTZ, STP जैसी ओर्डोरिंग इकाइयों को भी वैंक गारण्टी की आवश्यकता नहीं होती है।

Warehousing Bond अथवा Transit Bond का निष्पादन उस दशा में करना आवश्यक है जब आयातित माल सीमा शुल्क पोर्ट/क्षेत्र से बिना शुल्क चुकाए भण्डारण में जमा कराने के लिए लाया जाता है।

ऐसा माल बिना शुल्क चुकाए एक भण्डारण में दूसरे भण्डारण में रखा जा सकता है। इसके लिए पुनः भण्डारण प्रमाण-पत्र जमा करना आवश्यक है। यदि वॉण्ड का उद्देश्य उसमें उल्लिखित मान्य अवधि में पूरा नहीं होता तो एक Continuity Bond का निष्पादन आवश्यक है।

भण्डारण की अवधि—सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 61 के अनुसार यदि निर्धारित अवधि में भण्डारण से माल नहीं निकाला जाता है तब सीमा शुल्क अधिकारी आयातक को आवश्यक नोटिस देकर माल की उतनी मात्रा वैच सकता है जितनी वह आवश्यक समझे।

सामान्य स्थिति में भण्डारण की अवधि एक वर्ष होती है जिसकी गणना भण्डारण के आदेश की तिथि से की जाती है। EOU इकाई के पूँजीगत माल के लिए यह अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है। निकासी के समय देय शुल्क की राशि पर भण्डारण के 30 दिन बाद की अवधि से निकासी दिन तक की अवधि पर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाता है।

Clearance from Warehouse—भण्डारण में जमा माल निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निकाला जा सकता है :

(A) **Removal for Home Consumption**—भण्डारण में संगृहीत माल शुल्क भुगतान के बाद निकाला जा सकता है। आयातक को निर्धारित प्रारूप में Bill of Entry दाखिल करना होता है। तत्पश्चात् शुल्क, भाड़ा, ब्याज तथा अर्थदण्ड इत्यादि भुगतान करने के बाद कस्टम अधिकारी माल की निकासी का आदेश दे सकता है। भण्डारण से माल निकासी के दिन प्रभावी शुल्क की दर लागू की जाती है न कि वह दर जो सीमा शुल्क से माल निकासी के दिन लागू थी।

(B) **Clearance for Export**—भण्डारण से माल बिना शुल्क चुकाए निर्यात किया जा सकता है। इसके लिए एक Shipping Bill उपस्थित करना होता है।

(C) **Clearance against Advance License**—भण्डारण में संगृहीत माल एडवान्स लाइसेन्स द्वारा निकाला जा सकता है। इसके लिए सीमा शुल्क DEPB पद्धति द्वारा समायोजित भी किया जा सकता है या नकद भुगतान भी किया जा सकता है।

माल का आयात

(IMPORT OF CARGO)

CARGO शब्द का अर्थ है ‘माल से भरा हुआ जहाज़’, ‘लदे हुए जहाज़ का भार’ जिससे प्रकट होता है कि इस शब्द में दो विशेषताएँ हैं :

- (a) प्रथम माल का आयात, तथा
- (b) जहाज़ द्वारा आयात।

अतः इस अध्याय में ‘माल’ के आयात सम्बन्धी प्रक्रिया तथा दस्तावेजों का अध्ययन करेंगे। इसमें सामान्य आयात प्रक्रिया का पालन करना होता है।

CLEARANCE FOR HOME CONSUMPTION (IMPORT PROCEDURE)

माल के आयात में अनेक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति आयातक को करनी होती है। इस सम्बन्ध में सभी पक्षकारों को कुछ कार्य/प्रक्रियाएँ पूरी करनी होती हैं :

(1) **जहाज के मास्टर या कप्तान द्वारा कार्यवाही**—आयातित माल से लदा हुआ माल जब बन्दरगाह पर आता है तो उसके इन्वार्ज द्वारा निम्न कार्यवाही करनी होती है :

- (i) अपना जहाज सीमा शुल्क पोर्ट पर ही लगाना चाहिए।
- (ii) जहाज बन्दरगाह पर आने के 24 घण्टे के अन्दर सीमा शुल्क अधिकारी को शिरिंग विल/रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए।
- (iii) जहाज से माल उतारने से पूर्व सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा जारी ‘Entry Inward’ प्राप्त करना आवश्यक है जिसके लिए उसे पोर्ट पर Berthing Accommodation सुनिश्चित करना आवश्यक है।

(iv) Import Manifest के अन्तर्गत उल्लिखित माल की उत्तराई अनुमोदित स्थान पर सीमा शुल्क अधिकारी की निगरानी में करनी चाहिए।

(v) माल उतारने के बाद सीमा शुल्क अधिकारियों के नियन्त्रण में तब तक रहेगा जब तक माल की नियमानुसार निकासी (Clearance) नहीं हो जाती है।

(2) आयात माल की निकासी (Clearance of Import Goods)—माल के आयातक या उसके Clearing House Agent (CHA) द्वारा माल की निकासी के लिए निम्न प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है:

BILL OF ENTRY—प्रत्येक आयातक या उसके CHA द्वारा एक 'प्रवेश विल' सीमा शुल्क अधिकारियों को दाखिल करना आवश्यक है। इस प्रपत्र में आयातित माल का विवरण, माल की पैकिंग, विशेष चिह्न, माल लदे जहाज का वर्णन, बीजक, सीमा शुल्क टैरिफ के लिए वर्गीकरण शीर्षक, शुल्कयोग्य मूल्य, शुल्क की दर एवं राशि, आयात लाइसेन्स संख्या, एक घोषणा कि सभी विवरण एवं तथ्य सही, पूर्ण एवं सत्य हैं।

(3) आयात शुल्क का आरोपण एवं भुगतान—आयातक द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न प्रपत्रों एवं सूचनाओं की जांच करके सीमा शुल्क अधिकारी आयातित माल पर शुल्क का निर्धारण करते हैं। सीमा शुल्क मूल्यांकक (Custom Appraiser) द्वारा माल का निरीक्षण किया जाता है। Fast Track Assessment Scheme के अन्तर्गत कुछ मान्य आयातकों; जैसे—सरकारी उपक्रम, सरकारी विभाग, FTZ, SEZ, STP में स्थापित इकाइयां, EOUs तथा कुछ मान्यता प्राप्त आयातक को आयात शुल्क का स्वयं-निर्धारण (Self-assessment) की अनुमति प्राप्त है।

ऐसी परिस्थितियों में जिनमें अन्तिम निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता है, Provisional Assessment किया जा सकता है। ऐसे निर्धारण में आयातक को एक बॉण्ड का निष्पादन करना होता है कि अन्तिम निर्धारण के समय शुल्क भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक राशि का भुगतान कर देगा।

(4) बॉण्ड सम्बन्धी कार्यवाही—निम्न परिस्थितियों में कस्टम क्षेत्र से माल की निकासी से पूर्व आयातक को एक बॉण्ड भरना पड़ता है। यह बॉण्ड Security या Surety के रूप में हो सकता है :

- (i) Provisional Assessment की स्थिति में
- (ii) मान्य आयात लाइसेन्स उपस्थित न होने की दशा में
- (iii) Warehousing Bond
- (iv) प्रदर्शनी के लिए आयातित माल की स्थिति में।

सीमा शुल्क क्षेत्र निकासी आदेश (Out of Customs Area Order)

आवश्यक शुल्क निर्धारण एवं उसके भुगतान के बाद सीमा शुल्क अधिकारी आयातित माल की निकासी को अधिकृत करने के उद्देश्य से Out of Customs Area Order निर्गमित करते हैं जिसके बाद सीमा शुल्क पोर्ट या बन्दरगाह से माल निकाला जा सकता है।

आयात व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख दस्तावेज

(IMPORTANT DOCUMENTS IN IMPORT TRADE)

आयात व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख दस्तावेज निम्नलिखित हैं :

- (i) आयात लाइसेन्स,
- (ii) इनडेण्ट या ऑर्डर,
- (iii) साख-पत्र,
- (iv) आगम-पत्र या प्रवेश विल,
- (v) दर्शनी प्रवेश विल या आगम पत्र,
- (vi) जहाजी कम्पनी का सुपुर्दगी आदेश, तथा
- (vii) गोदी अधिपत्र।

1. आयात लाइसेन्स (Import Licence)—आयात लाइसेन्स एक अनुमति पत्र है, जो आयात-निर्यात नियन्त्रण अधिकारियों के द्वारा आयात (नियन्त्रण) आदेश तथा चालू आयात-नीति के अधीन जारी किया जाता है तथा जिसमें निर्दिष्ट व्यक्ति या संस्था को लाइसेन्स की शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट माल का आयात करने की अनुमति दी जाती है। ये लाइसेन्स दो प्रकार के हो सकते हैं—(अ) सामान्य लाइसेन्स (General Open Licence), जिसके अधीन किसी भी देश से निर्दिष्ट वस्तुओं का आयात किया जा सकता है, तथा (ब) विशिष्ट लाइसेन्स (Specific Licence), जिसके अन्तर्गत विशिष्ट योजनाओं जैसे पूँजीगत पदार्थों, भारी विजड़ी की मशीनों, आदि के आयात की योजना या निर्यात संवर्धन (Export Promotion) के उद्देश्य से आयात की योजना के अधीन लाइसेन्स में निर्दिष्ट देशों से आयात किया जाता है।

2. ऑर्डर (Indent)—यह एक ऑर्डर है, जो एक आयातक निर्यातक को लिखता है और जिसमें निर्दिष्ट वस्तुओं को, उसमें दिए गए मूल्यों पर तथा उल्लिखित शर्तों के अनुसार, उपलब्ध कराने का आदेश दिया जाता है।

इनडेण्ट दो प्रकार का हो सकता है :

(अ) **खुला इनडेण्ट (Open Indent)**—इसमें इनडेण्ट गृह को अधिकार दिया जाता है कि वह आदेशित माल को किसी भी निर्माता से न्यायोचित मूल्यों पर तथा उचित शर्तों पर खरीद ले; तथा

(ब) **बन्द इनडेण्ट (Closed Indent)**—इसमें माल के उपलब्धकर्ता (supplier) का नाम तथा इसके मूल्य, पैकिंग, आदि का व्यौरा आयातक स्वयं पहले से भर देता है और इनडेण्ट गृह माल को केवल निर्धारित शर्तों पर आयात करता है। उसके स्वयं के प्रयोग का विकल्प उपलब्ध नहीं होता है इसी कारण इसे 'बन्द इनडेण्ट' कहा जाता है।

3. साख-पत्र (Letter of Credit)—विदेशी व्यापार में प्रत्येक आयात का भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है। यह विदेशी मुद्रा भारत में रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत बैंकों से निर्यातक के नाम साख-पत्र खाता खुलवा कर प्राप्त की जाती है। साख-पत्र एक समझीता है, जिसके अधीन एक अधिकृत बैंक आयातक के निवेदन पर निर्यातक को अपने विदेशी कार्यालय के नाम एक अधिकार-पत्र लिखकर देता है जिसमें उसे साख-पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार उल्लिखित बैंक से एक निर्धारित रकम निकालने का अधिकार दिया जाता है। साख-पत्र खुल जाने पर निर्यातक को अपने भुगतान की प्राप्ति का आश्वासन मिल जाता है। वह जैसे ही आयातक को माल रखाना करता है, उल्लिखित बैंक के ऊपर विनिमय-पत्र लिखकर इसे भुना सकता है और भुगतान प्राप्त कर सकता है। एक साख-पत्र में प्रायः छ: पक्ष शामिल माने जाते हैं—(i) खाता खुलवाने वाला (Opener) आयातक, (ii) हितग्राही निर्यातक जिसके पक्ष में खाता खुलवाया जाता है, (iii) निर्गमनकर्ता (Issuer) बैंक जो साख-पत्र जारी करता है, (iv) अनुमोदक बैंक जो निर्यातक के देश में उस भुगतान की गारंटी देता है, (v) सूचनार्थ बैंक (notifying bank) जो निर्यातक को सूचना देता है कि उसके पक्ष में साख-पत्र खाता खोला जा चुका है, तथा (vi) वेचान करने वाला बैंक (negotiating bank) जिसके पास विनिमय-पत्र भुगतान या स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा।

4. दर्शनी प्रवेश बिल (Bill of Sight)—यदि आयातक को भेजे गए माल के पूरे विवरण मालूम न हों तो वह सीमा-शुल्क अधिकारियों के आगम-पत्र के स्थान पर 'दर्शनी प्रवेश बिल' (Bill of Sight) भरकर देता है। इस दर्शनी बिल में वे सारी सूचनाएं, जो आयातक को मालूम हैं, भर दी जाती हैं तथा यह घोषणा की जाती है कि आयातक को इससे अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में सीमा-शुल्क अधिकारी उसे यह अधिकार दे देते हैं कि वह उनके प्रतिनिधियों के सामने, आयात किए गए माल को खोलकर उसके निरीक्षण से जानकारी प्राप्त करके माल का पूरा विवरण भर दे। आयात-कर का निर्धारण व्यक्तिगत निरीक्षण द्वारा पाये गए माल के विवरण को फॉर्म में भरने के बाद ही किया जाता है।

5. जहाजी कम्पनी का सुपुर्दगी आदेश (Ship's Delivery Order)—यह वह आदेश है, जो जहाजी कम्पनी, या तो जहाजी विल्टी पर पृष्ठांकन (endorsement) करके अथवा एक पृथक सुपुर्दगी आदेश बनाकर लिखती है। इसके द्वारा सुपुर्दगी बन्दरगाह के सीमा शुल्क विभाग के सुपरिणेण्टेण्ट को जिसकी देख-रेख में जहाज से उतरा माल रखा गया है, आदेश दिया जाता है कि वह आदेश में दर्ज माल की, आदेश में उल्लिखित व्यक्ति को, सुपुर्दगी दे दे। यह आदेश तभी दिया जाएगा जबकि जहाजी कम्पनी को माल लाने का भाड़ा मिल चुका हो।

6. गोदी अधिपत्र (Dock Warrant)—यदि आयातक विदेशों से मंगाए माल की तल्काल सुपुर्दगी नहीं लेना चाहे तो वह इसे बन्दरगाह अधिकारियों के पास छोड़ सकता है। ऐसा माल बन्दरगाह पर बने चुंगी गोदाम घर या बन्धक भण्डार-गृहों में रख लिया जाता है। बन्दरगाह अधिकारी माल के स्वामी को इस माल की प्राप्ति के लिए एक रसीद बना देते हैं, जिसे गोदी अधिपत्र

(Dock Warrant) कहते हैं। इस अधिपत्र में माल के स्वामी के नाम तथा माल के पूरे विवरण—चिह्न, संख्या, वर्णन, आदि तथा गोदाम के किराए तथा अन्य खर्चों के विवरण दिए रहते हैं।

7. प्रवेश विल (Bill of Entry)—प्रवेश विल (Bill of Entry) वह मूल प्रपत्र है जिसके आधार पर सीमा शुल्क का निर्धारण होता है। इसे आयातक को धारा 46 के अन्तर्गत उचित अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ता है।

बोर्ड ने प्रवेश विल के सम्बन्ध में **प्रवेश विल (प्रारूप) विनियम, 1976 (Bill of Entry (Forms) Regulations, 1976)** बनाये हैं जिसमें प्रवेश विल के विभिन्न प्रारूपों को बताया गया है। आयातकर्ता को उचित अधिकारी के समक्ष यह प्रवेश विल प्रस्तुत करना पड़ता है।

प्रवेश विल के प्रकार (Types of Bill of Entry)—प्रवेश विल निम्न प्रकार के हो सकते हैं—

(A) घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश विल (Bill of Entry for home consumption);

(B) गोदामीकरण के लिए प्रवेश विल (Bill of Entry for warehousing);

(C) गोदाम से माल हटाये जाने के लिए एक्सबॉन्ड प्रवेश विल (Ex-Bond clearance Bill of Entry for home consumption)।

प्रवेश विल में संशोधन एवं प्रतिस्थापन (Amendment/Substitution of Bill of Entry)—

(A) **प्रवेश विल का प्रतिस्थापन (Substitution of Bill of Entry)**—किसी भी घरेलू उपभोग के लिए प्रवेश विल को गोदामीकरण के प्रवेश विल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी भी गोदामीकरण के प्रवेश विल को गृह उपभोग के लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है। प्रतिस्थापन उस दिन से लागू माना जाता है जब नया प्रवेश विल निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है।

परन्तु यह प्रतिस्थापन तभी सम्भव है जब उचित अधिकारी इस बात से मंतुष्ट हो कि राजस्व के हितों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा आयातक का कोई कपटपूर्ण इरादा नहीं था।

(B) **प्रवेश विल में संशोधन (Amendment of Bill of Entry)**—

(i) आयातित माल के घरेलू उपभोग की निकासी के पश्चात्; अथवा

(ii) गोदाम में जमा कराने के पश्चात्।

ऐसा संशोधन तभी स्वीकृत किया जायेगा जब कि माल की निकासी के समय अथवा जमा कराने के समय के दस्तावेजी साक्ष्य मौजूद हों तथा वह संशोधन का आधार हो।

प्रवेश विल में संशोधन उस दिन से लागू होगा जिस दिन प्रवेश विल प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था।

पूर्ण सूचना के अभाव में सभी विवरण देने में असमर्थता—यदि आयातक उचित अधिकारी के समक्ष इस आशय की घोषणा करे कि पूर्ण सूचना के अभाव में माल के सभी विवरण प्रस्तुत करने में वह असमर्थ है, तो उस माल की प्रविष्टि के पूर्व, उचित अधिकारी उसे निम्न कार्य की स्वीकृति दे सकता है—

(i) किसी सीमा शुल्क अधिकारी की उपस्थिति में माल की जांच करना;

(ii) एक सार्वजनिक गोदाम (Appointed Public Warehouse) में उस माल को गोदमित किए विना जमा करना।

अन्य—प्रवेश विल में उन सभी माल को शामिल किया जायेगा जिनका वर्णन जहाजी विल्टी (Bill of Lading) या वाहक द्वारा प्रेपक को दी गई अन्य किसी रसीद में किया गया है। प्रवेश विल के अन्त में आयातक ऐसे प्रवेश विलों की विषय-वस्तु (contents) की सत्यता की घोषणा करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा।

प्रश्न
(QUESTIONS)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन एक आयातक द्वारा माल आयात को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए।
Enumerate the process under Customs Act to effect an import of goods by an importer.
2. आयात व्यापार में प्रयोग होने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संकेप में वर्णन कीजिए।
Describe the important documents used in import trade.
3. एक आयातक को सीमा शुल्क अधिकारियों से माल छुड़ाने के लिए क्या-क्या कार्यवाहियां करनी पड़ती हैं ?
What formalities are complied with by an importer for clearance of goods from customs authorities ?
4. आयात निकासी के लिए आगम-पत्र (Bill of Entry) के विभिन्न प्रकारों व उपयोग की क्या प्रक्रिया है ?
What are the different types and uses of Bill of Entry ?

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Question)

1. निम्न पर टिप्पणी लिखिए :
 (i) प्रवेश-पत्र किसे कहते हैं ?
 (ii) वस्थक-गृह वाला आगम-पत्र कब भरा जाता है ?
 (iii) आगम-पत्र (Bill of Entry)।
 (iv) घाट शुल्क (Wharfage)।

7

निर्यात प्रक्रियाएं एवं प्रपत्र [EXPORT PROCEDURES AND DOCUMENTS]

निर्यात की कार्यविधि एवं प्रपत्र

(EXPORT PROCEDURE AND DOCUMENTS)

विदेशों से माल का आयात करने की भाँति ही, इसके निर्यात में भी निर्यातकर्ता व्यापारी को अनेक औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इन औपचारिकताओं को तीन उद्देश्यों में बांटा गया है :

प्रारंभिक औपचारिकताएं (Preliminary Formalities)

(1) विदेशी व्यापारी से सम्पर्क तथा सौदेबाजी (Contact and Negotiations)—निर्यात सौदे की प्रक्रिया में यह पहली सीढ़ी है। इसमें तीन कार्यवाहियां शामिल हैं :

(अ) बाजार सर्वेक्षण (Market Survey)—उन मण्डलों व व्यापारिक संस्थाओं को खोजना जिनमें माल की मांग हो सकती है। इसके कई साधन हैं; जैसे—भिन्न-भिन्न व्यापार मण्डलों, निर्यात प्रबन्धन परिषदों (Export Promotion Councils), सरकारी एजेन्सियों, वाणिज्यिक दूतावासों तथा अन्य व्यावसायिक एजेन्सियों से सम्पर्क करना तथा व्यापार व व्यवसाय निर्देशिका पुस्तकों (Trade and Business Directories) का अध्ययन करना।

(ब) विक्रय-प्रवर्तन करना (Sales Promotion)—उन व्यापारिक संस्थाओं को विज्ञापन, प्रचार, प्रदर्शन, व्यक्तिगत सम्पर्क अथवा अन्य तरीकों से यह माल खरीदने के लिए प्रेरित करना जिनसे ऑर्डर प्राप्त किए जा सकें।

(स) व्यापारिक शर्तें तय करना (Negotiating the deal)—विदेशों में मांग प्राप्त होने पर इसे पूरा करने के लिए आयातकर्ता से कीमत, भुगतान, सुपुर्दगी, आदि की व्यापारिक शर्तें तय की जाती हैं। इन व्यापारिक शर्तों का संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया गया है :

(a) मूल्य (Price)—सामान्यतया विदेशी व्यापार में मूल्यों को निम्नलिखित रूपों में निर्धारित किया जा सकता है :

- जहाज पर निःशुल्क सुपुर्दगी (F.O.B.) मूल्य—इसका अर्थ है कि निर्यातकर्ता के द्वारा प्रकट किए गए मूल्य में माल को जहाज पर छाने तक के खर्च शमिल होंगे।
- लागत और भाड़ा युक्त (C. and F.) मूल्य—इस मूल्य में निर्यातकर्ता जहाज का भाड़ा भी स्वयं देगा तथा आयातकर्ता को केवल शेष खर्च देने पड़ेंगे।
- लागत, बीमा और भाड़ा सहित (C.I.F.) मूल्य—इस प्रकार के मूल्य में माल की लागत के साथ-साथ भाड़ा तथा बीमा भी निर्यातकर्ता को इसी मूल्य के अन्दर चुकाना पड़ता है।
- कुल आयात मूल्य (Landed Price)—इस शर्त के अधीन निर्यातकर्ता माल को न केवल आयातकर्ता के देश में पहुंचाने, बल्कि सीमा-शुल्क अधिकारियों से छुड़ाने तक के खर्च स्वयं चुकाता है।
- सब खर्च युक्त मूल्य (Franco, Randu or Free Price)—इस प्रकार के मूल्य में माल को आयातकर्ता के गोदाम तक पहुंचाने तक के खर्च भी नियंतकर्ता का ही दायित्व है।

(b) भुगतान (Payment)—माल का मूल्य तय हो जाने पर इनके भुगतान की प्रणाली तय की जाती है। सामान्यतया, भुगतान की पांच प्रणालियां हैं—(i) पेशगी भुगतान, (ii) माल की सुपुर्दगी के दस्तावेज, नकद भुगतान करने पर देना, (iii) ये दस्तावेज संलग्न विनिमय-पत्र के तुरन्त भुगतान करने पर देना, (iv) सचेत दस्तावेज संलग्न विनिमय-पत्र को तुरन्त स्वीकार (accept) करने पर देना, तथा (v) दस्तावेजी साख-पत्र (documentary letter of credit) भुगतान करना।

(c) सुपुर्दगी (Delivery)—अन्त में, जहां तक रवानगी और सुपुर्दगी की शर्तों का प्रश्न है, आयातकर्ता गन्तव्य बन्दरगाह का नाम, माल भेजने के लिए उपयुक्त जहाज का नाम, बीमे की शर्तों, पैकिंग की शर्तों, आदि के बारे में विशिष्ट निर्देश दे सकता है।

(2) **ऑर्डर या इनडेण्ट प्राप्त करना** (Receipt of Order or Indent)—निर्यात सौदे की शर्तें तय हो जाने के बाद यह पहली औपचारिक कार्यवाही है। इनडेण्ट वह आदेश है, जो एक आयातकर्ता व्यापारी निर्यातक को उसमें लिखा माल निर्दिष्ट शर्तों पर भेजने के लिए देता है। इस इनडेण्ट में माल की किम्म और उसकी मात्रा के बारे में तो पूरे विवरण होते ही हैं, साथ ही उसके मूल्य, पैकिंग, चिह्नांकन, रवानगी के जहाज, वीमे, आदि के विवरण भी दिए जाते हैं। निर्यातक के साथ भुगतान व सुपुर्दगी के सम्बन्ध में जितनी शर्तें तय की गई हैं, उनका भी इनडेण्ट में स्पष्ट उल्लेख किया जाता है।

(3) **निर्यात अनुमति-पत्र प्राप्त करना** (Obtaining Export Licence)—स्वदेशी वस्तुओं का विदेशों को निर्यात, भारत में विदेशी व्यापार (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन शासित होता है। निर्यात नियन्त्रण में सम्मिलित वस्तुओं को निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में सब वस्तुओं को दो भागों में वांटा गया है—(अ) वे वस्तुएं जिनके निर्यात की आमतौर पर अनुमति नहीं दी जा सकती हैं, (ब) वे वस्तुएं जिनके निर्यात के लिए अनुमति दें दी जाती है।

(4) **विदेशी मुद्रा विनियम नियन्त्रण विनियम** (Foreign Exchange Control Regulations)—प्रत्येक निर्यातक को विदेशी मुद्रा (प्रवन्धन) अधिनियम, 1999 के अधीन अपने निर्यात के पूरे विवरण निर्धारित GR फॉर्म पर भरकर तथा इन्हें सीमा शुल्क अधिकारियों से प्रमाणित कराके रिजर्व बैंक के पास भेजना अनिवार्य है। विवरणों के फॉर्मों की प्रायः दो प्रतियां तैयार की जाती हैं। ये दोनों प्रतियां माल की रवानगी के समय, जहाजी बिल के साथ, सीमा शुल्क अधिकारियों को दे दी जाती हैं। सीमा शुल्क अधिकारी, निर्यात किए गए माल का मूल्य प्रमाणित करके, इनमें से एक प्रति को रिजर्व बैंक के पास सीधे भेज देता है। GR फॉर्म की दूसरी प्रति निर्यातक के द्वारा, अन्य सुपुर्दगी के दस्तावेजों के साथ, अपने बैंक में जमा करा दी जाती है। अधिकृत बैंक इन्हें तब तक अपने पास रखता है, जब तक आयातक से विदेशी विनियम की रकम प्राप्त न हो जाए।

(5) **साख-पत्र** (Demanding Letter of Credit)—निर्यातक के लिए आयातक व्यापारी प्रायः अपरिचित होते हैं, वह अपने भुगतान के बारे में आश्वस्त होने के लिए उनसे साख-पत्र की मांग करता है। यह साख-पत्र (letter of credit) बैंकों के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसी स्थिति में, निर्यातक का भुगतान सुरक्षित हो जाता है। यदि आयातक कोई नया-नया व्यापारी हो तो निर्यातक उससे आयात का पूरा मूल्य पेशगी चुकाने की शर्त भी रख सकता है।

माल भेजना

(DESPATCHING OF GOODS)

(1) **जहाजी आदेश प्राप्त करना** (Obtaining the Shipping Order)—इनडेण्ट स्वीकार कर लेने और साख-पत्र प्राप्त कर लेने पर निर्यातक उस ऑर्डर के माल को इकट्ठा करता है और इसे रवाना करने के लिए रवानगी बन्दरगाह तक पहुंचाता है और किसी जहाज में बुक करता है। प्रायः विदेशी व्यापार में ज्यादातर माल को समुद्री मार्ग से भेजना सस्ता पड़ता है।

(2) **माल को पैक करना और आगे भेजना** (Packing and Forwarding of Goods)—जहाजी कम्पनी माल को ले जाने का भाड़ा, सम्बन्धित माल के पैकेज के आकार और भार को देखकर, निर्धारित करती है। अतः इस भाड़े में बचत करने के लिए निर्यातक को इस ढंग से पैकिंग करनी चाहिए कि छोटे-से-छोटे पैकेट में ज्यादा-से-ज्यादा माल पैक किया जा सके। विदेशों को भेजा जाने वाला माल इतनी बार उतारा और लादा जाता है कि माल का गन्तव्य स्थान पर विना किसी क्षति के पहुंचना तभी सम्भव है। जब उसकी पैकिंग काफी मजबूत हो। उठाने-रखने में विशेष सतर्कता चाहने वाले डिव्हों, वक्सों तथा पैकेटों पर विशेष निर्देश जैसे—‘Handle With Care’ भी लिख देना चाहिए।

माल को ठीक प्रकार से पैक कर देने के बाद हर डिव्हो, वक्स, पैकेट, गांठ या बोरी पर आयातक का नाम, गन्तव्य बन्दरगाह का नाम, आदि भी साफ-साफ तथा बड़े-बड़े शब्दों में लिखना अनिवार्य है। इन पैकेटों पर आयातक के निर्देश के अनुसार आवश्यक चिह्न (Marks) भी लगाना जरूरी है। पैकिंग और चिह्नांकन (Packing and Marking) हो जाने पर माल को प्रेषण बन्दरगाह (Forwarding Port) तक पहुंचाने की कार्यवाही की जाती है।

(3) **सीमा-शुल्क की औपचारिकताएं** (Custom Formalities)—बन्दरगाह पर माल पहुंच जाने के बाद निर्यातक या उसके एजेण्ट को सीमा-शुल्क अधिकारियों से सम्पर्क करके निर्यात करने का आज्ञा-पत्र (Customs export pass) प्राप्त करना पड़ता है।

निर्यात माल की निकासी

(CLEARANCE OF EXPORT GOODS)

1. **जहाजी बिल** (Shipping Bill)—यह चार प्रतियों में निर्धारित प्राप्त में भरकर सीमा शुल्क कार्यालय में जमा कराया जाता है। इसमें निर्यातक का नाम व पता, प्रेषिती (Consignee) का नाम व पता, वीजक संख्या, पैकिंग विवरण, माल का विवरण, मात्रा, FOB मूल्य आदि सूचनाएं दी जाती हैं। सीमा-शुल्क कार्यालय इन पर अपना क्रमांक (जिसे ढोका नम्बर कहते हैं) डाल देते हैं।

2. **निर्यातक की घोषणा** (Declaration of Exporter)—विभिन्न निर्यातों की दशा में उपयुक्त निर्धारित फॉर्म पर निर्यातक द्वारा घोषणा की जाती है जिसका उद्देश्य यह होता है कि सभी विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं और सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं।

3. उत्पाद-शुल्क औपचारिकताएं (Excise-Duty Formalities)—निर्माता द्वारा निर्यात की दशा में फॉर्म AR-4 द्वारा औपचारिकताएं पूरी करके सीमा शुल्क कार्यालय में जमा कराया जाता है, जो निर्यात को प्रमाणित करता है।

4. शुल्क वापसी औपचारिकताएं (Duty Drawback Formalities)—यदि निर्यातक अपने निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रारूपों में विभिन्न दस्तावेज तैयार करने होते हैं।

5. विदेशी मुद्रा प्रबन्धन—FEMA, 1999 के अन्तर्गत 'Guaranteed Receipt' (GR) अथवा Statutory Declaration Form (SDF) की औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात विक्री राशि भारत में उचित बैंकिंग माध्यम द्वारा प्राप्त हो जाएगी।

6. अन्य प्रपत्र (Other Documents)—निम्न अतिरिक्त प्रपत्र निर्यातक द्वारा तैयार किए जाते हैं :

- (1) व्यापारिक बीजक—चार प्रतियों में;
- (2) पैकिंग सूची—चार प्रतियों में;
- (3) उद्गम का प्रमाण-पत्र;
- (4) बीमा पॉलिसी;
- (5) साख-पत्र;
- (6) मूल्य की घोषणा;
- (7) उत्पाद शुल्क के AR-4 या AR-5 फॉर्म;
- (8) GR/SDF फॉर्म;
- (9) निर्यात कोड नं. DGFT द्वारा प्राप्त करना।

जब इन औपचारिकताओं को पूरा करके माल जहाज पर लाद दिया जाता है तब Bill of Lading के रूप में स्वामित्व प्रपत्र निर्मित किया जाता है।

7. गोदी व बन्दरगाह सम्बन्धी कार्यवाहियां (Dock and Port Procedures)—सीमा शुल्क अधिकारियों से निपटने के बाद निर्यातक गोदी व बन्दरगाह अधिकारियों से सम्पर्क करता है। इसके लिए वह गोदी चालन (Dock Challan) की दो प्रतियां भरता है तथा गोदी अधिकारियों के शुल्क (dues) विभाग से, जहाजी विल तथा एक आवेदन जमा करके, गोदी शुल्क की राशि मालूम करता है। गोदी अधिकारी जहाजी बिल (shipping bill) की दूसरी प्रति अपने पास रखकर शेष प्रपत्र निर्यातक को वापस कर देते हैं। साथ ही, निर्यातक को अपना माल बन्दरगाह में ले जाने का आदेश (carting order) दे दिया जाता है।

8. माल का प्रवेश (Entry of Goods)—बन्दरगाह व गोदी अधिकारियों की अनुमति लेकर अब निर्यातक माल को बन्दरगाह में प्रविष्ट करता है। बन्दरगाह से सम्बन्धित व्यापार मण्डल या चैम्बर का कोई अधिकारी माल व उनके पैकेजों का निरीक्षण करके निर्यातक को उसका एक मापन प्रमाण-पत्र (measurement certificate) जारी कर देता है। जहाजी कम्पनी माल के परिवहन का भाड़ा तय करते समय इसी प्रमाण-पत्र का सहारा लेती है।

9. कप्तान की रसीद प्राप्त करना (Obtaining Mate's Receipt)—जैसे ही तय किया गया जहाज बन्दरगाह पर माल उठाने के लिए तैयार हो जाता है, निर्यातक का माल स्टीमरों के द्वारा जहाज पर पहुंचा दिया जाता है। माल को जहाज पर लादते समय सीमा शुल्क विभाग के अधिकारी भी वहां उपस्थित रहते हैं, जिससे यह देखा जा सके कि कहाँ कोई गलत माल तो जहाज पर नहीं चढ़ाया जा रहा है। माल को जहाज पर चढ़ाने से पहले निर्यातक जहाज के कप्तान या उसके सहायक को, जिसे (mate) कहते हैं, जहाजी आदेश (shipping order) तथा जहाजी विल (shipping bill), दोनों दे देता है। जहाज का कप्तान या उसका Mate सम्बन्धित माल को इन दस्तावेजों से मिलाकर तथा उसकी पैकिंग, आदि की जांच करके, माल की प्राप्ति की रसीद बना देता है। इसे जहाजी कप्तान की रसीद (Mate's Receipt) कहते हैं।

10 जहाजी बिल्टी प्राप्त करना (Obtaining Bill of Lading)—माल को जहाज पर चढ़ाने तथा Mate की रसीद प्राप्त कर लेने के बाद निर्यातक जहाजी कम्पनी में जाकर बिल्टी (Bill of Lading) प्राप्त करता है। जहाजी कम्पनी के अधिकारियों के हस्ताक्षरों से युक्त यह जहाजी बिल्टी अब एक संविदा-पत्र बन जाती है, जिसमें माल के परिवहन की शर्तों का वर्णन दिया रहता है। जहाजी बिल्टी पर हस्ताक्षर करते समय जहाजी कम्पनी निर्यातक को माल के परिवहन पर लगने वाले भाड़े का एक विल भी बनाकर देती है जिसे भाड़ा विल (freight note) कहते हैं।

माल के अधिकार-पत्र भेजना व भुगतान लेना

(DESPATCHING DOCUMENTS OF TITLE AND REALISING PAYMENT)

(1) बीमा कराना (To Get Insurance)—निर्यात किया गया माल निर्यातक से चलकर आयातक के पास पहुंचने तक अनेक जोखिमों से गुजरता है। समुद्र के गास्ते से माल भेजने में ये जोखिमें और भी अधिक बढ़ जाती हैं। इन जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए माल का बीमा कराया जाता है। बीमा पॉलिसी सामान्यतः निर्यातक के द्वारा आयातक के निर्देशों के अनुसार

बनवाई जाती है। वीमा हमेशा भेजे जाने वाले माल के मूल्य में 10% की राशि जोड़कर कराया जाता है जिससे इसमें माल भेजने के खर्चे भी शामिल किए जा सकें।

(2) **माल रवानगी की सूचना भेजना** (Sending Shipping Advice)—सारी कार्यवाही हो जाने पर निर्यातक आयातक को एक सूचना भेजता है जिसमें माल के रवाना होने के विवरण दिए जाते हैं। इस सूचना में भेजे गए माल के विवरणों के अतिरिक्त सम्बन्धित जहाज की रवानगी की और इसके गतव्य बन्दरगाह पर पहुंचने की अनुमति तिथि भी दी रहती है। साथ ही, आयातक को यह सूचना भी दी जाती है कि माल की सुपुर्दगी के दस्तावेज अमुक बैंक के माध्यम से भेजे जा रहे हैं।

(3) **सुपुर्दगी से सम्बन्धित दस्तावेज भेजना** (Sending Shipping and Other Documents)—निर्यात किए जाने वाले माल की रवानगी हो जाने पर निर्यातक माल का वीजक वनाता है और यदि उस माल के सम्बन्ध में मूल अथवा उद्गम स्थान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin) तथा कौन्सुलर वीजक की आवश्यकता हो तो इसे प्राप्त करता है।

निर्यातक समस्त कार्यवाही कर लेने पर आयातक के पास निम्नलिखित दस्तावेज भिजवाता है :

(i) जहाजी विल्टी (Bill of Lading), (ii) वीमा पार्लिसी या वीमा-पत्र (Insurance Policy or Cover Note), (iii) मूल स्थान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin), (iv) कौन्सुलर वीजक (Consular Invoice), (v) माल का वाणिज्यिक वीजक (Commercial Invoice of Goods), (vi) विनिमय पत्र (Bill of Exchange)। सामान्यतः ये दस्तावेज बैंक के द्वारा भेजे जाते हैं।

(4) **भुगतान प्राप्त करना** (Obtaining Payment)—निर्यात सौदे की यह अनिम अवस्था है। इस अवस्था में निर्यातक भेजे गए माल का, तय शर्तों के अनुसार, भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करता है। सामान्यतः यह भुगतान दस्तावेजी विनिमय-पत्र (Documentary Bill) लिखकर प्राप्त किया जाता है।

हवाई जहाज द्वारा निर्यात

(EXPORT BY AIRCRAFT)

हवाई जहाज द्वारा निर्यात अपेक्षाकृत सरल एवं शीघ्र साधन है यद्यपि माल भाड़ा अधिक लगता है। इस पद्धति में Airport Authorities को कोई दस्तावेज नहीं देना होता वरन् सभी दस्तावेज सीमा शुल्क विभाग की स्वीकृति तथा अनुमोदन के लिए होते हैं। माल की पैकिंग हवाई नियमों के अनुरूप आवश्यक होती है। निर्यात माल को हवाई अड्डे पर भेजने से पूर्व Airway Bill प्राप्त करके सीमा शुल्क अधिकारियों से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करना उचित है।

Customs Documents

- (a) Shipping Bill—4-5 प्रतियों में;
- (b) Commercial Invoice—7 प्रतियों में;
- (c) G.R. Form-2;
- (d) Shipper's Declaration—1 copy;
- (e) Packaging List—3 Copies;
- (f) Letter of Credit;
- (g) Exporter Contract Buyer's Letter;
- (h) Pre-Shipment Inspection Certificate;
- (i) Export License;
- (j) Central Excise Forms—AR-4/AR-4A;
- (k) Market/Tariff Value Proof;
- (l) Insurance Policy.

हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क प्रक्रिया

1. सभी उपर्युक्त प्रपत्र हवाई अड्डे पर नियुक्त कस्टम अधिकारी को प्रस्तुत किए जाएं।
2. कस्टम अधिकारी शिपिंग विल पर अपनी स्वीकृति स्वरूप उन पर मोहर तथा क्रमांक डालता है।
3. मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्यात माल का मूल्यांकन किया जाएगा जो Duty Drawback यदि हो तो उसे भी प्रमाणित करेगा।
4. Airways Bill के साथ G.R. Form लगाकर माल भाड़ा निर्धारण के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

5. हवाई कम्पनी Airways Bill को निर्यातक या CHA को सुपुर्द करती है। तत्पश्चात् Shipping Advice ग्राहक को भेजी जाती है।

6. सीमा शुल्क द्वारा स्वीकृत Shipping Bill को Customs Freight Officer के माध्यम से Custom Appraiser को भेजा जाता है जो उस पर मूल्यांकन निर्धारित करता है।

7. अन्त में निर्यातक Shipping Advice + Airways Bill तथा अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ आयातक को भेजा जाता है जिनके द्वारा वह माल छुड़ाता है।

सामान का निर्यात

(EXPORT OF BAGGAGE)

सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 2(3) में जिस सामान (Baggage) को परिभाषित किया गया है, वह भारत में आने वाला ऐसा सामान (Baggage) है, जो पैसेन्जर्स के साथ नहीं लाया जा रहा है। यह सामान (Baggage) यात्रा से पूर्व अथवा पश्चात् भारत में लाया जा सकता है।

अध्ययन की सुविधा के लिए इसी सन्दर्भ में सामान (Baggage) का अर्थ यात्रियों के उस निजी सामान से लगाया जा सकता है, जो यात्रियों तथा चालक दल के सदस्यों द्वारा साथ नहीं ले जाया जा रहा है। सामान (Baggage) के निर्यात में सामान्य नियम एवं पद्धति लागू होती है।

निजी सामान (Personal Baggage) के निर्यात पर कुछ प्रतिबन्ध हैं जिसमें निषेध वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। देशी एवं विदेशी मुद्रा RBI तथा FEMA के नियमों के अन्तर्गत सामान (Baggage) में ले जाई जा सकती है। सामान (Baggage) में सामान्यतः व्यापारिक मात्रा में वस्तुएं नहीं ले जाई जा सकती।

यदि कोई पर्यटक फ्री विदेशी मुद्रा में वस्तुएं खरीदता है तो वह उसे भारत के बाहर अपने साथ ले जा सकता है।

पुनर्निर्यात

(CLEARANCE FOR RE-EXPORT)

पुनर्निर्यात जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि आयातित माल का पुनः निर्यात या वापसी माल का आयात नियमानुसार तथा Bill of Entry के उल्लेख के अनुसार होना आवश्यक है जिसके पूरा न होने पर एवं कुछ अन्य अवस्थाओं में आयातित माल वापस किया जा सकता है; जैसे—

(a) प्रदर्शनी या सैम्प्ल के लिए,

(b) सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा आयात की अस्वीकृति की दशा में,

(c) गलती से माल के आयात की दशा में, इत्यादि के लिए आयात होता है। ऐसी स्थिति में माल को मूल रूप से या अधिकांशतः उसी रूप में पुनर्निर्यात किया जा सकता है।

धारा 74 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्निर्यात माल पहचानने योग्य स्थिति में होना आवश्यक है तथा पुनर्निर्यात आयात शुल्क चुकाने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर कर दिया जाना चाहिए। पुनर्निर्यात की दशा में Duty Drawback के लिए नियमानुसार आवेदन किया जा सकता है।

प्रदर्शनी के लिए आयतित मात्रा का पुनर्निर्यात—यदि माल का आयात प्रदर्शनी के लिए ‘भारतीय उद्योग एवं व्यापार विकास प्रांगिकरण’ की स्वीकृति पर किया जाता है तो ऐसे माल की निकासी विना शुल्क चुकाए की जा सकती है जिसके लिए माल के मूल्य का 150% तथा देय शुल्क के 100% के बराबर वैकंग गारन्टी के साथ बॉण्ड निष्पादित करना आवश्यक है, भुगतान करने के बाद पुनर्निर्यात के बाद Duty Drawback के लिए आवेदन किया जा सकता है। अन्य प्रदर्शनी के लिए आयात के लिए निकासी के समय निर्धारित शुल्क भुगतान करना आवश्यक है।

ब्रुटि के अन्तर्गत गलत माल का पुनर्निर्यात—कभी-कभी विदेशी निर्यातक द्वारा भूल से गलत माल प्रेषित किया जा सकता है। ऐसी दशा में गलती की सूचना सीमा शुल्क अधिकारियों को दी जा सकती है। ऐसी दशा में माल जब नहीं किया जाएगा वरन् विना शुल्क चुकाए पुनर्निर्यात किया जा सकता है यदि कोई कपटपूर्ण उद्देश्य न हो।

निर्यात विरुद्ध आयतित माल का पुनर्निर्यात—यदि कोई माल आयत-निर्यात नीति के विरुद्ध आयात किया गया हो जो आयात के योग्य नहीं था, ऐसे माल को अर्थदण्ड तथा Redemption Fine के भुगतान के बाद पुनर्निर्यात किया जा सकता है।

विदेशी निर्यातक द्वारा पुनर्निर्यात—जब आयातित आवश्यक शुल्क भुगतान करके माल को नहीं छुड़ाता है तो निर्यातक जो अभी तक माल का स्वामी है, माल के पुनर्निर्यात के लिए सीमा शुल्क अधिकारी को आवेदन कर सकता है, यदि माल का आयात विधिसम्मत था तथा निर्यातक या आयातित की कोई कपटपूर्ण भूमिका नहीं थी।

निर्यात व्यापार में प्रयुक्त दस्तावेज (DOCUMENTS USED IN EXPORT TRADE)

निर्यात व्यापार में निर्यातक द्वारा प्रयुक्त प्रमुख दस्तावेज निम्नलिखित हैं :

1. निर्यात लाइसेन्स,
2. विदेशी विनिमय सम्बन्धी घोषणा,
3. जहाजी आदेश,
4. चार्टर पार्टी,
5. जहाजी विल,
6. कप्तान की रसीद,
7. जहाजी विल्टी,
8. उदागम या मूल स्थान का प्रमाण-पत्र,
9. कौन्सुलर वीजक, तथा
10. वाणिज्यिक वीजक तथा कच्चा वीजक।

1. निर्यात लाइसेन्स (Export Licence)—भारत में यह लाइसेन्स विदेशी व्यापार (विकास तथा नियमन) अधिनियम के अधीन प्राप्त किया जाता है। उदाहरणार्थ, चाय का निर्यात चाय अधिनियम, 1953 तथा कॉफी का निर्यात कॉफी अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित क्रमशः चाय वोर्ड तथा कॉफी वोर्ड से लाइसेन्स लेकर किया जाता है। निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1968 की अधिसूची 1 में दी गई वस्तुओं का निर्यात, आयात व निर्यात नियन्त्रक से लाइसेन्स प्राप्त करके किया जाता है। शेष वस्तुओं के निर्यात पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है अतः उन्हें खुले रूप से निर्यात किया जा सकता है। निर्यात लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए निर्यातक को दो वर्गों में वांटा गया है—सुन्धारित निर्यातक तथा नवागन्तुक निर्यातक।

2. विदेशी विनिमय सम्बन्धी घोषणा (Declaration Regarding Foreign Exchange)—यह एक घोषणा है जो विदेशी विनिमय (प्रबन्धन) अधिनियम, 1999 के अधीन निर्धारित फॉर्मों पर तीन-चार प्रतियों में लिखकर की जाती है। इसके अधीन निर्यातक घोषणा करता है कि (क) वह इस पत्र में वर्णित वस्तुओं का विक्रेता या प्रेपक है, तथा (ख) इस पत्र में निर्यात की वस्तुओं का अंकित वीजक मूल्य पूरा सही निर्यात मूल्य है। साथ ही, वह (तथा उसका प्रधान) वचन देता है कि वह इस निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा को निर्दिष्ट तिथि तक इसमें दर्ज वैंक को सुपुर्द कर देगा। इस घोषणा-पत्र पर उल्लिखित वैंक के प्रति-हस्ताक्षर (counter-signature) होने भी जरूरी हैं।

3. जहाजी आदेश (Shipping Order)—यह वह आदेश है जो निर्यातक के द्वारा किसी जहाजी कम्पनी से प्राप्त किया जाता है। इस आदेश के अधीन जहाजी कम्पनी निर्यातक के माल के गन्तव्य बन्दरगाह तक पहुंचाने के लिए अपने जहाज पर जगह देने की व्यवस्था करती है। आदेश में भेजे जाने वाले माल के पूरे विवरण, चिह्न, संख्या, आदि तथा उसकी यात्रा और रवानगी के पूरे विवरण दिए जाते हैं। जहाजी आदेश में परिवहन भाड़े की दर तथा परिवहन की शर्तों का विस्तार-सहित वर्णन किया जाता है।

4. चार्टर पार्टी (Charter Party)—यदि निर्यातक अपने माल का निर्यात करने के लिए सारे जहाज को, या इसमें उपलब्ध अधिकांश स्थान को किए पर लेना चाहे तो उसे जहाजी कम्पनी के साथ एक पृथक् समझौता करना पड़ता है, जिसे 'चार्टर पार्टी' कहते हैं। यह एक समझौता है जिसके अन्तर्गत कोई निर्यातक अथवा जहाजी दलाल (ship broker) जहाजी कम्पनी के सारे जहाज को, उसके मुख्य भाग को परिवहन के लिए भाड़े पर ले लेता है। इस समझौते में परिवहन कम्पनी और चार्टरकर्ता (charterer) के पारस्परिक अधिकार और दायित्व भी दिए जाते हैं।

5. जहाजी विल (Shipping Bill)—आगम-पत्र से भिन्न जहाजी विल का प्रयोग सीमा शुल्क अधिकारियों के सामने, बाहर भेजे जाने वाले माल के विवरण स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। भिन्न-भिन्न श्रेणियों के माल के लिए भिन्न-भिन्न फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे—(i) शुल्क मुक्त माल (duty free goods), (ii) शुल्कयुक्त माल, (iii) पुनर्निर्यात पर वापस भुगतान वाला माल (duty drawback goods)। इस जहाजी विल में निर्यातक अथवा उसका एजेंट माल के सम्बन्ध में सीमा अधिकारियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण सारे विवरण; जैसे—माल के विवरण व परिमाण, दर व मूल्य, पैकेजों की संख्या व उन पर अंकित चिह्न, गन्तव्य देश का नाम, तथा आयातक का नाम, आदि भरता है। जहाजी विल की तीन या चार प्रतियां बनाई जाती हैं और इन्हें अन्य दस्तावेजों के साथ सीमा-अधिकारियों के पास जमा कर दिया जाता है।

6. कप्तान की रसीद (Mate's Receipt)—जब निर्यातकर्ता, जहाजी कम्पनी के साथ किए गए परिवहन समझौते के अधीन अपना माल जहाजी आदेश में निर्दिष्ट जहाज पर चढ़ाता है तो उस जहाज का कप्तान अथवा उसका सहायक, जिसे Mate कहते हैं, जहाज पर प्राप्त माल की एक रसीद जारी करता है। इसे कप्तान की रसीद कहते हैं। यह रसीद जहाज पर माल को प्राप्त करने की रसीद (acknowledgement) है।

7. जहाजी विल्टी (Bill of Lading)—जहाजी विल्टी, वास्तव में, जहाज पर लादे गए माल की एक अधिकृत रसीद है, जो जहाजी कम्पनी के द्वारा जारी की जाती है और जिसमें माल को गन्तव्य बन्दरगाह तक ले जाने की शर्तों का उल्लेख होता है। यह व्यापारी और जहाजी कम्पनी के बीच संविद का काम करती है और माल के स्वामित्व का अधिकार-पत्र (Document of Title) कहलाती है। आयातक इसी जहाजी विल्टी के अधिकार से जहाज पर लादे गए माल की सुपुर्दगी ले सकता है। यह एक अन्दर्भ-विनिमयसाध्य दस्तावेज (Quasi-negotiable Instrument) है जिसका स्वामित्व वेचान (endorsement) के द्वारा हस्तान्तरित किया जा सकता है।

8. उद्गम या मूल स्थान सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (Certificate of Origin)—कभी-कभी कई देश, विदेशों से मंगाए जाने वाले माल पर, आयात कर लगाते समय भिन्न-भिन्न देशों को भिन्न-भिन्न रियायतें देते हैं। ऐसी स्थिति में इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई व्यापारी, एक देश का माल दूसरे देश के माध्यम से अपने देश में आयात करके, आयात की दरों में दी गई विशेष रियायत का लाभ न उठाए। इसके लिए आयातक को मूल स्थान सम्बन्धी या उद्गम प्रमाण-पत्र की आवश्यकता पड़ती है। यह प्रमाण-पत्र प्रायः निर्यातक देश के अधिकृत चैम्बर ऑफ कॉर्स के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें निर्यातक यह प्रमाणित करता है कि इस प्रमाण-पत्र में उल्लिखित माल उसी देश में बना है, जहां से वह निर्यात किया जा रहा है। स्थानीय चैम्बर का सचिव (secretary) इस घोषणा की पुष्टि करता है।

9. कौन्सुलर बीजक (Consular Invoice)—उन वस्तुओं का आयात करने पर, जिनके ऊपर मूल्यानुसार (*ad valorem*) आयात कर लगाया जाता है, यह भी आवश्यक है कि आयात की जाने वाली वस्तुओं के निर्यात बीजक में लगाया गया मूल्य सही प्रमाणित हो। मूल्य के बारे में किसी प्रकार का सन्देह न रहे, यह तभी सम्भव है जब इसे अधिकृत अधिकारियों से प्रमाणित करा लिया जाए। निर्यातक यह प्रमाण-पत्र अपने देश में आयात करने वाले देश के वाणिज्य दूतावास से प्राप्त कर सकता है। वाणिज्य दूत बीजक की जांच करके उसे प्रमाणित कर देता है। इस प्रकार से प्रमाणित बीजक को वाणिज्य दूत के द्वारा प्रमाणित या कौन्सुलर बीजक कहते हैं।

10. वाणिज्यिक बीजक (Commercial Invoice)—निर्यातक विदेशों को भेजे जाने वाले माल का बीजक भी उसी प्रकार से बनाता है; जैसे देशी व्यापार में, लेकिन इसके विवरण देशी व्यापार में प्रयुक्त बीजक से भिन्न होते हैं। माल के विवरण के साथ प्रत्येक पैकेट पर मार्क, चिह्न, संख्या व अन्य विवरण, तथा इन पैकेटों की लम्बाई-चौड़ाई तथा माप-तोल भी देनी जरूरी है। अन्त में, बीजक में यह भी लिखा जाता है कि निर्यात किया जाने वाला माल निर्यातक के देश में ही बना है, या वाहर से मंगाकर निर्यात किया गया है। विदेशी व्यापार में बीजक की प्रायः तीन प्रतियां तैयार की जाती हैं—पहली दो प्रतियां अलग-अलग डाक से आयातक के पास भेज दी जाती हैं और तीसरी प्रति निर्यातक स्वयं अपने पास रखता है।

प्रश्न (QUESTIONS)

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत भारत से माल निर्यात करने की विधि को स्पष्ट कीजिए।
Explain the export procedure under Customs Act.
2. निर्यात व्यापार में आदेश प्राप्त होने से माल के लदान तक की विभिन्न कार्यविधियों की रूपरेखा दीजिए।
Outline the process to be adopted from receiving of order upto loading of goods under export trade.
3. निर्यात व्यापार में प्रयुक्त प्रमुख दस्तावेजों का वर्णन कीजिए।
Describe main documents used in Export Trade.

लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Question)

1. निम्न पर टिप्पणी लिखिए :
 - (i) प्रवेश विल (Bill of Entry)।
 - (ii) जहाजी विल (Shipping Bill)।
 - (iii) माल का पुनर्निर्यात (Re-export of goods)।
 - (iv) जहाजी विल्टी (Bill of Lading)।
 - (v) कतान की रसीद (Mate's Receipt)।